वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

एन्ट्रिक्स ANTRIX

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अंतरिक्ष पारिस्थितिकी-तंत्र का निर्माण

निदेशक-मंडल

प्रकार्यात्मक/पूर्णकालिक निदेशकगण

श्री राकेश शशिभूषण, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
श्री संजय कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)

अंशकालिक पदाधिकारी/सरकारी निदेशकगण

श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा, संयुक्त सचिव (06 जुलाई, 2021 तक)
श्रीमती जी. जयंती, संयुक्त सचिव (वित्त) (11 नवम्बर, 2020 से)

स्वतंत्र निदेशकगण

श्री पी.एस. राघवन
डॉ. अजीत टी कलघाटगी
श्री कमल बाली

इसरो नामित निदेशकगण

श्री आर उमामहेश्वरन (06 जुलाई, 2021 तक)
श्री रॉय एम चेरियन (16 जून, 2020 से)
श्री के सेतुरामन (06 जुलाई, 2021 तक)

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स राव असोशिएट
सनदी लेखाकार
#32/1, वशिष्ट पैराडाइज, द्वितीय तल
प्रथम मंदिर रोड, 11 वाँ क्रॉस
मल्लेश्वरम, बेंगलूरु-560 003

बैंकर

केनरा बैंक
आरएमवी एक्सटेंशन शाखा
बेंगलूरु-560 080

भारतीय स्टेट बैंक
डॉलर कॉलोनी शाखा
बेंगलूरु-560 054

पंजीकृत कार्यालय

कॉर्पोरेट कार्यालय
अंतरिक्ष भवन परिसर
न्यू बी.ई.एल रोड के निकट
बेंगलूरु-560 094

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

विषयसूची

निदेशकगण की रिपोर्ट	1
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट हेतु प्रबंधन का उत्तर	9
कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट	10
वार्षिक विवरणी सार	16
वर्ष 2020-21 हेतु सी.एस.आर. क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट	22
स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	36
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से संबंधित परिशिष्ट "क"	40
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से संबंधित परिशिष्ट "ख"	42
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से संबंधित परिशिष्ट "ग"	45
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अभ्युक्ति	46
तुलनपत्र	48
लाभ तथा हानि लेखा	50
नकद प्रवाह विवरणी	51
एक्विटी में परिवर्तन की विवरणी	53
वित्तीय विवरणी के नोट	55
वित्तीय विवरणी के भाग के रूप में अन्य नोट	93

सी.एम.डी. की ओर से

अंतरिक्ष क्षेत्र में पिछले वर्ष सरकार द्वारा घोषित सुधार, क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है और मसौदा नीतियाँ परिचर्चा और प्रतिपूर्ति हेतु रखी गई हैं। एन्ट्रिक्स ने सी.आइ.आइ के सहयोग से व्यापारपरक प्रतिपूर्ति प्रदान की है जिससे हमें विभिन्न हितधारियों के साथ सीधे जुड़ने में मदद मिलेगी। इसी फरवरी में, भू-स्थानिक आँकड़ों की प्राप्ति के लिए डी.एस.टी द्वारा घोषित दिशानिर्देश दूरंदेशी है और सेवा प्रदाताओं से आँकड़े सीधे प्राप्त करने के लिए अनुप्रयोग विकासकर्ता को सहजता प्रदान करेगा जिससे प्रणाली को मुक्तता मिलेगी और व्यापार मित्रवत् होगा। इससे इसमें शामिल होने वालों की संख्या, व्यापार के आकार में बढ़ोत्तरी होगी और भविष्य में देश की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

विश्व भर में, उपग्रह-उद्योग से मिलने वाले राजस्व का 50% भाग उपग्रह सेवाओं से प्राप्त होता है और भारत में, इस क्षेत्र में, सरकार को योगदान देने वाला प्रमुख योगदाता एन्ट्रिक्स ही रहा है। संभवतः, सभी सेवाओं में, सैटकॉम, राजस्व-प्राप्ति के दृष्टिकोण से सबसे प्रमुख है। माँग और आपूर्ति में अंतर होने, ऊँचे शुल्क-दर, ऊँची अनुज्ञप्ति लागत तथा उपरिव्यय के कारण आज भारत में सैटकॉम सेवाएँ सामान्य लोगों के लिए काफ़ी महँगी हैं। नए तकनीक प्रदाताओं को मैदान में कूदने की संभावना है, और प्रतिस्पर्द्धा तथा पर्याप्त क्षमता की आपूर्ति, मूल्य को संतुलित कर सकता है। सैटकॉम नीति 2020 द्वारा व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में मदद मिल सकती है, और, अब इस नीति, जो अंतिम चरण में है, के घोषित होने का सभी इंतज़ार कर रहे हैं। इस क्षेत्र में विस्तार होने के कारण मिलने वाले अवसरों के मद्देनज़र, एन्ट्रिक्स, अनेक नए सेवा प्रदाताओं के साथ विचार-विमर्श कर रहा है।

अंतरिक्ष विभाग द्वारा व्यापार पुनर्रचना के कारण एन्ट्रिक्स की व्यापारिक भागीदारी औंधे मुँह गिरी है जिसकारण राजस्व-अर्जन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है। पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 हेतु राजस्व-प्राप्ति आधे से भी कम हो गई है। व्यापार में प्रगति के लिए, एन्ट्रिक्स, रक्षा-अंतरिक्ष क्षेत्र में अनुकूल अवसर की तलाश कर रहा है। फिलहाल, एन्ट्रिक्स को ही रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र के ग्राहकों की सेवा का अधिदेश प्राप्त है। रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में तीव्र गति से विस्तार हो रहा है जहाँ एन्ट्रिक्स, ग्राहकों को उपग्रह से प्राप्त आँकड़ा मुहैया करा रहा है। हालाँकि, यह माँग, स्वतंत्र रूप से काम करने वाले विभिन्न प्रयोक्ताओं के बीच फैली है। इस माँग को एकीकृत करने की योजना है और इसका समर्पित समाधान प्रतीक्षित है। फिर भी, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और भारतीय उद्योग को शामिल कर अनुबंध को सफल बनाने में अंतरिक्ष विभाग का सहयोग महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अंतरिक्ष-क्षेत्र में विस्तार और नई नीतियाँ, एन्ट्रिक्स के इस क्षेत्र में अबाध गति से आगे बढ़ने के लिए लाभोपयोगी हो सकती हैं।

निदेशकगण की रिपोर्ट

आपके निदेशकगण को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा के लेखापरीक्षित विवरण, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी) की टिप्पणी सहित उनतीसवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अतीव प्रसन्नता हो रही है।

कार्य निष्पादन संबंधी प्रमुख विशेषताएँ

कंपनी का व्यापार पिछले वर्ष के ₹1,44,350.42 लाख की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ₹65,438.12 लाख है। पिछले वर्ष के ₹22,069.09 लाख की तुलना में करोपरान्त लाभ, ₹5,571.12 लाख है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वाणिज्यिक अंग के रूप में आपकी कंपनी अंतरिक्ष तकनीक को वाणिज्यिक उपयोग में लाती रही है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय ग्राहक नवोन्नत मनोरंजन, प्रौद्योगिकी तथा अन्य उपयोगों का आनन्द उठा रहे हैं। आपकी कंपनी, इसरो की अंतरिक्ष क्षमताओं का अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ विपणन भी कर रही है।

उपग्रह संचार प्रेषानुकर सेवाएँ

भौगोलिक रूप से फैले हुए भारत जैसे देश के सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में उपग्रह संचार व्यवस्था से प्रसारण प्रदान किया जा सकता है| उपग्रह प्रौद्योगिकी के अनोखेपन और लाभ का कोई विकल्प नहीं है| यह निर्णायक राष्ट्रव्यापी संचार संरचना की अभिवृद्धि और जहाँ भौतिक प्रसारण या अन्य प्रकार का संयोजन संभव नहीं है, के अंतर की भरपाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है|

जारी महामारी के चलते, इस क्षेत्र में वृद्धि कमोवेश थम-सा गया है| प्रचालनीय चैनलों की संख्या में कमी आई है क्योंकि विज्ञापन से प्राप्त राजस्व में भी भारी गिरावट हुई है| आवश्यक और जीवन-रक्षक उपायों के लिए कॉर्पोरेट बजट को पुन: तैयार किया गया है| ब्रॉडबैण्ड इंटरनेट ग्राहकों की संख्याओं में व्यापक वृद्धि हुई है क्योंकि अपने घर के भीतर बैठकर बाहरी दुनिया का नज़ारा हमारे इस चुस्त-दुरुस्त उपकरण द्वारा हो सकता है| गतिशील क्षेत्र में, नेल्को, क्लाउडकास्ट आदि जैसे विभिन्न प्रचालकों के लिए सामुद्रिक प्रचालन अनुमन्य है|

वीसैट प्रचालन के लिए 31 दिसम्बर, 2020 तक कुछ एकत्रित विदेशी क्षमता और डीटीएच क्षमता के नवीनीकरण की तिथि से 1 वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स के साथ रही| इसके बाद, आपकी कंपनी ने वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न भारतीय प्रयोक्ताओं के लिए ~3 अतिरिक्त प्रेषानुकर का प्रावधान किया और पट्टे पर लिए गए विदेशी उपग्रहों पर ~5 प्रेषानुकर अभ्यर्पित कर दिया|

कंपनी, मार्च 2021 तक, भारत से प्रचालन कर रहे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विक्रेताओं जैसे-एसईएस वर्ल्ड स्काई, मीसैट, सिंगटेल, इंटेलसैट से अल्पकालिक आधार पर पट्टे पर लिए गए ~37 प्रेषानुकर केयू बैण्ड (प्रत्येक 36 मेगाहर्टज़ के समतुल्य) एवं सी-केयू बैण्ड द्वारा भारतीय प्रयोक्ताओं को विभिन्न सेवाएँ विशेषकर डीटीएच एवं आइएफएमसी प्रचालकों के लिए वाणिज्यिक उपग्रह आधारित सेवाएँ प्रदान कर कर रही है|

आपकी कंपनी ने अंतरिक्ष खंड प्रभार से व्यापार में हुई भारी कमी को देखा है जिसकारण कंपनी के राजस्व और लाभ पर सीधा प्रभाव पड़ा है| व्यापार अंतरिक्ष खंड प्रभार में कमी की इस प्रवृत्ति के कारण कंपनी के भविष्य के राजस्व और लाभ पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा|

आपकी कंपनी ने कनाडा की कंपनी - मेसर्स एग्जैक्टअर्थ से सीमित निविदा के आधार पर सी.ए.आइ.आर-डी.आर.डी.ओ के अंतरिक्ष आधारित ए.आइ.एस (स्वचालित पहचान प्रणाली) को प्राप्त कर उसकी आवश्यकता को पूरा किया है।

चूँकि एल.ई.ओ. बाज़ार में व्यापक गतिशीलता है और न्यामक संकाय इसकी अनुज्ञप्ति के लिए प्रक्रियाएँ खोज रही हैं- कंपनी को इन नई नीतियों और बदलते परिवेश के कारण उभरते नए व्यापारिक क्षेत्रों में अपने आप को स्थापित करने के लिए बड़ी संभावनाएँ दिख रही हैं। इसप्रकार, सैटकॉम के लिए आशा की किरण नज़र आ रही है।

उपग्रह मिशन सहायक सेवाएँ

आपकी कंपनी विश्व भर में प्रतिष्ठित ग्राहकों को उपग्रह प्रचालन के लिए दूरमिति, अनुवर्तन तथा आदेश (टी.टी.सी), प्रमोचन एवं पूर्व कक्ष चरण (एलईओपी) एवं उपग्रह/प्रमोचन संचालन हेतु अन्य संबंधित सेवाएँ प्रदान करती रही है। इस्ट्रैक एवं एम.सी.एफ के भू-स्टेशन के उपयोग से यूरोप के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को एलईओपी एवं टीटीसी सहायता प्रदान की गई थी।

उपग्रह प्रणाली, नौवहन एवं परीक्षण सेवाएँ

आपकी कंपनी, उपप्रणाली, उपग्रह प्रणाली एवं परीक्षण सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े व्यापार विकास की संभावनाएँ तलाश रही है|

आपकी कंपनी ने भारतीय मौसमविज्ञान विभाग (आइएमडी) के लिए उपग्रह संबंधी आँकड़ा प्रापण एवं प्रसंस्करण प्रणाली को प्रचालनीय बनाया है| आपकी कंपनी, देश में नाविक आधारित उपयोग के लिए नाविक सी+ गगन/जीपीएस अभिग्राही प्रतिरूपक, नाविक मात्र एसपीएस अभिग्राही प्रतिरूपक एवं नाविक मात्र निष्क्रिय एंटिना

की आपूर्ति कर अपना पहल जारी रखे हुए है। नाविक आधारित परियोजनाओं को चलाने के लिए विश्वसनीय एजेंसियों (प्रणाली समाकलक एवं नाविकयुक्त वी.टी.डी निर्माता) की सूचीबद्धता पूरी कर ली गई है।

आइआरएस संबंधी क्रियाकलाप

आपकी कंपनी, रिसोर्ससैट-2, कार्टोसैट-2एस एवं ओशनसैट-2 उपग्रहों से अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों की भू-प्रेक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय सुदूर संवेदी (आइआरएस) उपग्रह समूह हेतु, आँकड़ा उत्पादों तथा डाउनलिंक सेवाओं का विपणन करती रही है। वर्ष के दौरान, दो उपग्रहों से एक अंतर्राष्ट्रीय भू-स्टेशन प्रचालन को जारी रखा गया। आपकी कंपनी ने विश्वभर में आइआरएस उत्पादों को प्रचारित करने के लिए पाँच पुन: विक्रेता करार पर हस्ताक्षर किया है और आइआरएस उत्पादों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए और अधिक पुन: विक्रेता की तलाश की प्रक्रिया जारी रखे हुए है। इसके अलावा, आपकी कंपनी, वैश्विक एवं भारतीय ग्राहकों के लिए भूस्थानिक एवं संबद्ध सेवाएँ प्रदान करने एवं क्षमता निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है।

विशेष प्रयोक्ताओं को वी.एच.आर आँकड़े प्रदान करना

आपकी कंपनी, विशेष प्रयोक्ताओं को उनकी माँग के आधार पर विदेशी उपग्रह प्रचालकों से अति उच्च विभेदन (वी.एच.आर) आँकड़े प्रदान करती रही है। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने विशेष प्रयोक्ताओं से ~₹23 करोड़ की धनराशि की आँकड़ा प्रतिबिंबिकी की माँग को पूरा किया है। इसके अलावा, आपकी कंपनी अपनी नई व्यापारिक योजनाओं के माध्यम से विशेष प्रयोक्ताओं की दीर्घकालीन आवश्यकताएँ प्रदान करने पर ध्यान दे रही है।

दौरों का विनिमय

समीक्षावधि के दौरान, कोविड 19 प्रभाव के चलते किसी भी वैश्विक गंतव्य से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि ने एन्ट्रिक्स का दौरा नहीं किया। सभी व्यापारिक परिचर्चा और बैठक ऑनलाइन आयोजित की गई।

लाभांश

आपकी कंपनी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) होने के नाते, पूँजी पुनर्रचना हेतु निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआइपीएएम) के पत्रांक 5/2/2016 दिनांक 27 मई, 2016 द्वारा जारी दिशानिर्देश का अनुसरण करती है। दिशानिर्देश यह इंगित करते हैं कि प्रत्येक सीपीएसई अपने करोपरान्त लाभ का कम-से-कम 30% या कुल संपत्ति का 5%, जो भी वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत महत्तम लाभांश हो, वार्षिक लाभांश के तौर पर भुगतान करेगा।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 27 मई, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं एफ/5/2/2015-नीति के अनुरूप, आपके निदेशकगण ₹680 लाख (पिछले वर्ष ₹8500.00 लाख) के प्रदत्त एक्विटी शेयर पूँजी पर ₹7850.00 लाख लाभांश के तौर पर दिए जाने का अनुमोदन करते हैं। यह 31 मार्च, 2021 को समाप्त हो चुके वर्ष के लिए 141% करोपरान्त लाभ इंगित करता है।

रिज़र्व में स्थानांतरित

वर्ष के दौरान, कंपनी, सामान्य रिज़र्व में कोई भी धनराशि रखने का प्रस्ताव नहीं रखती है।

वित्तीय परिणाम

वित्तीय परिणाम	**31.03.21 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (₹ लाख में)**	**31.03.20 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (₹ लाख में)**
कुल आय	70,958.20	150,262.45
कुल व्यय	63,235.73	120,557.97
मूल्यह्रास एवं कर पश्चात् लाभ	**7,898.08**	**29,865.54**
घटाइए: मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	175.61	161.06
घटाइए: कराधान के लिए प्रावधान	2,080.56	10,579.32
घटाइए: आस्थगित कर	70.79	(2,943.93)
वर्ष के लिए कर पश्चात् लाभ	**5,571.12**	**22,069.09**
अन्य व्यापक आय/(हानि)	3.46	(4.84)
कुल व्यापक आय	**5,574.58**	**22,064.25**
पुनर्वियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	**5,574.58**	**22,064.25**

आगामी दृष्टिकोण

एन्ट्रिक्स के व्यापारिक क्रियाकलापों की पुनर्रचना जारी है। कोविड-19 लहर और अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई कंपनी के गठन से अल्पावधि के लिए हमारा व्यापार प्रभावित हुआ है, परन्तु हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में सरकार द्वारा घोषित सुधारों से मिलने वाले नए अवसर की तलाश में हैं जिसे पूरी तरह लागू किया जाना अभी भी बाकी है। सैटकॉम एवं ईओ आँकड़ा सैटकॉम एवं ईओ आँकड़ा क्षेत्र में समस्तरीय रुचिकर संभावनाएँ हैं और एन्ट्रिक्स, शेयरधारकों के प्रोत्साहन से इसका लाभ उठाने के लिए सुस्थापित है।

वैश्विक अंतरिक्ष के क्षेत्र में एन्ट्रिक्स का एक अपना नाम और अपनी पहचान है । बाज़ार के सर्वेक्षण से इस क्षेत्र में द्विअंकीय अभिवृद्धि और सन् 2040 तक वैश्विक राजस्व के 1 लाख करोड़ को पार कर जाने की संभावनाएँ जताई जा रही हैं। सरकार द्वारा घोषित सुधारों से, इस क्षेत्र में, भारत में भी अभिवृद्धि की संभावनाएँ प्रबल हो रही हैं। इन प्रयासों से, अवसरों में बढ़ोत्तरी होने की संभावनाएँ बढ़ेंगी और एन्ट्रिक्स इन्हें उत्सुकतापूर्वक देख रहा है।

रक्षा क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने की एन्ट्रिक्स की योजनाओं पर चर्चा चल रही है और इसे अमल में लाने में कुछ समय लगेगा क्योंकि ऐसा किया जाना सुधारों और सामान्य आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करेगा। रक्षा सेवाओं में एन्ट्रिक्स का उपयोग ठीक तरह से हो रहा है और अभी तक एन्ट्रिक्स ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसे रक्षा-संबंधी ग्राहकों के लिए ईओ आँकड़ा से संबंधित सेवा प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। कंपनी इस क्षेत्र के ग्राहकों के साथ नियमित संपर्क में है और तकनीक प्रदाताओं एवं भारतीय निर्माताओं के साथ साझेदारी में समर्पित सेवाओं के साथ इस क्षेत्र में समेकित रूप से काम करने के लिए आशान्वित है। एन्ट्रिक्स, रक्षा-अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रगति और स्थापना हेतु अंतरिक्ष विभाग से सहयोग की अपेक्षा कर रहा है।

निदेशकगण

यह कंपनी, भारत सरकार की है। इस कारण, प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी निदेशकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति करते हैं।

आपकी कंपनी के मंडल में सात(7) निदेशकगण हैं अर्थात् दो(2) प्रकार्यात्मक निदेशकगण, एक(1) सरकार द्वारा नामित निदेशकगण, तीन(3) ग़ैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकगण एवं एक(1) ग़ैर-सरकारी अंशकालिक (नामित) निदेशकगण, सभी भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के विशद् अनुभव वाली नामी-गिरामी हस्तियाँ हैं।

श्री सी.एम. साने, निदेशक, एन्ट्रिक्स एवं संयुक्त सचिव (वित्त), अंतरिक्ष विभाग, अपने मूल विभाग में स्थानांतरण के बाद दिनांक 29 अक्तूबर, 2020 को निदेशक के पद से मुक्त हो चुके हैं। मंडल, श्री सी.एम. साने, के कंपनी के निदेशक के तौर पर अमूल्य सेवा प्रदान करने के लिए इनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। श्रीमती जी. जयंती, संयुक्त सचिव (वित्त), अंतरिक्ष विभाग को कंपनी के मंडल में निदेशक के तौर पर दिनांक 11 नवम्बर, 2020 से नियुक्त किया गया है।

श्री रॉय एम चेरियन, सह निदेशक, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम को कंपनी के मंडल में निदेशक के तौर पर दिनांक 16 जून, 2020 से नियुक्त किया गया है।

श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा, संयुक्त सचिव (अंतरिक्ष विभाग), श्री आर उमामहेश्वरन, वैज्ञानिक सचिव (इसरो मु.) एवं श्री के सेतुरामन, उपनिदेशक, यू.आर.एस.सी, मंडल में निदेशक के पद से दिनांक 06 जुलाई, 2021 से मुक्त हो चुके हैं।

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक और घोषणा

कंपनी ने, कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों से ये घोषणाएँ प्राप्त की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथावर्णित स्वतंत्रता के मानदंड पूरे करते हैं। सांविधिक प्रावधानों के तहत दिनांक 21 जनवरी, 2021 को स्वतंत्र निदेशकों की अलग से बैठक आहूत हुई जिसमें सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसरण में, निदेशकमंडल, अपने उत्तम ज्ञान और योग्यता के आधार पर यह पुष्ट करते हैं कि:

i. वार्षिक लेखा की तैयारी में तात्विक विचलन के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है;

ii. निदेशकों ने ऐसी लेखाविधि नीतियों का चयन किया है तथा उनको एकरूपता से लागू किया है और निर्णय लिए हैं एवं आकलन किए हैं जो उपयुक्त एवं विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2021 के अंत में कंपनी से संबंधित मामले की स्थिति तथा उस तिथि को समाप्त हो रहे वर्ष के लिए कंपनी के लाभ या हानि के बारे में कंपनी की सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत की जा सके ।

iii. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और बेईमानी का पता लगाने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013, समय-समय पर यथासंशोधित, के प्रावधानों के अनुसार लेखा संबंधी अभिलेखों के पर्याप्त अनुरक्षण हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;

iv. निदेशकों ने ‘‘जारी व्यापार’’ के आधार पर 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार किए हैं;

v. निदेशकों ने लागू होने वाले सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली की संरचना की है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त रही हैं और प्रभावशाली ढंग से काम कर रही हैं ।

कॉर्पोरेट शासन

कॉर्पोरेट शासन संहिता पर कंपनी की स्थितिप्रज्ञता

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण और अच्छे कॉर्पोरेट शासन हेतु समकालीन माँग के साथ कंपनी के प्रत्येक निर्णय में कॉर्पोरेट शासन के मूलभूत सिद्धांत और दर्शन का अक्षरश: पालन किया जाता है। कंपनी में, बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन हेतु व्यापार आचार संहिता और नैतिकता लागू की गई हैं। वार्षिक आधार पर सभी संबंधित सदस्यों द्वारा संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। मुख्य कार्यकारी द्वारा इस बाबत की गई घोषणा इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

कॉर्पोरेट शासन पर विस्तृत रिपोर्ट इस रिपोर्ट का हिस्सा है। सी.पी.एस.ई के पुनरीक्षित वर्गीकरण मानक के अनुरूप डी.पी.ई द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन के मामले में आपकी कंपनी को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 99% अंक के साथ ‘‘उत्कृष्ट’’ श्रेणी मिलने के आसार हैं।

प्रशिक्षण एवं अभिवृद्धि

वर्ष के दौरान, कार्मिकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जिससे उनकी प्रतिभा परिमार्जित होगी एवं उनकी जीवन-वृत्ति में प्रगति हो सकेगी।

संबंधित पक्ष अंतरण

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी इण्ड ए.एस-24 के अनुरूप संबंधित पक्ष अंतरण का प्रकटीकरण वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखा के भाग के रूप में नोट की नोट सं. 36 के तौर पर संलग्न है। संबधित पक्ष अंतरण के अंतर्गत शामिल अंतरण, यदि हुए थे, तो वे निष्पक्ष, पारदर्शी एवं पहुँच के भीतर थे ।

सतर्कता प्रक्रिया

मंडल द्वारा अनुमोदित सूचना प्रदाता नीति अपनाई जा रही है। यह कॉर्पोरेट शासन को सबल बनाने के लिए कंपनी द्वारा किए जा रहे उपायों का हिस्सा है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी पर्याप्तता

कंपनी ने वित्तीय उपयुक्तता के सभी मापदंडों को पूरा करने के लिए आवश्यक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की है । हम मानते हैं कि आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन शासन-सिद्धान्त लागू करने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षा है । हमारे पास प्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि हमारी सभी परिसंपत्ति नुकसान से सुरक्षित और संरक्षित है ।

एक बाह्य लेखापरीक्षक प्रतिष्ठान मेसर्स बालू एवं आनंद, सनदी लेखाकार को, प्रतिवेदन-काल के दौरान, आंतरिक लेखापरीक्षण का कार्य सौंपा गया था। इससे प्रणाली एवं नियंत्रण की पर्याप्तता सुनिश्चित करने में मदद मिली है । उनकी रिपोर्ट की समीक्षा मंडल द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षण समिति द्वारा भी की गई है। सुधार-कार्रवाई की पहल के साथ आंतरिक लेखापरीक्षण रिपोर्ट की परिचर्चा प्रबंधन के साथ हुई है जिसकी मंडल की लेखापरीक्षण समिति ने भी समीक्षा की है । लेखापरीक्षण समिति भी आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता एवं प्रभावोत्पादकता की समीक्षा करती है ।

लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में प्रतिवेदन-काल के दौरान किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का उल्लेख नहीं किया है ।

मंडल की बैठक की संख्या

विवरण कॉर्पोरेट शासन की रिपोर्ट में दिया गया है ।

मंडल-समिति

कंपनी की नीतियों एवं लक्ष्यों का अनुसरण करते हुए इसकी विधिवत् गठित मंडल-स्तरीय उप समितियाँ नियमित रूप से बैठकों में विचार-विमर्श करके कंपनी को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। समिति की बैठकों के विस्तृत विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में संलग्न हैं।

मंडल एवं सामान्य बैठकों में सचिवालयीन मानकों का अनुपालन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118 (10) की शर्तों के आधार पर, कंपनी, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा वर्णित तथा केंद्र

सरकार द्वारा स्वीकृत सचिवालयीन मानक 1 और 2 का क्रमश: मंडल की बैठक तथा सामान्य बैठक के लिए उपयोग करती है। कंपनी ने, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवालयीन मानक 3 को लाभांश के लिए और सचिवालयीन मानक 4 को निदेशक-मंडल की रिपोर्ट के लिए स्वैच्छिक रूप से अपनाया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं सुनवाई) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण आपकी कंपनी में, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिग उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं सुनवाई) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति स्थापित है। कंपनी की आंतरिक शिकायत समिति की नीति, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिग उत्पीड़न से बचाव और रोकथाम तथा इसतरह की शिकायत दर्ज़ कराने की सुविधा प्रदान करती है। वर्ष के दौरान, इस नीति के तहत कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है| इसके अलावा, महामारी जैसे हालात के बावजूद, आपकी कंपनी ने कोविड-19 दिशानिर्देशों और सभी सावधानी बरतते हुए "लैंगिग उत्पीड़न की रोकथाम" विषय पर जागरुकता कार्यक्रम का संचालन किया था| आंतरिक शिकायत समिति की दो बैठकें भी आयोजित की गई थीं| वर्ष के दौरान, समिति के सदस्यों ने महिलाओं के लैंगिग उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं सुनवाई) अधिनियम 2013 से संबंधित एक ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र और ऑनलाइन अभिमुखी कार्यशाला में भाग लिया| और, स्थानीय शिकायत समिति के समक्ष अधिनियम के अनुरूप आवश्यक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की गई हैं|

वार्षिक विवरणी सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त वार्षिक विवरणी सार अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है|

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन विकास (सी.एस.आर एवं एस.डी)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, पठ्य कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 का अनुपालन करते हुए कंपनी ने एक सी.एस.आर नीति बनाई है| सी.एस.आर एवं एस.डी समिति आवधिक अंतराल पर बैठक करके विचार-विमर्श करती है और सी.एस.आर पहल के तौर पर विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अनुमोदन प्रदान करती है, साथ ही, जारी परियोजनाओं के कार्यों की गति और प्रगति की निगरानी करती है| समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एन्ट्रिक्स ने सी.एस.आर क्रियाकलापों पर ₹820.53 लाख की अब तक की सबसे बड़ी राशि ख़र्च की है|

कंपनी की सी.एस.आर संबंधी क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट जिसमें कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत सी.एस.आर समिति की संरचना शामिल है, अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न है|

लेखापरीक्षकगण

सांविधिक लेखापरीक्षकगण: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने दिनांक 14 अगस्त, 2020 के पत्र सं. सीए.वी/सीओआइ/केंद्र सरकार, एन्ट्रिक्स (1) 242 द्वारा मेसर्स राव एसोशिएट, सनदी लेखाकार, बेंगलूरु को 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक लेखा के लेखापरीक्षण संचालित करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया।

आंतरिक लेखापरीक्षक: आपकी कंपनी ने मेसर्स बालू एवं आनंद, सनदी लेखाकार, बेंगलूरु को वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु आंतरिक लेखापरीक्षण संचालित करने के लिए नियुक्त किया है|

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी इस रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के बाद शामिल किए गए हैं|

सावधि जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने जनता से किसी प्रकार की जमा को न तो आमंत्रित किया है और न ही स्वीकार किया है|

राजकोष में योगदान

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹47,009.04 लाख की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लाभांश, शुल्क एवं कर के रूप में ₹18,513.28 लाख की राशि का योगदान दिया है|

सूचना के अधिकार संबंधी अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन

एन्ट्रिक्स, महामारी जैसे हालात के बावजूद, सूचना के अधिकार संबंधी अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक सार्वजनिक प्राधिकरण होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा है| समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना प्राप्तकर्ता को अपेक्षित सूचना प्रदान कर और केंद्रीय सूचना आयोग को आरटीआइ आवेदन-पत्रों/अनुरोधों

की तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपने दायित्यों का निर्वहन किया है| नागरिकों को सूचना-प्राप्ति सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से और कंपनी के दर्शन तथा कॉर्पोरेट शासन के भाग के तौर पर भी एन्ट्रिक्स की वेबसाइट पर पूर्वपहल प्रकटीकरण किया गया है| इसकारण, पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्याओं में अपेक्षित कमी हुई है|

कर्मचारियों के विवरण

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना सं, जी.एस.आर 463 (ई) के अनुरूप सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 एवं उसके नियमों से छूट मिली हुई है।

मानव संसाधन विकास एवं आरक्षण

एन्ट्रिक्स में कुल 18 स्थाई कार्मिक कार्यरत हैं| [वर्ग क: व्यापार खण्ड - 07; वर्ग क: (प्रशासन) 04; वर्ग ख: (प्रशासन) - 04; वर्ग ग: (प्रशासन) - 03] कार्यरत हैं | समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अनुसूचित जाति (अ.जा), अनुसूचित जनजाति (अ.जजा) एवं अन्य पिछड़े वर्ग तथा दिव्यांग जनों एवं भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिनिधित्व की स्थिति छ: थी।

जोखिम प्रबंधन नीति

एन्ट्रिक्स में, मंडल द्वारा स्वीकृत जोखिम प्रबंधन नीति है और विभिन्न प्रक्रियायों से उत्पन्न होने वाले जोखिम की चर्चा आंतरिक समीक्षा बैठक एवं कॉर्पोरेट प्रबंधन बैठक में की जाती है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा का अर्जन तथा निर्गम पर रिपोर्ट

ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी समावेशन संबंधी दी जाने वाली सूचना शून्य है, क्योंकि कंपनी ने प्रत्यक्ष रूप से न तो किसी ऊर्जा का उपयोग किया है और न ही किसी विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात किया है। विदेशी मुद्रा अर्जन और निर्गम की रिपोर्ट अनुलग्नक-3 के रूप में संलग्न है|

राजभाषा कार्यान्वयन

राजभाषा विभाग, भारत सरकार के नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी सभी स्तरों पर राजभाषा का प्रयोग करती रही है।

व्यापार खण्ड एवं अन्य तीन अनुभाग यथा - लेखा, प्रशासन, क्रय एवं भंडार, अपने दैनिक सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिक-से-अधिक उपयोग करके राजभाषा-क्रियान्वयन को प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं| हिन्दी के प्रगामी प्रयोग और प्रचार-प्रसार के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई ह। कार्मिकों को नियमित तौर पर कार्यशाला और प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाता है|

कार्मिकों के बीच द्विभाषी शब्दावली और शब्द एवं मुहावरे की पुस्तिका परिचालित की गई है और मिसिलों/फोल्डरों में वाक्यांश हिन्दी में मुद्रित किए गए हैं जिनका उपयोग दैनंदिन कार्यों में किया जा सकता है|

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), बेंगलूरु द्वारा आयोजित हुई अर्धवार्षिक बैठकों में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने स्वयं भाग लिया है।

कंपनी ने अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक चार बार आहूत की जिसमें कार्यसूची के बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

सम्प्रति, आपकी कंपनी की वेबसाइट हिन्दी और अँगरेज़ी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।

अंतरिक्ष विभाग द्वारा नामित निरीक्षण अधिकारी, रजिस्ट्रार, पी.आर.एल द्वारा कोविड 19 की महामारी के मद्देनज़र हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित वार्षिक निरीक्षण ऑनलाइन माध्यम से संपन्न हुई|

आपकी कंपनी, अंतरिक्ष विभाग एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), बेंगलूरु द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों में भाग लेती रही है और कार्मिकों ने कई पुरस्कार भी प्राप्त किया है|

आपकी कंपनी को राजभाषा हिन्दी के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2018-19 के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), बेंगलूरु द्वारा शील्ड एवं प्रशस्ति-पत्र के साथ प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है और समान उत्साह कायम रखने हेतु वर्ष 2019-20 के लिए प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया है|

आपकी कंपनी, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश का अनुसरण करते हुए आगामी वर्षों में भी समान हौसला और उत्साह के साथ और अच्छा करने की दिशा में अग्रसर रहकर अपना योगदान देती रहेगी|

अनुलग्नक-03

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम (वास्तविक) निम्नानुसार हैं:

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम (वास्तविक) निम्नानुसार हैं:			
	यूएसडी	**यूरो**	**समतुल्य राशि ₹ लाख में**
विदेशी मुद्रा अर्जन			
निर्यात स	4.19	-	308.15
तकनीकी परामर्शिता से	2.78	-	206.70
अन्य सेवाएँ से	-	-	-
प्रमोचन सेवाएँ स	-	5.83	493.23
यात्रा से	-	-	-
कुल	**6.97**	**5.83**	**1,008.08**
विदेशी मुद्रा निर्गम	**-**	**-**	
यात्रा के एवज़ में	-	-	-
आयात की लागत के एवज़ में	24.67	-	1,820.47
तकनीकी सेवाओं के एवज़ में	673.38	0.05	49,906.18
अन्य सेवाओं (विधिक) के एवज़ में	1.16	0.51	130.69
अन्य भुगतान के एवज़ में	5.08	-	375.46
कुल	**704.29**	**0.56**	**52,232.80**

आभारोक्ति

आपके निदेशकगण, अपने उत्पादों और सेवाओं के ग्राहकों तथा अन्य प्रयोक्ताओं से प्राप्त सहायता के लिए आभार प्रकट करने में अतीव प्रसन्नता महसूस करते हैं और आगामी वर्षों में भी उनसे सहायता की आशा करते हैं। आपके निदेशकगण, अन्य सरकारी विभागों तथा एजेंसियों, बैंकरों एवं उद्योगों से प्राप्त सहयोग एवं सहायता के लिए उनका भी विशेष आभार प्रकट करते हैं। आपके निदेशकगण, वर्ष के दौरान, कंपनी के विक्रेताओं, बैंकरों, सी एवं ए.जी, वैधानिक/आंतरिक लेखापरीक्षकगण, अध्यक्ष-लेखापरीक्षण समिति, मंडल की अन्य उपसमितियों के अध्यक्ष, सलाहकार, आदि से निरंतर मिलने वाले सहयोग और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक आभार प्रकट करते हैं।

आपके निदेशकगण, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के सफलतापूर्वक प्रचालन के लिए अंतरिक्ष विभाग, विविध इसरो केंद्रों एवं आपकी कंपनी के अधिकारियों एवं कार्मिकों के सहयोग और योगदान के लिए उनकी सराहना करते हैं।

निदेशक-मंडल के लिए एवं
उनकी ओर से

ह्स्ता/-
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
तिथि: 09 जुलाई, 2021

राजभाषा क्रियान्वयन में उत्कृष्ट निष्पादन हेतु नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), बेंगलूरु द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए छोटे कार्यालयों की श्रेणी में "प्रथम पुरस्कार" के रूप में प्रदत्त "चल वैजयंती" और "प्रशस्ति पत्र" की प्राप्ति|

भारत सरकार, गृह मंत्रालय
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), बेंगलूरु
संयोजक - के आई ओ सी एल लिमिटेड, कोरमंगला, बेंगलूरु - 560 034

प्रशस्ति पत्र

राजभाषा निष्पादन श्रेष्ठता पुरस्कार
वर्ष 2018-19 छोटे कार्यालयों की श्रेणी में

यह प्रमाणित किया जाता है कि एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलूरु ने राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग एवं कार्यान्वयन की दिशा में वर्ष 2018-19 के दौरान उल्लेखनीय प्रगति की है । कंपनी की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रथम पुरस्कार से शील्ड द्वारा सम्मानित किया जाता है ।

एस राजेन्द्र
सदस्य सचिव

एम वी सुब्बाराव
अध्यक्ष

*नराकास (उपक्रम) के अध्यक्ष और के.आइ.ओ.सी.एल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम.वि. सुब्बाराव, के कर-कमलों द्वारा **"प्रशस्ति पत्र"** प्राप्त करते हुए श्री राकेश शशिभूषण, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं श्री संजय कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त), एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड।*

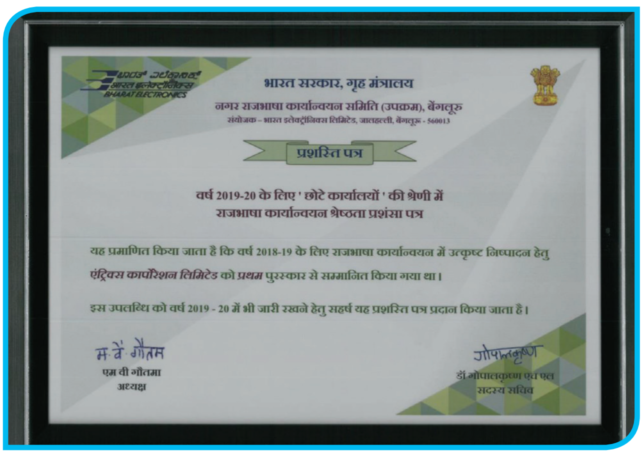
भारत सरकार, गृह मंत्रालय
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), बेंगलूरु
संयोजक – भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जालहल्ली, बेंगलूरु - 560013

प्रशस्ति पत्र

वर्ष 2019-20 के लिए ' छोटे कार्यालयों ' की श्रेणी में
राजभाषा कार्यान्वयन श्रेष्ठता प्रशंसा पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2018-19 के लिए राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट निष्पादन हेतु एंट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

इस उपलब्धि को वर्ष 2019 - 20 में भी जारी रखने हेतु सहर्ष यह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

एम वी गौतमा
अध्यक्ष

डॉ गोपालकृष्ण एच एल
सदस्य सचिव

राजभाषा क्रियान्वयन में उत्कृष्ट निष्पादन हेतु नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), बेंगलूरु द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए "प्रथम पुरस्कार" के रूप में "चल वैजयंती" और "प्रशस्ति पत्र" प्रदान किया गया। इस सम्मान को जारी रखते हुए हेतु वर्ष 2019-20 हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।

श्री संजय कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त), एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड; श्री एम.वी. गौतमा, नराकास (उपक्रम) के अध्यक्ष और बी.ई.एल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से "प्रशस्ति पत्र" और श्रीमती विजयलक्ष्मी बीदरी, भारतीय प्रशासनिक सेवा, नियंत्रक, यू.आर.राव अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष विभाग से "पुष्पगुच्छ" प्राप्त करते हुए।

दिनांक 23.02.2021 को "संवाद मिलन-1" शीर्षक के अंतर्गत बी.ई.एल अफसर क्लब, जालहल्ली में राजभाषा पदाधिकारियों हेतु आयोजित बैठक में एन्ट्रिक्स की ओर से श्रीमती चित्रा विट्ठल, वरिष्ठ प्रबंधक (का. एवं सा. प्र.) एवं श्री भारत भूषण, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने एन्ट्रिक्स का प्रतिनिधित्व किया|

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट हेतु प्रबंधन का उत्तर

क्र.सं.	लेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का आश्वासन
1	जारी व्यापार से संबंधित आर्थिक अनिश्चितता हम स्वसंपूर्ण इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी में एक प्रतिष्ठान से ₹5,88,729 लाख [शामिल नोट में वर्णित तरीके से राशि निर्धारित की गई है एवं न्यायिक परिणाम पर निर्भर करता है] के दावे के बारे में नोट सं 43 (i)(क)(iii) एवं 45(घ) के ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं| जैसा कि वर्णित है कि घटनाक्रम या स्थितियाँ यह सूचित करती हैं कि एक तरह की आर्थिक अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी के जारी व्यापार के प्रति उल्लेखनीय संशय पैदा करती है । इन मामलों में हमारा मंतव्य किंचित भी परिवर्तित नहीं हुआ है ।	आइसीसी के मध्यस्थता निर्णय के विरुद्ध कंपनी की चुनौती माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, के समक्ष लंबित है । मध्यस्थता निर्णय के विरुद्ध कंपनी की चुनौती के आधार में अन्य बातों के साथ-साथ आइसीसी न्यायाधिकरण का न्यायक्षेत्र, क्षतिपूर्ति के निर्णय का परिमाण एवं अन्य कानूनी सिद्धांत जैसे भारतीय कानून का उल्लंघन एवं सार्वजनिक नीति का विरोध शामिल है । इन आधारों पर, ऐसी उम्मीद की जाती है कि मध्यस्थता निर्णय रद्द किया जाएगा ।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

1. **कॉर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देश संबंधी कंपनी के दर्शन पर संक्षिप्त रिपोर्ट**

1.1 कंपनी कॉर्पोरेट शासन पर अधिक बल देती है। कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि उत्तम कॉर्पोरेट शासन की नीतियाँ एवं व्यवहार वह बुनियाद होते हैं जिन पर कॉर्पोरेट संस्था का निर्माण होता है और इसकी नीतियाँ एवं योजनाएँ कॉर्पोरेट संस्था की सफलता का मार्ग प्रशस्त करती हैं।

2. **निदेशकमंडल**

2.1. **मंडल सदस्यों की संरचना और विवरण**:

2.1.1. एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मंडल के सदस्यगण अच्छा कॉर्पोरेट शासन सुनिश्चित करने मेम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंडल में पर्याप्त संख्या में कार्यपालक और ग़ैर-कार्यपालक सदस्य शामिल हैं। मंडल में एक महिला निदेशक भी हैं। निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मंडल की संरचना निम्नवत् हैं:

(क) प्रकार्यात्मक/पूर्णकालिक निदेशकगण:

(i) श्री राकेश शशिभूषण, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

(ii) श्री संजय कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)

(ख) अंशकालिक पदाधिकारी/सरकारी निदेशकगण:

(i) श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा, संयुक्त सचिव, अंतरिक्ष विभाग (06 जुलाई, 2021 तक)

(ii) श्री सी.एम साने, संयुक्त सचिव (वित्त), अंतरिक्ष विभाग (29 अक्तूबर, 2020 तक)

(iii) श्रीमती जी. जयंती, संयुक्त सचिव (वित्त), अंतरिक्ष विभाग (11 नवम्बर, 2020 से)

(ग) अंशकालिक ग़ैर-सरकारी/स्वतंत्र निदेशकगण:

(i) श्री पी.एस. राघवन, भारतीय विदेश सेवा (सेवानिवृत्त)

(ii) डॉ. अजीत टी कलघाटगी, पूर्व-निदेशक (आर एवं डी), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलूरु

(iii) श्री कमल बाली, प्रबंध निदेशक, वॉल्वो ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(घ) अंशकालिक ग़ैर-सरकारी/नामित निदेशकगण:

(i) श्री आर उमामहेश्वरन, वैज्ञानिक सचिव, इसरो (06 जुलाई, 2021 तक)

(ii) श्री के सेतुरामन, उप निदेशक, यूआरएससी (06 जुलाई, 2021 तक)

(iii) श्री रॉय एम चेरियन, सह निदेशक, वीएसएससी (16 जून, 2020 से)

2.1.2. कंपनी के वर्तमान संस्था विधान भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा सभी निदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान प्रदान करते हैं। नियुक्त निदेशकगण अपने-अपने कार्यक्षेत्र की नामी-गिरामी हस्तियाँ हैं। कंपनी के इन निदेशकों में कोई भी दस से अधिक समितियों के सदस्य नहीं रहे थे या वर्ष के दौरान, सभी सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों की पाँच समितियों के अध्यक्ष पद को सुशोभित नहीं किया है जिनमें वे निदेशक रहे/रही हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी के किसी स्वतंत्र निदेशक ने सात से अधिक सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक का पदभार ग्रहण नहीं किया।

2.1.3. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं प्रकार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा होती है, पहले 5 वर्ष के लिए या अधिवर्षिता की आयु तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो। उसके बाद सेवा-विस्तार काबीना की नियुक्ति समिति(एसीसी) की स्वीकृति से होती है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति एसीसी द्वारा की जाती है, पहले 3 वर्षों के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो। इस बाबत कोई सेवा-विस्तार या पुनर्नियुक्ति भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुरूप होती है।

3. **मंडल की बैठक एवं उनमें उपस्थिति:**

3.1. प्रति वर्ष कम-से-कम चार (4) बैठकों की सांविधिक आवश्यकताओं की तुलना में वित्तीय वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत मंडल के सदस्यगण पाँच (5) बार बैठक में भाग ले चुके हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान, सभी मंडलीय बैठकों में निदेशकगण की औसत उपस्थिति 58% रही है। इन बैठकों की तिथि और निदेशकगण की उपस्थिति निम्नवत् हैं:

क्र.सं.	बैठकों की सं.	बैठकों की तिथि	मंडलीय सदस्यों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
1.	120	19.06.2020	10	6
2.	121	15.10.2020	10	6
3.	122	30.12.2020	10	7
4.	123	14.01.2021	10	5
5.	124	31.03.2021	10	5

अनुलग्नक I (क) में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति संलग्न है।

3.2. मंडल के सभी सदस्यों ने मंडल में उनकी नियुक्ति के समय या नियुक्ति के बाद अपने मालिकाना, साझेदारी या किसी कंपनी में अपने वैयक्तिक,आधिकरिक और अन्य मौद्रिक संबंधों, चाहे वे निजी हों या अपने सगे-संबंधियों से जुड़ी हों, की जानकारी मंडल को दे रखी है। ऐसे प्रकटीकरण की पुनरुक्ति प्रति वर्ष की जाती है। मंडलीय बैठक में किए गए ऐसे प्रकटीकरण निम्नवत् प्रस्तुत हैं:

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	संकाय/कॉर्पोरेट जिनसे निदेशक संबंध रखते हैं	संबंधों की प्रकृति
1.	श्री राकेश शशिभूषण	शून्य	-
2.	श्री संजय कुमार अग्रवाल	शून्य	-
3.	श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा	शून्य	-
4.	श्रीमती जी जयंती	शून्य	-
5.	श्री आर उमामहेश्वरन	शून्य	-
6.	श्री के सेतुरामन	शून्य	-
7.	श्री रॉय एम चेरियन	केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास कॉर्पोरेशन (केल्ट्रॉन)	निदेशक
8.	श्री पी एस राघवन	मेसर्स कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड (दो विदेशी सहायक कंपनी सहित)	स्वतंत्र निदेशक
9.	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	शून्य	-
10.	श्री कमल बाली	1. वॉल्वो ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2. वॉल्वो वित्तीय सेवा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड 3. भारत में स्वीडिश वाणिज्यिक प्रकोष्ठ 4. ज़ेवियर प्रबंधन संस्थान 5. सनदी प्रबंधन लेखाकार संस्थान, लंदन 6. ज़ेवियर एमलियॉन वैश्विक व्यवसाय विद्यालय	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अतिरिक्त निदेशक अध्यक्ष एवं मंडल सदस्य निदेशक सदस्य, उद्योग परामर्शदायी, कार्यकारी सूची निदेशक

3.3 वित्तीय वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत निदेशकों के बीच छ: (6) प्रस्ताव परिचालित किए गए।

4. आम बैठक:

4.1 पिछले तीन वर्षों में कंपनी की वार्षिक आम बैठकों के विवरण निम्नवत् हैं:

एजीएम की संख्या	वित्तीय वर्ष	बैठकों की तिथि	बैठक का स्थान
26	2017-18	26-09-2018	मेसर्स एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय, अंतरिक्ष भवन, न्यू बी.ई.एल रोड, बेंगलूरु - 560 094.
27	2018-19	19-12-2019	
28	2019-20	28-09-2020	

4.2. वित्तीय वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत कंपनी ने “डाक मतपत्र” के ज़रिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है।

5. मंडलीय समितियाँ, उनकी सीमाएँ एवं उनकी बैठकें:

5.1. 31 मार्च, 2021 तक एन्ट्रिक्स की तीन (3) निम्नलिखित समितियाँ हैं:

5.2. **लेखापरीक्षण समिति**

5.2.1. प्रशासकीय मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2013 में कंपनी के निदेशकमंडल द्वारा मौलिक लेखापरीक्षण समिति का गठन हुआ। बाद में, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डी.पी.ई), भारी उद्योग मंत्रालय एवं सार्वजनिक उपक्रम, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप यह कार्य करता रहा है।

5.2.2. लेखापरीक्षण समिति, कंपनी अधिनियम, 2013; समय-समय पर यथा संशोधित डी.पी. ई. दिशानिर्देशों के अंतर्गत लागू प्रावधानों में उल्लिखित संदर्भ-शर्तों का अनुपालन करती है।

5.2.3. लेखापरीक्षण समिति, फिलहाल, तीन (4) सदस्यों यानी मंडल के तीन (3) स्वतंत्र निदेशकों के साथ काम कर रही है। सांविधिक लेखापरीक्षक, निदेशक (वित्त) बैठक में स्थायी तौर पर आमंतृत किए जाते हैं। लेखापरीक्षण समिति के सभी सदस्यगण, विशेषकर अध्यक्ष के पास लेखाविधि का अच्छा ज्ञान और वित्तीय मामलों में विशेषज्ञता है। कंपनी की आंतरिक/सांविधिक लेखापरीक्षण करने वाली बाहरी लेखापरीक्षक प्रतिष्ठान के प्रतिनिधियों के साथ समिति नियमित रूप से संपर्करत रहती है और वित्त संबंधी मामलों का हिसाब-किताब रखती है।

5.2.4. वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत गठित लेखापरीक्षण समिति का विवरण निम्नवत् है:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	पद	नियुक्ति की तिथि या समिति में परिवर्तन
1	श्री कमल बाली	अध्यक्ष	02 अगस्त 2019 से
2	श्री पी.एस. राघवन	सदस्य	02 अगस्त 2019 से
3	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	सदस्य	02 अगस्त 2019 से
4	श्री के सेतुरामन	सदस्य	02 अगस्त 2019 से

समिति के सचिव की भूमिका कंपनी सचिव निभाते हैं।

5.2.5. लेखापरीक्षण समिति की बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले स्वतंत्र निदेशकों की कार्यवाह संख्या दो (2) है। किसी वित्तीय वर्ष के दौरान लेखापरीक्षण समिति की बैठक कम-से-कम चार बार आहूत होनी चाहिए और दो बैठकों के बीच समयांतर 120 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए।

5.2.6. लेखापरीक्षण समिति के अध्यक्ष और/या अन्य स्वतंत्र ग़ैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक जो लेखापरीक्षण समिति के सदस्य भी हैं को डी.पी.ई के दिशानिर्देश एवं इण्ड ए.एस 24 के अंतर्गत यथा विचारित संबंधित पक्ष अंतरण हेतु पूर्व स्वीकृति के लिए उत्तरदायी व्यक्ति(यों) के रूप में पदनामित किए गए हैं।

5.2.7. वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत लेखापरीक्षण समिति की दो (3) बैठकें आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष के दौरान लेखापरीक्षण समिति की सभी बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति 75% रही है। ऐसी बैठकों की आयोजन तिथि और उनमें उपस्थित निदेशकों/सदस्यों के विवरण निम्नवत् हैं:

क्र.सं	बैठकों की सं.	तिथि	समिति के सदस्यों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
1	13	19.06.20	4	3
2	14	30.12.20	4	3
3	15	31.03.21	4	3

अनुलग्नक I (क) में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति संलग्न है।

5.3 **पारिश्रमिक समिति (आर.सी):**

5.3.1. कार्यपालकों और कार्मिकों के लिए परिवर्तनीय वेतन के वितरण हेतु नियम प्रतिपादित कर निर्णय करने के लिए दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 को निदेशकमंडल द्वारा मौलिक रूप से इस समिति का गठन किया गया।

5.3.2. वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत गठित पारिश्रमिक समिति का विवरण निम्नवत् है:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	पद	नियुक्ति की तिथि या समिति में परिवर्तन
1.	श्री पी.एस. राघवन	अध्यक्ष	02 अगस्त 2019 से
2.	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	सदस्य	02 अगस्त 2019 से
3.	श्री कमल बाली	सदस्य	29 नवम्बर 2019 से
4.	श्री राकेश शशिभूषण	सदस्य	02 अगस्त 2019 से

समिति के सचिव की भूमिका कंपनी सचिव निभाते हैं।

5.3.3. वर्ष के दौरान पारिश्रमिक समिति की बैठक आयोजित नहीं हो पाई।

5.4. **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन विकास समिति (सी.एस, आर एवं एस.डी):**

5.4.1. अप्रैल 2010 के दौरान, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए, मंडल द्वारा "कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन विकास समिति" नामक एक समिति का गठन किया गया। एन्ट्रिक्स की सी.एस.आर नीति के अनुरूप सी.एस.आर. क्रियाकलाप संचालित किए जाते हैं।

5.4.2. वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत गठित सी.एस.आर एवं एस.डी समिति का विवरण निम्नवत् है:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	पद	नियुक्ति की तिथि या समिति में परिवर्तन
1	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	अध्यक्ष	02 अगस्त 2019 से
2	श्री राकेश शशिभूषण	सदस्य	23 मार्च 2020 से
3	श्री संजय कुमार अग्रवाल	सदस्य	02 अगस्त 2019 से

समिति के सचिव की भूमिका कंपनी सचिव निभाते हैं।

5.4.3. वर्ष 2020-21 के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत सी.एस.आर एवं एस.डी समिति की चार (4) बैठकें आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष के दौरान लेखापरीक्षण समिति की सभी बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति 100% रही है। इन बैठकों के विवरण निम्नवत् हैं:

क्र.सं	बैठकों की सं.	तिथि	समिति के सदस्यों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
1	15	05.06.20	3	3
2	16	17.08.20 31.08.20	3	3
3	17	02.12.20	3	3
4	18	31.03.21	3	3

अनुलग्नक I (ख) में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति संलग्न है।

6. **व्यवसाय आचार संहिता एवं निदेशकों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए नैतिकता:**

6.1 कॉर्पोरेट शासन से संबंधित दिशानिर्देश बनाते समय अप्रैल 2010 में सार्वजनिक उद्यम विभाग ने व्यवसाय आचार संहिता एवं नैतिकता का पुनरीक्षण किया। इस संहिता को एन्ट्रिक्स द्वारा अपने निदेशकों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए अपनाया गया।

6.2 वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत निदेशकों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों ने आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि करते हुए घोषणाएँ प्रस्तुत की थीं।

6.3 अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा जारी की गई ऐसी घोषणा निम्नवत् है:

7. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा जारी की गई ऐसी घोषणा:

7.1 एतद् द्वारा यह घोषणा की जाती है कि 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सभी मंडल के सदस्यगण एवं वरिष्ठ सदस्यों ने "एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशकों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए व्यवसाय आचार संहिता एवं नैतिकता" के अनुपालन की पुष्टि की है।

8. मंडल के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण:

8.1 एन्ट्रिक्स के मंडल के सदस्यगण वरिष्ठ कार्यपालक हैं जिनके पास शिक्षा, उद्योग, प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन एवं प्रशासन के विस्तृत और विविध अनुभव हैं। एन्ट्रिक्स उनकी दूरदर्शिता और उनके ज्ञान से लाभान्वित हुई है। मंडल में शामिल किए जाने के बाद कंपनी के निष्पादन, व्यवसाय के प्रारूप, कॉर्पोरेट की योजना एवं भविष्य के दृष्टिकोण से उन्हें प्रस्तुति के माध्यम से अवगत कराया जाता है। इसके अलावा, मंडल/ समिति/अन्य बैठकों के दौरान व्यवसाय से संबंधित मामलों पर वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक/ पेशेवर व्यक्तियों/सलाहकारों द्वारा विस्तृत प्रस्तुति दी जाती है। प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के लिए निदेशकों को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान करने और उनमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मंडल ने निदेशकों के प्रशिक्षण हेतु एक नीति भी अपनाई है।

9. प्रकटीकरण:

(i) वर्ष के दौरान, निदेशकों या वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों या उनके परिजनों के साथ कंपनी के विद्यमान नियमों के अनुरूप वेतन, शुल्क, लागू अधिक लाभ के सिवाय किसी भी प्रकार की सामग्री और विशिष्ट प्रकृति के सामानों की लेन-देन नहीं हुई थी जिसकारण कंपनी के हित के साथ कोई भारी खिलवाड़ हुआ हो या कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 188 के प्रावधानों को लागू करने की आवश्यकता महसूस हुई हो।

(ii) कंपनी के लिए लागू होने वाले सभी कॉर्पोरेट कानून, नियम एवं विनियम के अनुपालन से संबंधित स्थिति की रिपोर्ट मंडल के समक्ष सूचना एवं समीक्षा के लिए प्रस्तुत की जाती है।

(iii) वर्ष के दौरान, सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों से संबंधित किसी भी मामले पर किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई शास्ति या अधिक्षेप नहीं डाले गए थे।

(iv) एक औपचारिक सूचना प्रदाता नीति लागू की गई है। वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत लेखापरीक्षण समिति के सदस्यों या इसके अध्यक्ष के पास जाने से किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं गया है।

(v) कंपनी में लागू विद्यमान मान्य नियमों के सिवाय वित्तीय विवरणी में कोई भी व्यय-मद शामिल नहीं किया गया जो मंडल के किसी सदस्य या कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत हो।

(vi) पिछले वर्ष के 1.35% की तुलना में इस वर्ष के प्रशासनिक और कार्यालय व्यय 1.78% रहे हैं। मंडल के सदस्यों या कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यय में कोई अपव्यय नहीं पाया गया है।

(vii) वित्तीय विवरणी में कोई भी व्यय-मद शामिल नहीं किया गया जो व्यवसाय के लिए नहीं किया गया हो। वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धता नहीं हुए हैं जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई हो।

(viii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू) के संचालन संबंधी केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति जी के सभी निर्देशों का अनुपालन कंपनी ने किया है।

10. प्रमाणपत्र

10.1. प्रशासनिक मंत्रालय (अंतरिक्ष विभाग) को प्रत्येक तिमाही में कॉर्पोरेट शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन के बारे में वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

11. **संचार:**

11.1. कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाने से पहले इसकी वेबसाइट:www.antrix.co.in पर प्रस्तुत की जाती है। कंपनी की वेबसाइट पर सभी आधिकारिक सूचनाएँ भी प्रदर्शित की जाती हैं।

12. **जोख़िम प्रबंधन नीति:**

12.1. कंपनी के मंडल द्वारा स्वीकृत जोख़िम प्रबंधन नीति है जिसकी विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

13. **लेखापरीक्षण योग्यता:**

13.1. स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्रबंधन के उत्तर के साथ संलग्न है।

अनुलग्नक - I (क)

वर्ष के दौरान मंडल की आयोजित बैठक एवं उनमें निदेशकों की उपस्थिति:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	मंडल		लेखापरीक्षण समिति	
		बैठकों की कुल सं. जिनमें शामिल होना आवश्यक था	बैठकों की सं जिनमें शामिल हुए	बैठकों की कुल सं. जिनमें शामिल होना आवश्यक था	बैठकों की सं जिनमें शामिल हुए
1	श्री राकेश शशिभूषण	5	5	लागू नहीं	-
2	श्री संजय कुमार अग्रवाल	5	5	लागू नहीं	-
3	श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा	5	0	लागू नहीं	-
4	श्री सी एम साने	2	2	लागू नहीं	-
5	श्रीमती जी जयंती	3	1	लागू नहीं	-
6	श्री आर उमामहेश्वरन	5	0	लागू नहीं	-
7	श्री रॉय एम चेरियन	5	2	लागू नहीं	-
8	श्री के सेतुरामन	5	0	3	0
9	श्री पी.एस. राघवन	5	5	3	3
10	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	5	5	3	3
11	श्री कमल बाली	5	4	3	3

अनुलग्नक - I (ख)

वर्ष के दौरान मंडल की आयोजित बैठक एवं उनमें निदेशकों की उपस्थिति:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति		आम बैठक	
		बैठकों की कुल सं. जिनमें शामिल होना आवश्यक था	बैठकों की सं जिनमें शामिल हुए	बैठकों की कुल सं. जिनमें शामिल होना आवश्यक था	बैठकों की सं जिनमें शामिल हुए
1	श्री राकेश शशिभूषण	4	4	1	1
2	श्री संजय कुमार अग्रवाल	4	4	1	1
3	श्रीमती संध्या वेणुगोपाल शर्मा	लागू नहीं	-	1	1
4	श्री सी एम साने	लागू नहीं	-	1	-
5	श्रीमती जी जयंती	लागू नहीं	-	-	-
6	श्री आर उमामहेश्वरन	लागू नहीं	-	-	-
7	श्री रॉय एम चेरियन	लागू नहीं	-	-	-
8	श्री के सेतुरामन	लागू नहीं	-	-	-
9	श्री पी.एस. राघवन	लागू नहीं	-	-	-
10	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	4	4	-	-
11	श्री कमल बाली	लागू नहीं	-	1	0

अनुलग्नक-1

फॉर्म सं. एम.जी.टी.-9

वार्षिक विवरणी सार

31.03.2021 को समाप्त वित्त वर्ष तक [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण:

i. सी.आइ.एन. : U85110KA1992GOI013570

ii. पंजीकरण तिथि : 28 सितम्बर, 1992

iii. कंपनी का नाम : एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

iv. कंपनी का संवर्ग/उप संवर्ग : शेयर आधारित लिमिटेड कंपनी/केंद्र सरकार की कंपनी

पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण:
एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय
अंतरिक्ष भवन
न्यू बी.ई.एल.रोड
बेंगलूरु-560094

v. क्या कंपनी सूचीबद्ध है : नहीं

vi. निबंधक एवं हस्तांतरण एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण, यदि कोई हों : लागू नहीं

II. कंपनी के प्रमुख व्यापारिक क्रियाकलाप:

कंपनी के कुल व्यवसाय (टर्नओवर) के 10 % या उससे अधिक योगदान देने वाले व्यापारिक क्रियाकलाप का उल्लेख किया जाएगा:

क्रम सं.	प्रमुख उत्पाद/सेवाओं के नाम तथा विवरणी	उत्पाद/सेवाओं के एनआइसी कोड	कंपनी के कुल व्यवसाय (टर्नओवर) का प्रतिशत
1	प्रेषानुकर सेवाएँ	997319	84%
2	उत्पादों की बिक्री	63119	16%

III. नियंत्रक, सहायक एवं संबद्ध कंपनियों के विवरण

शून्य

IV. शेयर धारिता प्रतिरूप (कुल एक्विटी के प्रतिशत के रूप में एक्विटी शेयर पूँजी विवरणी)

(I) वर्गानुरूप शेयर धारिता (लाख में)

शेयरधारक के वर्ग	वर्ष के आरंभ में धारित शेयर की सं.				वर्ष के अंत में धारित शेयर की सं.				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का %	
ए. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
क) वैयक्तिक/ एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) केंद्र सरकार	0	6.80	6.80	100	0	6.80	6.80	100	0

ग) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) वित्तीय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ड.) कोई अन्य...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-जोड़ (ए)(1):-	**0**	**6.80**	**6.80**	**100**	**0**	**6.80**	**6.80**	**100**	**0**
(2) **विदेशी**									
क) आप्रवासी भारतीय - वैयक्तिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) अन्य - वैयक्तिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) बैंक / वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ड.) कोई अन्य...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-योग (ए) (2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
प्रवर्तक की कुल शेयर धारिता (ए) = (ए)(1)+(ए) (2)	**0**	**6.80**	**6.80**	**100**	**0**	**6.80**	**6.80**	**100**	**0**
बी. सार्वजनिक शेयर धारिता									
(1) **संस्थान**									
क) म्यूचुअल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) केंद्र सरकार/राज्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) उपक्रम पूंजी निधि	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ड़) बीमा कंपनी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) एफ.आइ.आइ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छ) विदेशी उपक्रम पूंजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ज) अन्य (उल्लेख करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-योग (बी) (1):-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(2) **ग़ैर-संस्थागत**									
क) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) वैयक्तिक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) एक लाख रुपए तक की नाममात्र शेयर पूँजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयर धारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) एक लाख रुपए से अधिक की नाममात्र शेयर पूँजी धारण करने वाले वैयक्तिक शेयर धारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) अन्य (उल्लेख करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-योग (बी) (2):-	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल सार्वजनिक शेयर धारिता (बी)=(बी)(1)+(बी)(2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
सी. जी.डी.आर. एवं ए.डी. आर. के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग (ए+बी+सी)	**0**	**6.80**	**6.80**	**100**	**0**	**6.80**	**6.80**	**100**	**0**

(ii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता (लाख में)

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			
		शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %	कुल शेयर से प्रतिभूत/ ऋणग्रस्त शेयर का %	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %	कुल शेयर से प्रतिभूत/ ऋणग्रस्त शेयर का %	वर्ष के दौरान शेयरधारिता के % में परिवर्तन
1	अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार	6.80	100%	शून्य	6.80	100%	शून्य	0
	कुल	**6.80**	**100%**	**शून्य**	**6.80**	**100%**	**शून्य**	**0**

(iii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया उल्लेख करें) (लाख में)

क्र. सं.		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %
1.	वर्ष के आरंभ में	6.80	100%	6.80	100%
2.	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी के कारणों (उदाहरणार्थ, आबंटन/अंतरण/अधिलाभ/स्वेट एक्विटी इत्यादि) का उल्लेख करते हुए प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी:	**शून्य**			
3.	वर्ष के अंत में	6.80	100%	6.80	100%

iv) पहले दस शेयर धारकों की शेयरधारिता के प्रतिरूप (जी.डी.आर एवं ए.डी.आर के निदेशकों, प्रवर्तकों एवं धारकों के अलावा) :

क्र सं		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	पहले 10 प्रत्येक शेयरधारकों के लिए	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %
	वर्ष के आरंभ में				
	वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी के कारणों (उदाहरणार्थ, आबंटन/अंतरण/अधिलाभ/स्वेट एक्विटी इत्यादि) का उल्लेख करते हुए प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी:	शून्य			
	वर्ष के अंत में (या अलगाव की तिथि में, यदि वर्ष के दौरान अलगाव हुआ हो)				

(v) निदेशकगण एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों की शेयरधारिता:

क्र.सं.	प्रत्येक निदेशकगण एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के लिए	शेयर की सं.	कंपनी के कुल शेयर का %	शेयर की सं	कंपनी के कुल शेयर का %
1.	वर्ष के आरंभ में	शून्य			
2.	वर्ष के दौरान वृद्धि/ कमी के कारणों (उदाहरणार्थ, आबंटन/अंतरण/अधिलाभ/ स्वेट एक्विटी इत्यादि) का उल्लेख करते हुए प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी:	शून्य			
3.	वर्ष के अंत में	शून्य			

V. **ऋणग्रस्तता**

बकाया/प्रोद्भूत ब्याज परन्तु भुगतान के लिए बाकी नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता:

	जमा के अलावा सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता i. मूलधन राशि ii. बकाया ब्याज परन्तु अप्रदत्त iii. प्रोद्भूत ब्याज परन्तु बाकी नहीं	शून्य			
कुल (i+ii+iii)				
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन • वृद्धि • कमी				
निवल परिवर्तन				
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता i. मूलधन राशि ii. बकाया ब्याज परन्तु अप्रदत्त iii. प्रोद्भूत ब्याज परन्तु बाकी नहीं	शून्य			
कुल (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

VI. **निदेशकगण एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के पारिश्रमिक**

ए. प्रबंध निदेशक, पूर्णलालिक निदेशक और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण	एम.डी./डब्ल्यू.टी.डी./प्रबंधक का नाम		कुल राशि
		सीएमडी	डीएफ	
1.	सकल वेतन			
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में शामिल प्रावधान के तहत वेतन	46,26,384	29,42,337	75,68,721
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) में शामिल प्रावधान के तहत अनुलब्धियों के मान	5,72,648	3,83,708	9,56,356
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के एवज में लाभ	-	-	-

2.	स्टॉक विकल्प	शून्य		
3.	स्वेट एक्विटी			
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में - अन्य, उल्लेख करें			
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-
	कुल (ए)	51,99,032	33,26,045	85,25,077
	अधिनियम के अनुसार परिसीमन	-	-	-

बी. अन्य निदेशकगण के लिए पारिश्रमिक:

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकगण के नाम		कुल राशि
1.	स्वतंत्र निदेशक • मंडलीय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया उल्लेख करें	डॉ. अजीत टी कलघाटगी श्री पी एस राघवन श्री कमल बाली	2,60,000 1,60,000 1,60,000	2,60,000 1,60,000 1,60,000
	कुल (1)		**5,80,000**	**5,80,000**
2.	अन्य ग़ैर-सरकारी निदेशक • मंडलीय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया उल्लेख करें		शून्य	
	कुल (2)	-	-	-
	कुल (**बी**)=(1+2)	-	**5,80,000**	**5,80,000**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	-	**91,05,077**
	अधिनियम के अनुसार समग्र परिसीमन			

सी. एम.डी/प्रबंधक/डब्ल्यू.टी.डी के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के लिए पारिश्रमिक

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति
1.	सकल वेतन	शून्य
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में शामिल प्रावधान के तहत वेतन	
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) में शामिल प्रावधान के तहत अनुलब्धियों के मान	
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के एवज में लाभ	
2.	स्टॉक विकल्प	
3.	स्वेट एक्विटी	
4.	कमीशन	
	-लाभ के % के रूप में	
	-अन्य, उल्लेख करें	
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें	
	कुल	

I. **शास्ति/दंड/संयोजित अपराध**

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अधिरोपित शास्ति/ दंड/संयोजित शुल्क का विवरण	प्राधिकार (आर.डी./ एन.सी. एल.टी न्यायालय)	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
ए. कंपनी					
शास्ति					
दंड			शून्य		
संयोजित					
बी. निदेशक					
शास्ति					
दंड			शून्य		
संयोजित					
सी. भुगतान नहीं करने वाले अधिकारी					
शास्ति					
दंड			शून्य		
संयोजित					

अनुलग्नक - 2

मंडल की रिपोर्ट में सम्मिलित करने हेतु वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सी.एस.आर. क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. **कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर) नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:**

एन्ट्रिक्स के सी.एस.आर कार्यक्रमों के मार्गदर्शी सिद्धांत का उद्‌भव सामाजिक संदर्भ के क्रियाकलापों/ कार्यक्रमों जो दीर्घकालिक, सामाजिक रूप से स्वीकार्य एवं आर्थिक रूप से उपयुक्त क्रियाकलापों के क्रियान्वयन द्वारा समाज के संपूर्ण विकास में योगदान देने की दूरदर्शिता के साथ हुआ है।

एन्ट्रिक्स ने स्वास्थ्य-देखभाल, शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण, नारी सशक्तता, कौशल विकास, दिव्यांग जनों के लिए सहायता एवं स्वच्छता के क्षेत्रों में कई क्रियाकलापों को क्रियान्वित किया है। एन्ट्रिक्स की सी.एस.आर. गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिंदु दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करना है जिससे कालावधि विशेष में लोगों के जीवन की गुणवत्ता एवं आर्थिक संपन्नता के अभिवर्धन से समुदायों को लाभ मिले। ये सी.एस.आर कार्यक्रम एन.जी.ओ, न्यासों एवं सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर लागू किए गए हैं।

संचालित की जाने वाली परियोजनाएँ, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के दायरे के भीतर ही होती हैं और डी.पी.ई के दिशानिर्देशों का अनुपालन करती हैं।

2. **सी.एस.आर समिति का स्वरूप:**

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	पदनाम/ निदेशकीय स्वरूप	वर्ष के दौरान सी.एस.आर समिति की आयोजित बैठकों की सं	वर्ष के दौरान सी.एस.आर समिति की आयोजित बैठकों में शामिल होने की सं
क	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	अध्यक्ष/ स्वतंत्र निदेशक	4	4
ख	श्री राकेश शशिभूषण	सदस्य/ प्रकार्यात्मक निदेशक	4	4
ग	श्री संजय कुमार अग्रवाल	सदस्य/ प्रकार्यात्मक निदेशक	4	4

3. वह लिंक प्रदान करें जहाँ कंपनी की वेबसाइट पर मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी की सी.एस.आर समिति की संरचना, सी.एस.आर नीति एवं सी.एस.आर परियोजनाओं का उल्लेख हो। - https://www.antrix.co.in/corporate-social-responsibility

4. कंपनी नियम, 2014 (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) के नियम 8 के उपनियम (3) के अनुसार क्रियान्वित की गई सी.एस.आर परियोजनाओं के विवरण, यदि लागू हों तो, प्रदान करें। (रिपोर्ट संलग्न करें)। - लागू नहीं

5. कंपनी नियम, 2014 (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) के नियम 7 के उपनियम (3) के अनुसार समायोजन हेतु उपलब्ध राशि और वित्त वर्ष के लिए समायोजन हेतु अपेक्षित राशि, यदि कोई हों तो, के विवरण।

क्र. सं.	वित्त वर्ष	पिछले वित्त वर्ष से समायोजन हेतु उपलब्ध राशि (₹ लाख में)	वित्त वर्ष के लिए समायोजन हेतु अपेक्षित राशि, यदि कोई हों तो, (₹ लाख में)
1	2017-18	शून्य	
2	2018-19		
3	2019-20		
	कुल		

6. धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ - ₹ 35,390.39 लाख

7 (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत - ₹ 708 लाख

(ख) पिछले वित्त वर्ष की सी.एस.आर. परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों के बाद बची अतिरिक्त राशि

**बिना व्यय की राशि - ₹ 112 लाख*

(ग) वित्त वर्ष के लिए समायोजन हेतु अपेक्षित राशि यदि कोई हों तो, - शून्य

घ) वित्त वर्ष के लिए कुल सी.एस.आर. दायित्व (7क+7ख-7ग) - ₹ 820 लाख

8 **(क) वित्त वर्ष के लिए सी.एस.आर की व्यय की गई या व्यय नहीं की गई राशि**

	व्यय नहीं की गई राशि (₹ में)				
वित्त वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (₹ लाख में)	**धारा 135 (6) के अनुसार व्यय नहीं की गई सी.एस.आर लेखा में अंतरित राशि**		**धारा 135 (5) के द्वितीय प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत उल्लिखित किसी भी निधि में अंतरित राशि**		
	राशि	**अंतरण-तिथि**	**निधि का नाम**	**राशि**	**अंतरण-तिथि**
820.53	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ख) वित्त वर्ष के लिए **चालू परियोजनाओं** में व्यय की गई सी.एस.आर राशि का विवरण ₹ 466.92 लाख **(अनुलग्नक-1)**

(ग) वित्त वर्ष के लिए **चालू परियोजनाओं के अलावा** व्यय व्यय की गई सी.एस.आर राशि का विवरण - ₹ 351.92 लाख **(अनुलग्नक-2)**

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय के लिए व्यय की गई राशि - ₹ 1.69 लाख

(ड.) प्रभाव आकलन, यदि लागू हो, पर व्यय की गई राशि - शून्य

(च) वित्त वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ड.) - ₹ 820.53 लाख

(छ) समायोजन हेतु अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, - शून्य

क्र.सं.	**विवरण**	**राशि (₹ लाख में)**
i.	धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	708.00
ii.	वित्त वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	820.53
iii.	वित्त वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	112.53
iv.	पिछले वित्त वर्ष की सी.एस.आर. परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों के बाद बची अतिरिक्त राशि	112.00
v.	अगले वित्त वर्ष में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	0.53

9. (क) **विगत तीन वित्त वर्षों से सी.एस.आर की व्यय नहीं की गई राशि का विवरण**

क्र सं.	विगत वित्त वर्ष	धारा 135 (6) के अनुसार व्यय नहीं की गई सी. एस.आर लेखा में अंतरित राशि (₹ लाख में)	रिपोर्टिंग वित्त वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	धारा 135 (6) के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत उल्लिखित किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो			अगले वित्त वर्ष में व्यय के लिए बची राशि (₹ लाख में)
				निधि का नाम	राशि (₹ लाख में)	अंतरण की राशि	
1	2018-19	-	688.92	-	-	-	922.82
2	2019-20	-	1535.82	-	-	-	112.00
3	2020-21	-	820.53	-	-	-	
	कुल		**3045.27**				**1034.82**

(ख) विगत वित्त वर्ष की **चालू परियोजनाओं** में इस वित्त वर्ष में व्यय की गई सी.एस.आर राशि का विवरण - **अनुलग्नक-3** संलग्न

10. पूँजी परिसंपत्ति के सृजन या अर्जन के बारे में इस वित्त वर्ष में व्यय राशि के जरिए सृजित या अर्जित परिसंपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें। - **अनुलग्नक-4** संलग्न

11. धारा 135 (5) के अनुसार, अगर कंपनी अपने औसत निवल लाभ के दो प्रतिशत को व्यय करने में असमर्थ रही है, तो इसका उल्लेख करें। - लागू नहीं

ह्स्ता/-
(अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक)

ह्स्ता/-
(अध्यक्ष, सी.एस.आर. समिति)

क़िलेबंदी से बाहर संरक्षण:
अधिक उपयोग किए जाने वाले वेम्बनाड जल-परिदृष्य (केरल) में संरक्षण एवं दीर्घकालिक आजीविका हेतु जनकेंद्रित दृष्टिकोण

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन, पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध, अशोका पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण अनुसंधान न्यास (एटीआरईई), एक वैश्विक विशेषज्ञ एवं देश के एक प्रमुख संरक्षण संस्थान, के साथ मिलकर केरल में वेम्बनाड जल-परिदृष्य के संरक्षण के लिए भागीदार की भूमिका निभा रहा है। वेम्बनाड, देश के बड़े रामसर स्थलों में से एक है। यह जैव-वैविध्य संपन्न क्षेत्र है और मछुआरे, सीपी संग्राहकों, समुद्रतल से नीचे के किसानों एवं पर्यटन संचालकों जैसे साझेदारों की एक लम्बी श्रृंखला को सहायता प्रदान करता है। यह जल-परिदृष्य लगभग 1.6 लाख साझेदारों को सहायता प्रदान करता है और इस क्षेत्र की जीवन-रेखा मानी जाती है। मानवीय क्रियाकलापों के कारण यह झील काफ़ी दयनीय स्थिति में है। "वेम्बनाड सामाजिक-पारिस्थितिक प्रणाली की दीर्घकालिकता के लिए जलवायु परिवर्तन के समय झीलों और झीलों पर आश्रित समुदायों पर विशेष रूप से केंद्रित चुनौती आधारित संरक्षण अंत:क्षेप" के नाम की तीन वर्षों की परियोजना अवधि की सी.एस.आर परियोजना प्रमुखत: छ: प्रमुख चुनौतियों का सामना करती हैं। जैसे-(i) झील-प्रदूषण (ii) झील-सुधार (iii) आक्रामक जीव (iv) मौसम परिवर्तन (v) असंधारणीय संसाधन का उपयोग (vi) लोगों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा दीर्घकालिक आजीविका। रिपोर्टिंग अवधि में संपन्न कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:-

1. इस परियोजना के परिणामस्वरूप, मुहम्मा ग्राम पंचायत (आलप्पुझा) को देश का पहला सिंथेटिक सैनिटरी पैड मुक्त गाँव घोषित किया गया था। सुनियोजित हस्तक्षेप और विभिन्न सरकारी और ग़ैर-सरकारी एजेंसियों को जागरुकता अभियान में शामिल करके तथा पर्यावरण-हितैषी वैकल्पिक उत्पादों जैसे-कपड़े से बने गद्दे और माहवारी कप के बेझिझक वितरण से ही ऐसा संभव हो पाया था। इस कार्यक्रम को वैश्विक पहचान मिली क्योंकि इसे जल की स्वच्छता हेतु लोगों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए नवोन्मेषी माध्यम के तौर पर आयोजित वैश्विक समाधान खोज प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 33 देशों में से अंतिम रूप से चयनित 10 देशों में स्थान मिला। जाने-माने संगठनों जैसे- @Rare_org, @11thhourracing, The Circulate Initiative, @el_bid, @lonelywhale, @nature_org, एवं @ oceanconservancyetc. के सहयोग से ही इस पुरस्कार की स्थापना हुई है। इस प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा अंतिम रूप से सितम्बर 2021 में की जाएगी।

2. इस क्षेत्र में दायित्वपूर्ण खेती को बढ़ावा देने और धान की खेती में कीटनाशकों तथा रसायन के प्रयोग को कम करने के लिए वृक्षायुर्वेद में सुझाए गए उपचारों को उपयोग में लाया गया और परीक्षण किया गया। स्थानीय तौर पर उपलब्ध जड़ी-बूटी/पशु-प्रोटीन से तैयार एक बहूद्देशीय कुनाप जेल को 536 किसानों को शामिल कर 8 पादशेखरम में उपयोग में लाया गया है। जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण एवं पैदावार से जुड़े पर्व का आयोजन किया गया।

3. केरल की जैवविविधता की पृष्ठभूमि को समझने और निगरानी करने के लिए केरला बायोब्लित्ज़ के नाम से नागरिकों के लिए एक पहल की शुरुआत की गई। केरल से 35 महाविद्यालयों ने कार्यक्रम में भाग लिया। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान भारत जैवविविधता पोर्टल पर 14335 टैक्सोनोमिक प्रेक्षण डाले गए।

4. पारंपरिक भागीदारों के जीविकोपार्जन में उन्नति मुख्य केंद्रबिंदु रहा है। सीपी स्रोतों में कमी को दूर करने के लिए वेम्बनाड में 15 सीपी प्रेषण-स्थल और अष्टमुटि में 5 सीपी प्रेषण-स्थल को तकनीकी सहायता प्रदान कर इस क्षेत्र के ह्ज़ारों पारंपरिक सीपी संग्राहकों को लाभ पहुँचाया गया है। जिम्मेदार ढंग से मछली मारने के प्रचलनों को अपनाने के लिए व्यापक जागरुकता सत्र चलाए गए थे।

5. कुट्टनाड दलदल प्रणाली की बाढ़ संबंधी अतिसंवेदनशीलता का सामाजिक-आर्थिक-जैवभौतिक मूल्यांकन किया गया। बाढ़ संबंधी अतिसंवेदनशीलता सूची की गणना 8 अंतर-सहसंबंधित परिमाणात्मक आश्रित चल गुणकों द्वारा किया गया था जिन्हें तीन क्षेत्रों यथा-सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक कारकों में बहुचर पहल, एस.पी.एस.एस. में मुख्य घटक विश्लेषण (पी.सी.ए) के उपयोग से वर्गीकृत किया गया था और बेहतर आपदा प्रबंधन की योजना बनाने के लिए एल.एस.जी के अनुसार बाढ़ संबंधी अतिसंवेदनशीलता मानचित्र बनाने के लिए सूची के मानों का अंतरीक्षीय मानचित्रण किया गया है।

मीडिया संपर्क

https://m.timesofindia.com/city/kozhikode/muhamma-declared-as-first-synthetic-sanitary-pad-free-village-in-kerala/amp_articleshow/79086158.cms

https://www.indiatimes.com/news/india/muhamma-in-kerala-has-been-declared-as-first-synthetic-sanitary-pad-free-village-527040.html

https://www.thehindu.com/news/national/kerala/muhamma-vying-for-prizes-in-us-contest/article34483519.ece

Solution Search Support Video - Voting request by CERC

https://youtu.be/5It8C08uQYE

https://www.nationalgeographic.co.uk/travel/2020/11/life-on-the-water-kerala-backwaters

आदर्श ग्राम विकास परियोजना

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलूरु ने अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत बी.ए.आइ.एफ दीर्घकालिक आजीविका एवं विकास संस्थान (www.baif.org.in/birdk.org.in), तिपतूर के साथ मिलकर साझेदारी में एक आदर्श ग्राम के विकास के लिए सहायता की पहल की है। ग्राम विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति नवोन्मेषी और समेकित पहल अपनाकर गाँव के ग़रीब लोगों की दीर्घकालिक आजीविका को उन्नत करने के लिए तुमकूरु ज़िला प्रतिबद्ध है। यह साझेदारी, विशेषकर लघु और सीमांत किसानों की दुखद स्थिति को ध्यान में रखते हुए की गई है और आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए किए जाने वाले दीर्घकालिक उपायों पर केंद्रित है।

सहभागी ग्राम विकास प्रक्रिया को अपनाकर सहभागी पद्धति से परियोजना का प्रारूप तैयार किया गया है। इस परियोजना की अवधि में प्रारंभ की गई कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

1. सरकारी योजना के अंतर्गत निर्मित शौचालयों के अलावा लोगों के घरों में शौचालयों का निर्माण, सार्वजनिक स्थानों और लोगों के घरों में सोख्ता गड्ढा के निर्माण से गाँव के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की स्थिति में सुधार तथा जंगल की कटाई के परिणामस्वरूप कर्नाटक सरकार ने गाँव को खुले शौच से मुक्त और मच्छरों के प्रकोप से मुक्त वातावरण घोषित किया है।

2. 104 लोगों के घरों की छतों पर वर्षा-जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचनाओं द्वारा सुरक्षित पेयजल की अभिप्राप्ति | बाक़ी बचे घरों को कर्नाटक सरकार द्वारा स्थापित उत्क्रम परासरण संयंत्र से पीने का पानी दिया जा रहा है जिससे हड्डियों के दर्द और पेट दर्द से राहत मिल रही है।

3. चूँकि इस क्षेत्र में पानी की कमी थी इसलिए दो टंकियों का नवीकरण, जल संभरक वाहिका और खेती हेतु तालाबों की मरम्मत की गई, परिणामस्वरूप 27 से अधिक नलकूप चालू हो गए और गाद के उपयोग से रागी की पैदावार 7.5 क्विंटल प्रति एकड़ से बढ़कर 12 क्विंटल हो गई जिससे 156 परिवारों को लाभ पहुँचा। टंकी की परिबद्धता क्षमता को बढ़ाकर 87,000 क्यूबिक मीटर कर दिया गया। 483.55 फीट की आधार-रेखा से भूजल का जलस्तर ऊपर उठकर 261.0 फीट हो गया।

4. खेती में विविधता लाकर फूलों की खेती करने से अच्छा लाभ हुआ है। हालाँकि, परियोजना द्वारा फूलों की खेती करने के लिए 6.06 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया गया था जिसे किसानों द्वारा स्वयं बढ़ाकर 17.6 हेक्टेयर कर दिया गया। फूलों की खेती करने के लिए उपयोग में लाई गई भूमि से ₹ 4,353.70/- प्रति 0.1 हेक्टेयर की आधार-रेखा आय की तुलना में सृजित औसतन आय ₹ 22,826/- थी। चूँकि फूलों के व्यापार के लिए अनुबंध स्थापित किए गए हैं इसकारण भूमिहीन परिवारों को रोज़गार मुहैया कराने में भी मदद मिली है।

5. धूमहीन चूल्हा, धोबी घाट इत्यादि ने साफ-सुथरी रसोई के वातावरण प्रदान करके तथा कपड़े धोने में समय की बर्बादी रोककर महिलाओं की परेशानी को कम किया है।

6. आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को विभिन्न प्रकार के अंत:क्षेप द्वारा संरक्षण जैसे छोटे जुगाली करने वाले जानवरों, नारियल के पेड़ पर चढ़ने के लिए चक्र, मवेशियों के बछड़े पालने के लिए सहायता प्रदान की गई जिनसे उनकी आय में अपेक्षित वृद्धि हुई।

7. दयनीय अवस्था में रह रहे ग्रामीण समुदायों को आययसृजन आरंभ करने और अपनी आजीविका को उन्नत करने के लिए पशुपालन अनुपम साधन है। बी.ए.आइ.एफ ने किसानों के घर तक ए.आइ (कृत्रिम गर्भाधान) की सुविधा मुहैया कराई है। लगभग 20 गाँवों में ए.आइ (कृत्रिम गर्भाधान) की सुविधा मुहैया कराई गई है और अबतक 3370 कृत्रिम गर्भाधान कराए गए हैं जिनमें से 1413 गर्भधारण सुनिश्चित किए गए हैं। इनमें 1054 केविंन्ग (मादा-500 और नर-554) हुए हैं। 15 वर्ष की आयु की 500 बछिया से कुल अर्जित संपत्ति 125.00 लाख है। 1575 लीटर प्रति दिन की आधार-रेखा दुग्ध-उत्पादन क्षमता में 225 लीटर प्रति दिन की वृद्धि हुई है। के.एम.एफ ने गाँवों में दुग्ध संग्रहण केंद्र खोल रखा है।

8. स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जागरुकता सृजन समारोहों से महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और गाँवों की स्वच्छता में अभिवृद्धि हुई है।

9. अवसंरचना विकास के अंतर्गत, नए विद्यालय भवन का निर्माण हुआ है। आँगनवाड़ी का पुनरुद्धार, गाँव के लेखा कार्यालय की मरम्मत, आरलिकट्टे (सामूहिक मंच) इत्यादि कार्य आरंभ किए गए हैं। इन गतिविधियों से गाँव की मूलभूत सुविधाओं में अभिवृद्धि हुई है और ग्रामीण अपने गाँवों पर गर्व महसूस करते हैं।

10. सरकारी उच्चतर प्राथमिक पाठशाला, ब्रह्मसांद्रा में 5वीं से 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित ई-शिक्षण शिक्षा प्रणाली स्थापित की गई। पूरे सिरा ताल्लुक में यह पहला विद्यालय था जहाँ ई-शिक्षण संकल्पना आरंभ की गई और विद्यार्थी ई-शिक्षण का लाभ उठा रहे हैं। अब तक, इससे लगभग 200 विद्यार्थियों और विद्यालय के 10 शिक्षकों को लाभ पहुँचा है।

11. ग्रामीणों के जीवन में अँधेरे की जगह उजाला लाने के लिए इस परियोजना के सहारे 44 सौर ऊर्जा सड़क प्रदीपक, 350 एच.एच सौर ऊर्जा लालटेन एवं 115 सौर ऊर्जा शौचालय प्रदीपक प्रदान किए गए।

12. समाभिरूपता कार्यक्रम के ज़रिए ग्रामीणों को बहुत से अंत:क्षेप प्रदान किए गए, जैसे- स्वास्थ्य संबंधी जागरुकता (कोविड महामारी के दौरान कूड़ेदान, चेहरे का मुखौटा और सामुदायिक तथा घरेलू स्तर पर आवरण सहयोग) एवं परिष्कृत नमक का वितरण, स्वच्छ पेयजल (उत्क्रम परासरण संयंत्र), सौर ऊर्जा सड़क प्रदीपक, सामुदायिक भवन, जंगल की कटाई, सीमेंट की सड़क एवं मनरेगा योजना आदि।

13. ग्रामीण सामाजिक समारोहों जैसे-सामुदायिक स्वास्थ्य जाँच-पड़ताल एवं स्वास्थ्य जागरुकता कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह एवं अनुभव साझा करने हेतु कार्यशाला। सभी समारोहों में महिलाओं की भागीदारी 65% दर्ज़ की गई।

14. परियोजना अवधि के समापन के बाद कार्यक्रमों को लम्बे समय तक संचालित किए जाने के लिए विभिन्न समूह बनाए गए हैं। परियोजना गतिविधियों की निगरानी, बैठक का आयोजन और परियोजना की बेहतरी के लिए भागीदारों को मार्गदर्शन प्रदान करने में इन समूहों की अहम भूमिका है। आदर्श ग्राम समिति, परियोजना अवधि के समापन के बाद ग्राम विकास की देखभाल करेगी।

15. बाद की परियोजनाएँ, दीर्घकालिक प्रारूप के तौर पर इन समूहों/समितियों के द्वारा लोक कार्यक्रम के रूप में चलाई जाएगी।

16. ग्रामीणों के अलावा, अन्य प्रतिभागियों को भी उन्नत कृषि व्यवहार, जैविक कृषि, पशुधन विकास, समेकित कृषि प्रणाली, अंतर्कृषि विकल्प, मृदा एवं जल संरक्षण विधि, चिकित्सीय पादप, वृक्ष आधारित कृषि प्रणाली, कृषि वानिकी, डब्ल्यू.ए.डी.आइ, समुदाय आधारित संगठन, कृषीय आरंभ, बीज बैंक अवधारणा, उन्नत प्रजनन लाभ, कम्पोस्टिंग तकनीक आदि की जानकारी मिली है।

कुल मिलाकर परियोजना ने सभी अंत:क्षेप प्रदर्शित किया है जिनकी गाँव में रहने वाले कृषि पर आश्रित और कृषि पर अनाश्रित समुदायों के लिए न केवल आय में वृद्धि के लिए आवश्यकता थी बल्कि इनसे जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है।

सी.एस.आर क्रियाकलाप

अशोका पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण न्यास (एटीआरईई) के माध्यम से केरल राज्य में चेर्तला नगरपालिका के निकट मुहम्मा गाँव में आदर्श दलदली गाँव परियोजना के अंतर्गत सामाजिक नवोन्मेषी प्रयोगशाला की स्थापना

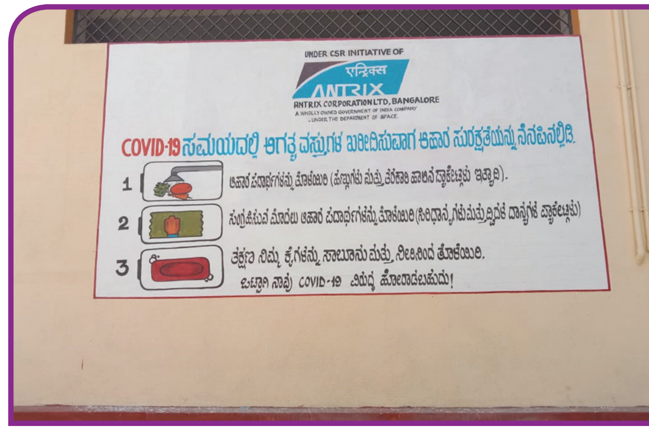

सरकारी अस्पताल, शाहपुर ताल्लुक, यादगीर ज़िला, कर्नाटक में पोस्टर के द्वारा कोविड-19 हेतु जागरुकता का प्रदर्शन

अवर सचिवालय, शिलौंग, मेघालय में सामुदायिक शौचालय परिसर का निर्माण

सौंदा में सोढ़े श्री वदिराज मठ एवं श्री क्षेत्र स्वादि दिगम्बर जैन मठ में 30 किलोवाट+10 किलोवाट सौर ऊर्जा प्रणाली का निर्माण गाँव, सिरसी, कर्नाटक

भारत के एसओएस बाल ग्राम के परिवार गृह प्रायोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विशाखापट्टनम के बाल ग्राम से 4 एसओएस परिवार गृह एवं बेंगलूरु के 1 एसओएस परिवार गृह का प्रायोजन

श्रद्धा नेत्र देखभाल न्यास के लिए संसाधन सहित चल नेत्र देखभाल निदानिका का प्रायोजन; चामराजनगर ज़िला, कर्नाटक के अति सुदूर क्षेत्रों में कार्यरत चल नेत्र निदानिका

विरुदुनगर, तमिलनाडु के स्वास्थ्य सेवा उप निदेशक को रोगी आवागमन वाहन एवं आपातकालीन स्वास्थ्य संसाधन का प्रायोजन

मलप्पुरम ज़िला, केरल के सरकारी अस्पताल में 10 आइसीयू वेंटिलेटर का प्रायोजन

कोचीन महानगर के रोटरी क्लब के साथ मिलकर "आशा परियोजना" के अंतर्गत केरल के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए घरों के निर्माण हेतु प्रायोजन

₹ लाख में

अनुलग्नक - 1

चालू परियोजनाओं में व्यय की गई सी.एस.आर राशि के विवरण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आबंटित राशि (₹ में)	वर्तमान वित्त वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना में व्यय नहीं की गई सी.एस.आर लेखा में अंतरित राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का माध्यम-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का माध्यम-कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा	
				राज्य	ज़िला						नाम	सी.एस.आर. पंजीयन संख्या
1	केरल के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 2018 के लिए आशा परियोजना के तहत गृह-निर्माण	(i) निर्धनता उन्मूलन	नहीं	केरल	कोच्चि	6 माह	60.00	60.00	0	नहीं	कोचीन महानगर रोटरी क्लब, कोच्चि	अप्राप्त
2	उपशामक देखभाल इकाई में अवसंरचना का उन्नयन	(iii) वरिष्ठ जनों के लिए सुविधाओं की स्थापना	हाँ	कर्नाटक	बेंगलूरु	12 माह	9.00	9.00	0	नहीं	वाइएस जन अंतर्राष्ट्रीय एवं सांत्वना कल्याण न्यास	अप्राप्त
3	स्व-देखभाल कार्यक्रम के च्रेस्पेक्टछ मॉडल के माध्यम से ग्रामीण और शहरी लोगों की बढ़ती उम्र में स्वस्थता को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना	(i) रोकथाम सहित स्वास्थ्य देखभाल का संस्थापन	नहीं	कर्नाटक	चामराजनगर	7 माह	55.71	55.71	0	नहीं	स्वामी विवेकानंद युवजन आंदोलन	सी.एस.आर 00002215
4	पल्लकड़ के आदिवासी क्षेत्र में 150 ग्रामीण बच्चों के लिए विद्यालय-शुल्क, पोशाक और पुस्तकों का प्रायोजन	(ii) शिक्षा को प्रोत्साहन	नहीं	केरल	पल्लकड़	2 माह	19.50	19.50	0	नहीं	स्वामी विवेकानंद चिकित्सा मिशन	सी.एस.आर 00002488
5	अइकुडि में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तत्वावधान में महिलाओं और दिव्यांगों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	(ii) दिव्यांगजनों के लिए व्यावसायिक दक्षता बढ़ाकर रोज़गार प्रोत्साहन	नहीं	तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	3 माह	70.00	70.00	0	नहीं	अमर सेवा संगम	सी.एस.आर 00000229

6	आइआइटी, धारवाड़ में अंतरिक्ष प्रयोगशाला की स्थापना	10 (ख) सरकार पोषित विश्वविद्यालयों; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) के लिए योगदान	नहीं	कर्नाटक	धारवाड़	5 वर्ष	128.00	128.00	0	हाँ		
7	कोड्गु आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए चिकित्सा उपकरण	(i) रोकथाम सहित स्वास्थ्य देखभाल का संस्थापन	नहीं	कर्नाटक	मदिकेरी	3 माह	75.00	75.00	0	हाँ		
8	100 सरकारी विद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए सैनिटरी नैपकिन भस्मक	(i) रोकथाम सहित स्वास्थ्य देखभाल का संस्थापन	नहीं	कर्नाटक	बेंगलूरु	6 माह	30.00	30.00	0	नहीं	रोटरी क्लब जीवनबीमानगर, बेंगलूरु	अप्राप्त
9	31 सरकारी विद्यालयों/महाविद्यालयों के लिए सैनिटरी नैपकिन निर्माण और निस्तारण संयंत्र	(i) रोकथाम सहित स्वास्थ्य देखभाल का संस्थापन	नहीं	कर्नाटक	मांड्या, चिकबल्लपुर एवं कोलार	6 माह	19.71	19.71	0	नहीं		
						कुल	**466.92**	**466.92**				

₹ लाख में
अनुलग्नक-2

चालू परियोजनाओं के अलावा व्यय की गई सी.एस.आर राशि के विवरण

क्र. सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का माध्यम-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का माध्यम-कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा	
				राज्य	ज़िला			नाम	सी.एस.आर. पंजीयन संख्या
1	विजाग में एस.ओ.एस बालग्राम के अनाथ बच्चों के 4 परिवारों के लिए 1 वर्ष के लिए प्रायोजन	(iii) सामाजिक रूप से पिछड़े समूह के साथ हो रही	नहीं	आँध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	60.48	नहीं	भारत के एस.ओ.एस बालग्राम	सी.एस.आर. 00000692
2	बेंगलूरु में एस.ओ.एस बालग्राम के अनाथ बच्चों के 1 परिवार के लिए 1 वर्ष के लिए प्रायोजन	(iii) सामाजिक रूप से पिछड़े समूह के साथ हो रही	हाँ	कर्नाटक	बेंगलूरु	15.12	नहीं	भारत के एस.ओ.एस बालग्राम	सी.एस.आर. 00000692
3	लिटल सिस्टर ऑफ पूअर इंडिया द्वारा वृद्धाश्रम में रहने वाले 300 वृद्ध लोगों के लिए तकिया और गिलाफ़ का प्रायोजन	(iii) वरिष्ठ जनों के लिए सुविधाओं की स्थापना	हाँ	कर्नाटक	बेंगलूरु	0.79	हाँ		
4	कोविड 19 के दौरान झुग्गी-झोपड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य-सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता	(i) रोकथाम सहित स्वास्थ्य देखभाल का संस्थापन	नहीं	महाराष्ट्र	मुम्बई	0.50	नहीं	कंसर्न इंडिया फाउंडेशन	
5	च्चक्र फाउंडेशन द्वारा विकसित पराबैंगनी आधारित पीपीई स्वच्छीकरण कोष्ठकछ पर अनुसंधान के लिए सहायता	(i) रोकथाम सहित स्वास्थ्य देखभाल का संस्थापन	नहीं	दिल्ली	दिल्ली	10.00	नहीं	नवोन्मेष एवं प्रौद्योगिकी अंतरण संस्थान, आइआइटी, दिल्ली	
6	कोविड 19 से उपचार हेतु 100 ऑक्सीजन सिलिंडर की ख़रीदारी	(i) रोकथाम सहित स्वास्थ्य देखभाल का संस्थापन	नहीं	तमिलनाडु	तुतिकुडि	11.51	हाँ	ज़िला प्रशासन, तुतिकुड़ि द्वारा	
7	मोबाइल आइ केयर बस का प्रायोजन	(i) रोकथाम सहित स्वास्थ्य देखभाल का संस्थापन	हाँ	कर्नाटक	बेंगलूरु	77.58	नहीं	श्रद्धा नेत्र देखभाल न्यास	
8	कोविड 19 से उपचार हेतु 10 वेंटिलेटर की ख़रीदारी	(i) रोकथाम सहित स्वास्थ्य देखभाल का संस्थापन	नहीं	केरल	मल्लपुरम	74.57	हाँ	ज़िला प्रशासन, मल्लपुरम द्वारा	
9	एमडीएम विद्यालय, चेन्नई के लिए कम्प्यूटर, पुस्तकें और उपस्कर का प्रायोजन	(ii) शिक्षा को प्रोत्साहन	नहीं	तमिलनाडु	चेन्नई	2.86	हाँ		
10	सरकारी निम्न प्राथमिक पाठशाला में अवसंरचना विकास	(ii) शिक्षा को प्रोत्साहन	नहीं	कर्नाटक	शिवमोग्ग	25.00	हाँ		

11	कुष्टरोग से प्रभावित रोगियों के लिए परिधान का प्रायोजन	(iii) सामाजिक रूप से पिछड़े समूह के साथ हो रही असमानता को कम करना	नहीं	तमिलनाडु	कोयम्बतूर	0.36	नहीं	विमल जीवन शांति कुष्टरोग कल्याण संघ	
12	युद्धोपरान्त विधवाओं/भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों के कल्याण के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान	(vi) सशस्त्र सेना से सेवा निवृत्त सैनिकों, युद्धोपरान्त विधवाओं एवं उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय	अखिल भारत			10.00	हाँ		
13	पीएम केयर फंड में योगदान		अखिल भारत			60.00	हाँ		
14	सिरसी में सौर ऊर्जा सहायक प्रणाली की स्थापना के लिए अतिरिक्त व्यय	iv) वातावरण दीर्घकालिकता सुनिश्चित करना	नहीं	कर्नाटक	Sirsi	3.16	हाँ		
					कुल	**351.92**			

₹ लाख में

अनुलग्नक-3

विगत वित्त वर्ष (वर्षों) की चालू परियोजनाओं में व्यय की गई सी.एस.आर राशि के विवरण

-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
क्र.सं	**परियोजना की पहचान**	**परियोजना का नाम**	**वित्त वर्ष जिसमें परियोजना आरंभ हुई**	**परियोजना की अवधि**	**परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि (₹ में)**	**रिपोर्टिंग वित्त वर्ष में परियोजना के लिए की गई व्यय की गई राशि (₹ लाख में)**	**रिपोर्टिंग वित्त वर्ष के अंत में व्यय की गई संचित राशि (₹ लाख में)**	**परियोजना का स्थिति- पूरी हो चुकी/जारी है**
1	गाँव गोद लेना	आदर्श ग्राम विकास- सिरा ताल्लुक का ब्रम्मसांद्रा गाँव	2016-17	5 वर्ष	381.13	35.01	337.31	जारी : कोविड 19 महामारी के कारण परियोजना में देरी
2	दलदल संरक्षण	वेम्बनाड, केरल में दलदल संरक्षण कार्यक्रम	2017-18	4 वर्ष	272.72	59.80	168.43	जारी : कोविड 19 महामारी के कारण परियोजना में देरी
3	नारी सशक्तिकरणा	परिचय फाउंडेशन के तहत ओडिशा में नारी सशक्तिकरण के अंतर्गत कागज़ से प्लेट बनानेवाली मशीन की आपूर्ति तथा स्थापना	2019-20	3 माह	7.75	7.75	7.75	पूरी हो चुकी है
4	चिकित्सीय उपकरण	सरकारी अस्पतालों में रोगी हेतु अस्पताल आवागमन के लिए वाहन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं निवारक दवा के लिए चिकित्सीय उपकरण की ख़रीदारी	2019-20	2 माह	22.40	22.40	22.40	पूरी हो चुकी है
5	सामुदायिक शौचालय	सरकारी ज़िला अस्पताल, यादगीर में सामुदायिक शौचालय परिसर का निर्माण	2019-20	9 माह	30.00	21.00	30.00	पूरी हो चुकी है
6	सामुदायिक शौचालय	एपीएमसी यार्ड, यादगीर में सामुदायिक शौचालय परिसर का निर्माण	2019-20	9 माह	30.00	21.00	30.00	पूरी हो चुकी है
7	सामुदायिक शौचालय	तुमकुरु ज़िला अस्पताल, तुमकुरु में सामुदायिक शौचालय परिसर का निर्माण (बीजापुर ज़िला अस्पताल से अंतरित)	2019-20	9 माह	30.00	21.00	30.00	पूरी हो चुकी है
8	पाँवफिरा	क्योर इंटरनेशनल इंडिया न्यास एवं आइजीआइसीएच द्वारा पाँवफिरा रोग से ग्रसित बच्चों का उपचार	2019-20		40.00	1.38	1.38	कोविड के कारण परियोजना में देरी
9	सौर प्रणाली	सिरसी, कर्नाटक के निकट सौर ऊर्जा सहायता प्रणाली की स्थापना	2019-20		29.98	14.99	30.00	पूरी हो चुकी है
10	सौर प्रणाली	श्री क्षेत्र स्वादि दिगम्बर मठ, सौंदा में सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्र की स्थापना	2019-20		12.00	6.00	12.00	पूरी हो चुकी है
11	ग्राम विकास	तेलंगाना के शादनगर के 'अन्नरम गाँव' में ग्रामीण सड़क संयोजन प्रदान करना	2019-20		18.16	18.16	18.16	पूरी हो चुकी है
				कुल	**874.14**	**228.49**	**687.43**	

(₹ लाख में)

अनुलग्नक-4

सी.एस.आर. व्यय से सृजित या संचित परिसंपत्ति से संबंधित विवरण

क्र. सं	(क) पूँजी परिसंपत्ति के सृजन या अर्जन की तिथि	(ख) पूँजी परिसंपत्ति के सृजन या अर्जन हेतु व्यय की गई सी.एस.आर राशि	(ग) प्रतिष्ठान या सार्वजनिक संस्था या लाभार्थी जिसके नाम पर यह परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि	(घ) सृजित या अर्जित पूँजी परिसंपत्ति का विवरण प्रदान करें (पूँजी परिसंपत्ति का पूरा पता एवं स्थान सहित)
1	02-07-2020	11.51	अपर समाहर्ता, तुतिकुड़ि ज़िला, तमिलनाडु	पीईएसओ प्रमाणपत्र के साथ वॉल्व सहित 100 ऑक्सीजन सिलिंडर (सरकारी ज़िला अस्पताल, तुतिकुडि ज़िला, तमिलनाडु)
2	14-07-2020	1.38	मार डायनॉसियस मेमोरियल नर्सरी एवं प्राइमरी विद्यालय, नं.7, सुरापेट में रोड, विनायकपुरम, चेन्नई-600099	एचपी डेस्कटॉप-4 सं.; लेनेवोलैपटॉप-2 सं.; नेटगियर वाइफाइ एक्सटेंडर-1 सं.; (मार डायनॉसियस मेमोरियल नर्सरी एवं प्राइमरी विद्यालय, नं.7, सुरापेट में रोड, विनायकपुरम, चेन्नई-600099 परिसर)
3	29-07-2020	0.21	मार डायनॉसियस मेमोरियल नर्सरी एवं प्राइमरी विद्यालय, नं.7, सुरापेट में रोड, विनायकपुरम, चेन्नई-600099	एम- टेबल-यूरो 02- 2 सं. (मार डायनॉसियस मेमोरियल नर्सरी एवं प्राइमरी विद्यालय, नं.7, सुरापेट में रोड, विनायकपुरम, चेन्नई-600099 का परिसर)
4	07-11-2020	74.57	ज़िला समाहर्ता, केरल-676505	सॉलिड स्टेट वेंटिलेटर (निर्माण: प्रोटॉन प्लस) - 10 सं. (ज़िला चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य), सिविल स्टेशन, मल्लपुरम
5	24-12-2020	77.58	श्रद्धा नेत्र देखभाल न्यास, सीजे वेंकटेश दास रोड, पद्मनाभनगर, बेंगलूरु-560070, कर्नाटक	नेत्र विज्ञान उपकरण सहित मोबाइल नेत्र देखभाल बस-1सं. (श्रद्धा नेत्र देखभाल न्यास, सीजे वेंकटेश दास रोड, पद्मनाभनगर, बेंगलूरु-560070, कर्नाटक)
	कुल	**165.25**		

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड क सदस्यगण

मत

हमने मेसर्स एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") की स्वसंपूर्ण इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी का लेखा परीक्षण किया है जिसके साथ दिनांक 31 मार्च, 2021 तक का तुलनपत्र, अन्य व्यापक आय के विवरण सहित लाभ तथा हानि का विवरण, नकद प्रवाह विवरणी एवं तब समाप्त हुए एक्विटी में परिवर्तन की विवरणी प्रमुख लेखा-नीतियों का सारांश और तब समाप्त हुए वर्ष के लिए व्याख्यात्मक सूचना शामिल है (अब से "स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी" के रूप में मान्य)।

हमारे विचार से तथा हमें प्राप्त सूचना एवं दिए गए विवरण के आधार पर, स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक सूचना प्रदान करती है और अधिनियम की धारा 133 में यथावर्णित, पठ्य 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की परिस्थिति संबंधी कंपनी (भारतीय लेखाविधि मानक) नियम, 2015, अन्य व्यापक आय सहित इसके लाभ, इसके नकद प्रवाह एवं समाप्त हुए वर्ष की एक्विटी में परिवर्तन सहित उपर्युक्त विवरणी भारत में सर्वमान्य लेखा-विधि सिद्धान्तों की आवश्यकताओं के अनुरूप सत्य एवं स्पष्ट दृष्टिकोण परिलक्षित करती है|

मत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत उल्लिखित लेखापरीक्षण मानक (एस.ए) के अनुरूप स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी का लेखापरीक्षण किया है। उन मानकों के अंतर्गत *वित्तीय विवरणी के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व* खण्ड के अंतर्गत अपने उत्तरदायित्व का वर्णन आगे प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में किया गया है। भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक-संहिता के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 एवं इसमें शामिल नियमों के प्रावधानों के अनुरुप हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और इन आवश्यकताओं एवं नैतिक-संहिता के अनुरूप हमने अपना नैतिक दायित्व निभाया है। हमें विश्वास है कि लेखापरीक्षण से संबंधित साक्ष्य जो हमने प्राप्त किया है वह स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी के बारे में अपने लेखापरीक्षण-मंतव्य को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

जारी व्यापार से संबंधित आर्थिक अनिश्चितता

हम स्वसंपूर्ण इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी में एक प्रतिष्ठान से ₹ 5,88,729.65 लाख [शामिल नोट में वर्णित तरीके से राशि निर्धारित की गई है एवं न्यायिक परिणाम पर निर्भर करता है] के दावे के बारे में नोट सं 43 (i)(क)(iii) एवं 45(घ) के ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं| जैसा कि वर्णित है कि घटनाक्रम या स्थितियाँ यह सूचित करती हैं कि एक तरह की आर्थिक अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी के जारी व्यापार के प्रति उल्लेखनीय संशय पैदा करती है। इन मामलों में हमारा मंतव्य किंचित भी परिवर्तित नहीं हुआ है।

तथ्यात्मक महत्ता:

हम वित्तीय विवरणी में शामिल निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :?

(क) नोट संख्या 51 एवं 52 - ग्राहकों/विक्रेताओं से बाकी बची शेषराशि नहीं प्राप्त होने की पुष्टि एवं ग्राहकों/विक्रेताओं के पास बची शेषराशि के साथ मिलान करने पर पड़ने वाला प्रभाव|

(ख) नोट संख्या 43 (i)(क)(i) के साथ पठ्य नोट संख्या 53 - विवादित कर से संबंधित कर्नाटक सरकार द्वारा लगाए गए संभावित ब्याज/शास्ति शामिल नहीं करने के बारे में।

(ग) नोट संख्या 57 जो व्यापार एवं वित्तीय विवरणी पर कोविड-19 की महामारी के कारण पड़ने वाले संभावित प्रभावों के बारे में प्रबंधन के आकलन के बारे में स्पष्ट करता है|

इन मामलों में हमारा मंतव्य किंचित भी परिवर्तित नहीं हुआ है।

स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी एवं लेखापरीक्षण विवरणी के अलावा सूचना

कंपनी के निदेशक-मंडल अन्य सूचना के लिए उत्तरदायी हैं| अन्य सूचनाओं में, वार्षिक रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट की अनुसूची सहित बोर्ड रिपोर्ट, कॉर्पोरेट शासन एवं शेयरधारक संबंधी सूचना शामिल हैं, परन्तु स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी और उसके साथ लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी पर हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है और उसपर हम कोई निश्चित निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी के हमारे लेखापरीक्षण से संबंधित हमारा उत्तरदायित्व दूसरी सूचना को पढ़ना है, और, ऐसा करते समय, यह विचार करना है कि अन्य सूचना स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी या लेखापरीक्षण में हमें प्राप्त ज्ञान या अन्यथा ग़लत आर्थिक विवरण प्रतीत होने के साथ आर्थिक रूप से अस्थिर है |

अगर, अपने द्वारा किए गए काम के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसी अन्य सूचना के साथ कोई ग़लतबयानी हुई है, तो हमें उस तथ्य को उजागर करने की आवश्यकता है| हमें इस बारे में कुछ भी उल्लेख करना नहीं है |

स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी हेतु प्रबंधन एवं शासन प्रभारी का उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में उल्लिखित बातों के अनुरूप इन स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी को तैयार करने के लिए कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 कंपनी (भारतीय लेखाविधि मानक) नियम, 2015 के साथ पठ्य के तहत वर्णित भारतीय लेखाविधि मानकों के साथ-साथ सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखाविधि सिद्धांत के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन, नकद प्रवाह एवं एक्विटी में परिवर्तन की सच्ची एवं सही स्थिति दर्शाती है | इस जिम्मेदारी में, कंपनी की परिसंपत्ति की रक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अनियमितताओं को पता लगाने एवं रोकने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखाविधि, रिकार्डों का रख-रखाव; उचित लेखा-विधि नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग; तार्किक एवं बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय एवं आकलन करना; और पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण का आरेखन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण, जो लेखाविधि रिकॉर्डों की सत्यता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी ढंग से कार्य कर रहे थे, वित्तीय विवरणी से संबंधित तैयारी एवं प्रस्तुति, जो धोखाधड़ी या इण्ड.ए.एस. भूल से उत्पन्न तथ्यात्मक ग़लत विवरण से मुक्त, सच्ची एवं सही स्थिति दर्शाते हों जिन्हें उपर्युक्त. स्वसंपूर्ण स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी की तैयारी के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है |

स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी को तैयार करने के दौरान जारी व्यापार के लिए कंपनी की योग्यता का आकलन, जारी व्यापार से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, एवं लेखाविधि के लिए जारी व्यापार के आधार के उपयोग के लिए कंपनी का निदेशक-मंडल जिम्मेदार है, सिवाय इसके कि निदेशक-मंडल कंपनी को परिनिर्धारित करने का इरादा रखते हों या काम बंद कर देना चाहें या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो

ये निदेशक-मंडल, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए भी जिम्मेदार हैं |

स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी हेतु लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा लक्ष्य उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि पूरी वित्तीय विवरणी आर्थिक ग़लत विवरण से मुक्त है, चाहे वह धोखाधड़ी से हो या भूलवश हो और वह लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा मत शामिल हो । उपयुक्त आश्वासन, एक उच्च क्षमता का आश्वासन है, परन्तु वैसी गारंटी नहीं है कि एस.ए.के अनुरूप किया गया लेखापरीक्षण हमेशा आर्थिक ग़लत विवरण का पता लगा लेगा अगर यह मौजूद होता है। ग़लत विवरण का उद्भव धोखाधड़ी से या भूलवश हो सकता है और इसे आर्थिक तभी माना जाता है अगर एकल या समेकित रूप से इन स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणियों के आधार पर प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित किया जाना संभावित प्रतीत हो।

एस.ए. के अनुरूप लेखापरीक्षण के हिस्से के तौर पर, हम पेशेवर निर्णय करते हैं और समूचे लेखापरीक्षण के दौरान पेशेवराना नज़र रखते हैं। हम,

- स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या भूल के कारण होने वाले आर्थिक ग़लत विवरण से जोख़िमों की पहचान और आकलन करते हैं, उन जोख़िमों के लिए उत्तरदायी कारणों के लिए लेखापरीक्षण की रूपरेखा तैयार करते हैं और लेखापरीक्षण प्रक्रिया निष्पादित करते हैं, तथा वैसे लेखापरीक्षण प्रमाण प्राप्त करते हैं जो हमारे मत की पुष्टि के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार प्रदान करते हैं। धोखाधड़ी के कारण दिए जाने वाले आर्थिक ग़लत विवरण की पहचान नहीं किए जाने का जोख़िम ज्यादा हो सकता है बनिस्बत कि भूल के कारण, क्योंकि धोखाधड़ी में कपट, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या वर्णन या आंतरिक नियंत्रण का रद्द किया जाना शामिल है।
- स्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखापरीक्षण की रूपरेखा तैयार करने के लिए लेखापरीक्षण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 143

(3)(i) के अंतर्गत, हम यह मत रखने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों की प्रभावोत्पादक प्रचालनीयता विद्यमान हैं।

- उपयोग में लाई जाने वाली लेखाविधि नीतियों एवं लेखाविधि आकलनों की यथार्थता तथा प्रबंधन द्वारा संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा लेखाविधि के लिए जारी व्यापार की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्य के आधार पर, निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाक्रम या स्थितियों से संबंधित आर्थिक अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी के जारी व्यापार की निरंतरता पर उल्लेखनीय संशय पैदा करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आर्थिक अनिश्चितता विद्यमान है तो अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणी से संबंधित प्रकटीकरण के प्रति इस ओर ध्यान आकर्षित करने या ऐसे प्रकटीकरण यदि अपर्याप्त हैं तो अपने विचारों में संशोधन करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। फिर भी, भविष्य के घटनाक्रम या स्थितियाँ, जारी व्यापार की निरंतरता पर विराम लगा सकती हैं।
- प्रकटीकरण एवं क्या वित्तीय विवरणी गुप्त अंतरण तथा घटनाक्रम को इसतरह प्रस्तुत करते हैं ताकि उचित प्रस्तुति प्राप्त हो सके सहित स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी की समेकित प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का मूल्यांकन करते हैं।

भौतिकत्व ही स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी में ग़लत विवरण का परिमाण है जो एकल या समेकित रूप से यह संभावना व्यक्त करता है कि वित्तीय विवरणी की यथार्थ जानकारी रखने वाले प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम, (i) अपने लेखापरीक्षण कार्यों के दायरे की योजना और अपने काम के परिणाम के मूल्यांकन तथा (ii) वित्तीय विवरणियों में किसी चिह्नित ग़लत विवरण से पड़ने वाले प्रभाव के मूल्यांकन में परिमाणात्मक भौतिकत्व एवं गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम ऐसे सभी पदाधिकारियों के साथ अन्य बातों के अलावा लेखापरीक्षण के नियोजित दायरे एवं समय तथा उल्लेखनीय लेखापरीक्षण परिणाम में शामिल आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियाँ जिनकी हम पहचान करते हैं, के बारे में बात करते हैं।

हम ऐसे सभी पदाधिकारियों को वह विवरण प्रदान करते हैं जिनका हमने स्वतंत्रता से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और सभी संबंधों एवं अन्य बातों जिनका हमारी स्वतंत्रता पर वास्तविक प्रभाव पड़ता है, और संबंधित बचाव, यदि लागू होता हो, के बारे में बात करते हैं।

उन सभी पदाधिकारियों को बताई गई बातों के आधार पर, हम उन बातों को सुनिश्चित करते हैं जो 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणियों के लेखापरीक्षण में विशेष रूप से उल्लेखनीय रही हैं और जो परिणामस्वरूप प्रमुख लेखापरीक्षण संबंधी बातें हैं। हम, विधि या अधिनियम द्वारा सार्वजनिक प्रकटीकरण पर लगने वाली रोक या किसी बेहद ख़ास परिस्थितियों में जब हम यह सुनिश्चित करते हैं कि अपनी रिपोर्ट में इन बातों के उल्लेख का ग़लत प्रभाव पड़ने वाला है जिससे सार्वजनिक हितलाभ को नुकसान होने वाला है, के अलावा इन बातों को अपनी लेखापरीक्षण रिपोर्ट में वर्णित करते हैं।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. भारत सरकार द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 11 से संबंधित कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") यथापेक्षित आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में उल्लिखित विषय वस्तुओं पर अधोलिखित "परिशिष्ट-ख" में हम विवरणी प्रस्तुत करते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथापेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) हमने अपने ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर अपनी उपर्युक्त लेखा परीक्षा के लिए सभी सूचनाओं की माँग की एवं उन्हें प्राप्त किया है;

   (ख) हमारे विचार से, उपर्युक्त वित्तीय विवरणी की तैयारी से संबंधित कंपनी के पास विधिसम्मत उपयुक्त लेखा-बही है, जैसा कि इनकी परीक्षाओं से परिलक्षित होता है;

   (ग) इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहृत, तुलनपत्र, लाभ तथा हानि लेखा, नकद प्रवाह विवरणी, एक्विटी में परिवर्तन की विवरणी खाता-बही के अनुरूप है;

   (घ) हमारे विचार से, उपर्युक्त स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी, अधिनियम की धारा 133, कंपनी (भारतीय लेखाविधि

मानक) नियम 2015, यथासंशोधित में वर्णित लेखाविधि मानकों के अनुरूप है|

(ङ) यह कंपनी, भारत सरकार की कंपनी है, इसलिए अधिनियम की धारा 164(2) के निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान एवं अधिनियम की धारा 197 के तहत प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित मामले दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना सं.जी.एस.आर. 463 (ई) के कारण कंपनी के लिए लागू नहीं है ।

(च) कंपनी की इन स्वसंपूर्ण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संदर्भ में एवं ऐसे नियंत्रण के परिचालन प्रभावोत्पादकता के लिए “परिशिष्ट-क” में अलग से प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट का संदर्भ लें ।

(छ) कंपनी (लेखापरीक्षण एवं लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11, यथा संशोधित, के अनुरूप लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल अन्य बातें, मेरे मतानुसार एवं हमारी सूचनाओं के आधार पर तथा हमें दी गई व्याख्या के अनुसार, के संदर्भ में :-

i. कंपनी ने अपनी स्वसंपूर्ण इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मामलों में पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख किया है । स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी के नोट 45 का संदर्भ लें ।

ii. कंपनी दीर्घावधि संविदा में शामिल नहीं हुई है जहाँ लागू होने वाले नियम या लेखाविधि मानकों के तहत यथापेक्षित आर्थिक हानि जिसकी स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी में प्राप्यता की आवश्यकता है । इसके अलावा, कंपनी किसी व्युत्पन्न संविदा में भी शामिल नहीं हुई है ।

iii. कंपनी के पास कोई ऐसी राशि नहीं है जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं बचाव निधि में हस्तांतरित किया जाए ।

कंपनी की लेखा और अभिलेख की जाँच के आधार पर, जिसे हम उचित मानते हैं और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश एवं उपनिर्देश के आधार पर अधिनियम की धारा 143 (5) की शर्तों के अनुरूप, हम “परिशिष्ट-ग” के तौर पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं|

कृते राव ॲसोसिएट
सनदी लेखाकार
(प्रतिष्ठान सं. 003080एस)

हस्ता/
(जी सुधीन्द्रा)
भागीदार
सदस्य सं.026171

बेंगलूरु
दिनांक : 09 जुलाई, 2021

यूडीआइएन: 21026171 एएएएबीवी3352

"अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 2(च) के परिशिष्ट 'क' से संबंधित 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की लेखा-संबंधी लेखापरीक्षक रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने मेसर्स एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 31 मार्च, 2021 तक की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षण किया है जो उस तिथि तक समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी की स्वसंपूर्ण वित्तीय लेखा के लेखा परीक्षण से संयोजित है|

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

भारत के सनदी लेखाकार संस्थान (आइ.सी.ए.आइ.) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण पर दिशानिर्देश नोट ("दिशानिर्देश नोट") में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए वित्तीय नियंत्रण की स्थापना एवं अनुरक्षण हेतु कंपनी का प्रबंधन उत्तरदायी है| इन उत्तरदायित्वों में व्यापार का सुचारु एवं सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल है और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथापेक्षित कंपनी की नीतियाँ, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, लेखाविधि अभिलेखों की सत्यता एवं पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर तैयारी भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व:

हमारा उत्तरदायित्व कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर इन स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में अपने लेखापरीक्षण पर आधारित अपना मत प्रकट करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत विहित लेखा परीक्षण दिशानिर्देश नोट एवं मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया है, उस सीमा तक जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण हेतु लागू है और दोनों भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया है| इन मानकों तथा दिशानिर्देश नोट के लिए यह आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और योजना बनाएँ तथा इन स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित करें और ऐसे सभी महत्वपूर्ण पहलुएँ प्रभावशाली ढंग से प्रचालित किए गए या नहीं, इसके बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षण संपन्न करें।

हमारे लेखापरीक्षण में, इन स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग एवं उनकी परिचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता के विषय में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षण प्रमाण प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल हैं| वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण में इन स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग से जुड़े आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वस्तुगत कमी से संबंधित जोख़िम का आकलन करना और आकलित जोख़िम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के परिरूप तथा प्रचालनीय प्रभावोत्पादकता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है। इसके लिए चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है जिसमें वित्तीय विवरणी में, धोखाधड़ी से या भूलवश की गई वस्तुपरक ग़लत बयानी से उत्पन्न जोख़िम का आकलन शामिल है|

हमें विश्वास है कि लेखापरीक्षण प्रमाण जो हमने प्राप्त किए हैं,वे कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली से जुड़े इन स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में वित्तीय नियंत्रण के बारे में अपने लेखापरीक्षण मत प्रकट करने के लिए आधार के तौर पर पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं|

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

एक कंपनी की इन स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता से संबंधित उचित आश्वासन तथा सामान्यतया स्वीकृत लेखाविधि सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणी की तैयारी प्रदान होती हैं| एक कंपनी की इन स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) कंपनी की परिसंपत्ति के अंतरण एवं वितरण की सटीक एवं सही, उचित विवरण सहित, अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं। (2) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि अभिलिखित

अंतरण सामान्यतया स्वीकृत लेखाविधि के अनुसार वित्तीय विवरणी तैयार करने की अनुमति हेतु आवश्यक है और कंपनी की प्राप्ति एवं व्यय कंपनी के निदेशकों एवं प्रबंधन के प्राधिकार के अनुरूप तैयार किए जाते हैं। और, (3) कंपनी की परिसंपत्ति की अनधिकृत प्राप्ति, उपयोग या वितरण से संबंधित समय पर पहचान या रोकथाम के लिए उचित आश्वासन प्रदान करती हैं जिसका वित्तीय विवरणी पर वस्तुपरक प्रभाव पड़ता हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमा

इन स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमन के कारण मिलीभगत की संभावनाओं या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन प्रत्यादेश के कारण, भूल या धोखाधड़ी के कारण वस्तुपरक ग़लतबयानी हो सकती है और जिसकी पहचान नहीं की जा सकती। साथ ही, भविष्य के लिए इन स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का प्रक्षेप जोख़िम भरा है। इस कारण, इन स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन का स्तर घट सकता है।

मत

हमारे मत से एवं हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, सभी आर्थिक पहलुओं में, विशिष्ट मत के आधार के अनुच्छेद में वर्णित उन बातों के सिवाय कंपनी के पास इन स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और ऐसी वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण पर भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आधारित ऐसी वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2021 तक प्रभावी ढंग से प्रचालित हो रहे थे।

कृते राव ॲसोसिएट
सनदी लेखाकार
(प्रतिष्ठान सं. 003080एस)

ह्स्ता/
(जी सुधीन्द्रा)
भागीदार
सदस्य सं.026171

बेंगलूरु
दिनांक : 09 जुलाई, 2021
यूडीआइएन: 21026171 एएएएबीवी3352

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलूरु के सदस्यों के लिए "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 1 के परिशिष्ट "ख" से संबंधित हमारी रिपोर्ट

(i) **स्थाई परिसंपत्ति के संबंध में:**

(क) कंपनी, अपनी स्थाई परिसंपत्ति के परिमाणात्मक विवरण तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण देने के लिए उचित अभिलेख अनुरक्षित कर रही है।

(ख) प्रबंधन से हमें मिली सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, चल स्थाई परिसंपत्ति के वस्तुगत सत्यापन के लिए कंपनी के पास नियमित वार्षिक योजना है। वर्ष के दौरान, प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध तरीके से स्थाई परिसंपत्ति का वस्तुगत सत्यापन किया गया है और हमें दी गई सूचना एवं व्याख्या के अनुसार स्थायी परिसंपत्ति की जाँच के दौरान कोई भी कमी नहीं पाई गई है।

(ग) कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है।

(ii) **वस्तुसूची के संदर्भ में**

वस्तुसूची के संदर्भ में, वर्ष के दौरान प्रबंधन ने उचित अंतराल पर वस्तुसूची का वस्तुगत सत्यापन किया है और वस्तुगत सत्यापन के दौरान कोई कमी नहीं पाई गई थी।

(iii) **ऋण एवं अग्रिम**

हमारे मत से एवं हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण, किसी कंपनी, प्रतिष्ठान, सीमित देयता भागीदारी या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत शामिल अन्य पक्षों को नहीं दिया है। तदनुसार, उक्त आदेश के उपबंध 3 (iii) (क) से (ग) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

(iv) **ऋण, निवेश एवं गारंटी**

हमारे मत से एवं हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 तथा 186 के तहत कोई ऋण नहीं दिया है या कोई निवेश नहीं किया है या कोई गारंटी एवं प्रतिभूति नहीं दिया है, अतएव आदेश के उपबंध 3(iv) लागू नहीं होते हैं।

(v) **जमा राशि की स्वीकृति**

कंपनी ने, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 के अभिप्राय तथा कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014, यथासंशोधित के अंतर्गत कोई जमा स्वीकार नहीं की है। अतएव, आदेश के उपबंध 3(v) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

vi) **लागत अभिलेख का अनुरक्षण**

केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत कंपनी के किसी भी व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए लागत अभिलेख के अनुरक्षण का उल्लेख नहीं किया है। इसप्रकार, आदेश के उपबंध 3(vi) के प्रावधान कंपनी के लिए नहीं होते हैं।

(vii) **सांविधिक बकाया से संबंधित**

(क) सांविधिक बकायों से संबंधित प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं लेखा तथा अभिलेखों की अपनी जाँच के आधार पर कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल एवं सेवा कर, बिक्रीकर, कर्मचारी कल्याण उपकर सहित ग़ैर-विवादित सांविधिक बकाये को सामान्यतया नियमित तरीके से जमा कराती रही है। तुलनपत्र की तिथि से देय तिथि तक 6 महीने की अवधि से अधिक के किसी सांविधिक बकाये के भुगतान में कोई देरी नहीं देखी गई है।

(ख) हमें प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, विवाद के कारण, सेवाकर (वित्त अधिनियम, 1994 का अध्याय V) एवं बिक्री कर (कर्नाटक वैट), कंपनी द्वारा जमा नहीं कराए गए हैं :

(viii) **ऋण/उधारी का पुनः भुगतान**

हमारे मत से तथा हमारे पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, कंपनी ने न तो वित्तीय संस्थानों, सरकार, बैंकों से कोई राशि उधार ली है और न ही, कोई डिबेंचर जारी किया है।

क्रम सं.	अध्यादेश का नाम	बकाये की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	बकाये की अवधि	न्यायालय जहाँ मामला लंबित है
1	वित्त अधिनियम 1994 का पृष्ठ V	सेवाकर	2,663.93	01 जुलाई, 2012 से 30 सितम्बर, 2013 तक	केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील अधिकरण (सी.ई.एस. टी.ए.टी), बेंगलूरु
2	वित्त अधिनियम 1994 का पृष्ठ V	सेवाकर	753.47	01 अक्तूबर, 2013 से 30 सितम्बर, 2014 तक	केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील अधिकरण (सी.ई.एस. टी.ए.टी), बेंगलूरु
3	वित्त अधिनियम 1994 का पृष्ठ V	सेवाकर	3,636.18	01 अक्तूबर, 2014 से 30 सितम्बर, 2015 तक	केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील अधिकरण (सी.ई.एस टी.ए.टी), बेंगलूरु
4	कर्नाटक वैट अधिनियम, 2005 एवं केंद्रीय बिक्री कर, 1956	के.वी.ए.टी एवं केंद्रीय बिक्री कर	20,595.56	01 अप्रैल, 2005 से 31 जुलाई, 2008 तक	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय
5	कर्नाटक वैट अधिनियम, 2005 एवं केंद्रीय बिक्री कर, 1956	के.वी.ए.टी एवं केंद्रीय बिक्री कर	7,109.80	01 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2010 तक	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय
6	कर्नाटक वैट अधिनियम, 2005	के.वी.ए.टी	20,320.02	01 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय
7	कर्नाटक वैट अधिनियम, 2005	के.वी.ए.टी	20,577.15	01 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय
8	कर्नाटक वैट अधिनियम, 2005	के.वी.ए.टी	23,325.87	01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय
9	कर्नाटक वैट अधिनियम, 2005	के.वी.ए.टी	26,183.62	01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय
10	कर्नाटक वैट अधिनियम, 2005	के.वी.ए.टी	26,328.42	01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय
कुल			**1,51,494.02**		

इसप्रकार, आदेश के उपबंध 3(viii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते है|

(ix) **सार्वजनिक प्रस्ताव**

हमें प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अगले सार्वजनिक प्रस्ताव ऋण पत्रक सहित द्वारा कोई उगाही नहीं की है। इसके अलावा, कंपनी ने बैंकों या वित्तीय संस्थानों से आवधि ऋण नहीं लिया है।

(x) **कंपनी या इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी**

हमें प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखापरीक्षण की अवधि के दौरान, कंपनी द्वारा धोखाधड़ी की कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई है या कोई धोखाधड़ी देखी गई या रिपोर्ट की गई है।

वर्ष के दौरान, विगत वर्षों में कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी ने एक ग्राहक के साथ मिलकर उस ग्राहक को एक संविदा प्रदान करवाया जिसकारण पंचाट परिनिर्णय में परिनिर्णय पूर्व और परिनिर्णय पश्चात् ब्याज सहित कंपनी के विरुद्ध 562.50 करोड़ के अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी का मामला जाँच अधिकारी की रिपोर्ट के बाद सामने आया | जाँच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर कंपनी से की गई धोखाधड़ी के लिए कंपनी की ओर से कार्रवाई की गई है जिसका उल्लेख नोट सं. 43(i)(क)(iii) एवं नोट सं. 45(घ) में यथावर्णित स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणियों में किया गया है|

लेखापरीक्षण की अवधि के दौरान, कंपनी द्वारा धोखाधड़ी की कोई अन्य घटना रिपोर्ट नहीं की गई है या नहीं देखी गई है।

(xi) प्रबंधकीय पारिश्रमिक

यह कंपनी, भारत सरकार की कंपनी है, अतएव, अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसप्रकार आदेश के उपबंध 3(xi) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

(xii) निधि कंपनी

हमारे मत से, कंपनी, कोई निधि कंपनी नहीं है। इसप्रकार, आदेश के उपबंध 3(xii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं, अत: कोई टिप्पणी नहीं की जाती है।

(xiii) संबंधित पक्षों के साथ अंतरण

प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ अंतरण यथा लागू कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 का अनुपालन करते हैं और लागू होने वाले लेखा विधि मानकों द्वारा यथापेक्षित वित्तीय विवरणी में इनके विवरण उल्लिखित किए गए हैं।

(xiv) अधिमान्य आबंटन या निजी स्थानन

कंपनी ने, वर्ष के दौरान, शेयरों का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी स्थानन या पूर्णत: परिवर्तनीय डिबेंचर जारी नहीं किया है | इसप्रकार आदेश के उपबंध 3(xiv) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

(xv) ग़ैर नकदी अंतरण

प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 में यथासंदर्भित, कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई ग़ैर नकदी अंतरण नहीं किया है।

(xvi) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I अ के तहत पंजीकरण

हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I अ के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

कृते राव ॲसोसिएट
सनदी लेखाकार
(प्रतिष्ठान सं. 003080एस)

ह्स्ता/
(जी सुधीन्द्रा)
भागीदार
सदस्य सं.026171

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 09 जुलाई, 2021
यूडीआइएन : 21026171 एएएबीवी3352

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट हेतु परिशिष्ट-ग

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों के लिए हमारे समसंख्यक रिपोर्ट "अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" से संबंधित

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (5) 143के तहत निर्देश

क्र सं.	निर्देश	उत्तर
1	क्या कंपनी के पास आइटी प्रणाली से सभी लेखाविधि अंतरण किए जाने की प्रणाली स्थापित है ? यदि हाँ, तो आइटी से अलग लेखाविधि अंतरण प्रक्रिया पर लेखा के एकीकरण सहित वित्तीय प्रभाव पड़ने के कारणों, यदि कोई हों, का उल्लेख करें।	कंपनी सभी वित्तीय एवं लेखाविधि अंतरण के सभी अभिलेखों के लिए टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है। टैली में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ बाहर से की जाती हैं: 1. विदेशी प्राप्ति एवं देयता का स्थानांतरण; 2. कर्मचारी लाभ व्यय की गणना 3. बिक्री बीजक का सृजन ये अंतरण स्थापित उचित प्रणाली द्वारा नियंत्रित एवं अनुवीक्षित हैं।
2	क्या कृपया कंपनी द्वारा ऋण की फिर से अदायगी में अक्षम होने के कारण वर्तमान उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि को छोड़ देने या बट्टे खाते में डालने के लिए पुन: संरचनाबद्ध किया गया है? यदि हाँ, तो उसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।	कंपनी के पास कोई ऋण नहीं है, अतएव यह अनुच्छेद लागू नहीं है।
3	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि उचित लेखाविधि तैयार शर्तों के अनुरूप उपयोग किए गए हैं? विचलन के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	कंपनी ने, केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए न तो कोई निधि प्राप्त की है और न ही कोई प्राप्तियाँ बाकी हैं।

कृते राव असोशिएट
सनदी लेखाकार
(प्रतिष्ठान सं. 003080एस)

ह्स्ता/
(जी सुधीन्द्रा)
भागीदार
सदस्य सं.026171

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 09 जुलाई, 2021
यूडीआइएन : 21026171 एएएएबीवी3352

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रारूपित टिप्पणी

दिनांक 31 मार्च, 2021 वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में विनिर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य-ढाँचे के अनुसार एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणी तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षकगण, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानक के अनुसार स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा करते हुए इन वित्तीय विवरणियों पर अधिनियम की धारा 143 के तहत अपना विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है/हैं। दिनांक 09.07.2021 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा किए जाने के बारे में उल्लेख है।

मैंने, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की तरफ़ से 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणी की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य-संबंधी कागज़ात प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्राथमिक रूप से यह सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ एवं कुछ चुनिंदा परीक्षण तक ही सीमित है।

अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, कुछ भी विशेष मेरे संज्ञान में नहीं आया है जिसकारण अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जा सके या परिशिष्ट तैयार की जाए।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-

(संजय कुमार झा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 23.09.2021

विस्तृत वित्तीय विवरणी

31.03.2021 तक तुलन पत्र

राशि ₹ लाख में

विवरण	नोट सं.	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि तक के आँकड़े (पुनरुक्त)
परिसंपत्ति:			
(1) दीर्घकालीन परिसंपत्ति			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	4	1,021.93	1,140.93
(ख) अन्य अमूर्त परिसंपत्ति	4ए	38.50	63.71
(ग) उपयोगाधिकार परिसंपत्ति	5	261.51	266.96
(घ) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) ऋण	6	1.15	0.67
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	7	11,231.40	27,971.32
(ङ.) अन्य दीर्घकालीन परिसंपत्ति	8	27,842.49	14,905.60
(च) आस्थगित कर परिसम्पत्ति	32	3,099.97	3,170.77
कुल दीर्घकालीन परिसंपत्ति		43,496.95	47,519.96
(2) चालू परिसंपत्ति			
(क) सूची	9	16.63	39.76
(ख) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) व्यापार प्राप्तियाँ	10	41,867.25	1,18,037.02
(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	11	348.17	133.15
(iii) उपर्युक्त (iii) के अलावा बैंक बचत	12	87,330.30	52,413.30
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	13	7,926.41	5,005.73
(ग) अन्य चालू परिसंपत्ति	14	9,570.47	22,560.58
कुल चालू परिसंपत्ति		**1,47,059.23**	**1,98,189.54**
कुल परिसंपत्ति		**1,90,556.18**	**2,45,709.50**
एक्विटी एवं देयता:			
(1) एक्विटी			
(क) एक्विटी शेयर पूँजी	15	680.00	680.00
(ख) अन्य एक्विटी	16	1,56,051.45	1,58,976.88
कुल एक्विटी		1,56,731.45	1,59,656.88
(2) देयता			
दीर्घकालीन देयता			
(क) प्रावधान	17	39.97	50.56
(ख) अन्य दीर्घकालीन देयता	18	250.22	250.71
कुल दीर्घकालीन देयता		290.19	301.27
चालू देयता			
(क) वित्तीय देयता			
(i) व्यापार देय			
(अ) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	19	9.60	11.16

(ब) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को छोड़कर लेनदारों की कुल बकाया राशि		24,013.00	68,617.24
(ii) अन्य वित्तीय देयता	20	2,320.17	6,029.20
(ख) अन्य चालू देयता	21	6,361.02	10,531.75
(ग) प्रावधान	22	830.75	562.00
कुल चालू देयता		33,534.54	85,751.35
कुल एक्विटी एवं देयता		**1,90,556.18**	**2,45,709.50**
संलग्न नोट सं. 1 से 59 इन वित्तीय विवरणियों के अभिन्न अंग हैं।			

हमारी संलग्न समतिथीय रिपोर्ट के अनुसार
कृते राव असोशिएट
सनदी लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीयन सं.: 003080 एस

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआइएन 07039575

हस्ता/-
(जी सुधीन्द्रा)
भागीदार
आइसीएआइ सदस्य सं. 026171
बेंगलूरु
तिथि: 09 जुलाई 2021

हस्ता/-
(संजय कुमार अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)
डीआइएन 08200144
बेंगलूरु
तिथि: 09 जुलाई 2021

31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि लेखा

राशि ₹ लाख में

	विवरण	नोट सं.	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि तक के आँकड़े (पुनरुक्त)
I	प्रचालनों से राजस्व	23	65,438.12	1,44,350.42
II	अन्य आय	24	5,520.08	5,912.03
III	**कुल आय** (I+II)		**70,958.20**	**1,50,262.45**
IV	व्यय:			
	(i) प्रचालनों से राजस्व की लागत	25	60,668.75	1,05,330.44
	(ii) पूरे माल की खरीदारी	26	-	21.25
	(iii) माल की सूची में परिवर्तन	27	23.14	41.78
	(iv) कर्मचारी लाभ व्यय	28	351.24	500.06
	(v) वित्त लागत	29	22.30	22.34
	(vi) मूल्यह्रास व संक्रामण व्यय	4,4अ & 5	175.61	161.06
	(vii) अन्य व्यय	30	1,994.69	14,481.04
	कुल व्यय (IV)		**63,235.73**	**1,20,557.97**
V	विशिष्ट मद एवं कर पूर्व लाभ (III-IV)		7,722.47	29,704.48
VI	कर व्यय :		-	-
VII	कर पूर्व लाभ (V-VI)		7,722.47	29,704.48
VIII	कर व्यय:			
	(i) चालू कर :			
	(अ) वर्तमान वर्ष		2,080.56	10,773.13
	(ब) पिछले वर्ष		-	(193.81)
	(ii) आस्थगित कर	31	70.79	(2,943.93)
IX	**चालू प्रचालनों से उक्त अवधि के लिए लाभ** (VII-VIII)		**5,571.12**	**22,069.09**
X	अन्य व्यापक आय			
	क (i) सामग्री जिसे लाभ एवं हानि में पुनर्वगीकृत नहीं किया जाएगा। निर्धारित लाभ योजना का पुनर्मापन		4.63	(6.47)
	सामग्री से संबंधित आयकर जिसे लाभ एवं हानि में पुनर्वगीकृत नहीं किया जाएगा।		(1.17)	1.63
XI	ख (i) सामग्री जिसे लाभ एवं हानि में पुनर्वगीकृत किया जाएगा।		-	-
	ख (ii) सामग्री से संबंधित आयकर जिसे लाभ एवं हानि में पुनर्वगीकृत किया जाएगा।		-	-
	कुल अन्य व्यापक आय/(हानि)		3.46	(4.84)
	उक्त अवधि के लिए कुल व्यापक आय (X+XI)(उक्त अवधि के लिए लाभ (हानि) तथा अन्य व्यापक आय शामिल)		**5,574.58**	**22,064.25**
XIII	प्रति एक्विटी शेयर आय (चालू प्रचालन के लिए):			
	(1) मौलिक/समायोजित (₹)		819.28	3,245.45
	(2) अवमिश्रित (₹)		819.28	3,245.45

संलग्न नोट सं. 1 से 59 इन वित्तीय विवरणियों के अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न समतिथीय रिपोर्ट के अनुसार
कृते राव असोशिएट
सनदी लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीयन सं.: 003080 एस

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआइएन 07039575

हस्ता/-
(जी सुधीन्द्रा)
भागीदार
आइसीएआइ सदस्य सं. 026171
बेंगलूरु
तिथि: 09 जुलाई 2021

हस्ता/-
(संजय कुमार अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)
डीआइएन 08200144
बेंगलूरु
तिथि: 09 जुलाई 2021

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी

राशि ₹ लाख में

	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि तक के आँकड़े (पुनरुक्त)
क. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	**7,727.09**	**29,697.99**
समायोजन:		
वित्त लागत (पट्टा देयता)	22.30	22.34
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	175.61	161.07
संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	(322.14)	6,729.20
नकद और नकद समतुल्य से अप्राप्य विदेशी मुद्रा लाभ	(4.65)	(5.33)
सरकारी अनुदान से आय	(22.69)	(22.69)
अचल संपत्ति की बिक्री से हानि	0.29	-
म्यूचुअल निधि से लाभांश आय	-	(154.87)
बैंक जमा राशि से प्राप्त ब्याज आय	(4,176.39)	(5,365.24)
कार्यरत पूँजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ	**3,399.42**	**31,062.47**
परिसंपत्ति एवं देयता में परिवर्तन		
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी - ऋण	(0.48)	0.17
अन्य दीर्घकालीन वित्तीय परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी	16,739.92	(10,220.69)
अन्य दीर्घकालीन परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी	(12,936.89)	42,411.68
वस्तु-सूची में (वृद्धि)/कमी	23.14	41.78
व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	76,491.90	(42,472.21)
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी	(2,920.68)	1,541.68
अन्य चालू परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी	12,990.12	(1,565.28)
अन्य दीर्घकालीन वित्तीय देयता में (वृद्धि)/कमी	-	(14.90)
अन्य दीर्घकालीन देयता में (वृद्धि)/कमी	-	(6,904.68)
अन्य दीर्घकालीन प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	(10.59)	23.18
व्यापार देय में (वृद्धि)/कमी	(44,605.80)	3,709.98
अन्य चालू वित्तीय देयता में (वृद्धि)/कमी	(3,709.04)	(6,815.96)
अन्य दीर्घकालीन देयता में (वृद्धि)/कमी	(4,170.74)	(9,896.99)
अन्य चालू प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	268.75	556.33
प्रचालन-जनित नकद	**41,559.03**	**1,456.56**
घटाइए: आयकर प्रदत्त (निवल)	(2,081.72)	(10,577.68)
प्रचालनीय क्रियाकलापों से प्राप्त/(में प्रयुक्त) निवल नकद	**39,477.31**	**(9,121.12)**
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
अन्य बैंक शेषराशि में (वृद्धि)/कमी	(34,917.00)	7,723.63
स्थाई परिसंपत्ति की बिक्री/(ख़रीद)	(26.46)	(39.67)
स्थाई परिसंपत्ति की बिक्री	0.23	-
निवेश की बिक्री/(ख़रीद)	-	3,995.60

म्यूचुअल फंड से लाभांश आय	-	154.87
बैंक में जमा से प्राप्त आय	4,176.39	5,365.24
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद	**(30,766.84)**	**17,199.67**
ग. वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
पट्टा देयता के भुगतान पर ब्याज	(0.10)	(0.10)
प्रदत्त लाभांश	(8,500.00)	(8,500.00)
वितरित लाभांश का कर भुगतान	-	(1,747.20)
वित्तीय क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकद	**(8,500.10)**	**(10,247.30)**
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि	**210.37**	**(2,168.75)**
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद समतुल्य (नोट 13 का संदर्भ लें)	133.15	2,296.57
नकद एवं नकद समतुल्य पर विनिमय दरों में बदलाव से पड़ने वाले प्रभाव	4.65	5.33
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य (नोट 13 का संदर्भ लें)	**348.17**	**133.15**

क) कंपनी (भारतीय लेखाविधि मानक) नियम, 2015 द्वारा जारी नकद प्रवाह विवरणी संबंधी इण्ड एएस-7 में यथा निर्दिष्ट "परोक्ष विधि" के अंतर्गत उपर्युक्त नकद प्रवाह विवरणी तैयार की गई है।

ख) आवश्यकतानुसार, पिछले वर्ष के आँकड़े पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किए गए हैं।

ग) **नकद एवं नकद समतुल्य के अंग**

बैंक में शेष	348.00	133.07
नकद	0.11	0.06
कर्मचारियों के पास अग्रदाय नकद	0.06	0.02
	348.17	**133.15**

संलग्न नोट सं. 1 से 59 इन वित्तीय विवरणियों के अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न समतिथीय रिपोर्ट के अनुसार
कृते राव असोशिएट
सनदी लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीयन सं.: 003080 एस

हस्ता/-
(जी सुधीन्द्रा)
भागीदार
आइसीएआइ सदस्य सं. 026171
बेंगलूरु
तिथि: 09 जुलाई 2021

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआइएन 07039575

हस्ता/-
(संजय कुमार अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)
डीआइएन 08200144
बेंगलूरु
तिथि: 09 जुलाई 2021

31.03.2021 को समाप्त हुई अवधि के लिए एक्विटी में परिवर्तन की विवरणी

राशि ₹ लाख में

क. एक्विटी शेयर पूँजी		31.03. 2021 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2020 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनर्युक्त)
(i)	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष	680.00	680.00
(ii)	वर्ष के दौरान एक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	-	-
(iii)	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष	680.00	680.00

राशि ₹ लाख में

ख. अन्य एक्विटी	रिज़र्व एवं अधिशेष						कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालिक क्रियाकलाप निधि		अन्य व्यापक आय की अन्य सामग्री		कुल	
विवरण	सामान्य रिज़र्व		पूँजी पुनर्लाभ रिज़र्व (सांविधिक)		प्रतिधारित आय (अधिशेष)							
	31.03. 2021 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2020 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनर्युक्त)	31.03. 2021 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2020 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनर्युक्त)	31.03. 2021 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2020 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनर्युक्त)	31.03. 2021 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2020 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनर्युक्त)	31.03. 2021 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2020 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनर्युक्त)	31.03. 2021 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03. 2020 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनर्युक्त)
(i) रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष	1,06,614.10	1,06,614.10	60.00	60.00	52,311.99	39,249.63	-	1,240.48	(9.22)	(4.38)	1,58,976.87	1,47,159.83
(ii) लाभांश	-	-	-	-	(8,500.00)	(8,500.00)	-	-	-	-	(8,500.00)	(8,500.00)
(iii) प्रतिधारित आय का स्थानांतरण (वर्तमान अवधि के लाभ का स्थानांतरण)	-	-	-	-	5,571.12	22,069.09	-	-	-	-	5,571.12	22,069.09
(iv) कोई अन्य परिवर्तन:												
(क) हस्तानांतरण	-	-	-	-	-	1,240.48	-	(1,240.48)	-	-	-	-
(ख) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालिक क्रियाकलाप व्यय (संलग्न सीएसआर विवरण के अनुसार)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(ग) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालिक क्रियाकलाप के लिए बजटीय आबंटन का अंतरण (संलग्न सीएसआर विवरण के अनुसार)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) वितरित लाभ पर कर (लाभांश वितरण कर)	-	-	-	-	-	- (1,747.20)	-	-	-	-	-	(1,747.20)
(ङ.) उपदान के बीमांकन मूल्यांकन पर इण्ड एएस मापन एवं उसपर कर का प्रभाव	-	-	-	-	-	-	-	-	3.46	(4.84)	3.46	(4.84)
(v) **रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष**	**1,06,614.10**	**1,06,614.10**	**60.00**	**60.00**	**49,383.11**	**52,312.00**	**-**	**0.00**	**(5.76)**	**(9.22)**	**1,56,051.45**	**1,58,976.88**

नोट :

1. सामान्य रिज़र्व : यह अर्जित आय से सृजित मुक्त रिज़र्व है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप उपयोग के लिए है।
2. मूलधन विमोचन रिज़र्व: कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, मूलधन विमोचन रिज़र्व का सृजन तब होता है जब कंपनी मुक्त रिज़र्व या प्रतिभूति अग्रधन से अपने शेयर स्वयं ख़रीदती है। नाममात्र मूल्य के ख़रीदे गए शेयर के बराबर की राशि मूलधन विमोचन रिज़र्व में हस्तांतरित की गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 के प्रावधानों के अनुरूप इस रिज़र्व का उपयोग किया जाता है।

संलग्न नोट सं. 1 से 59 इन वित्तीय विवरणियों के अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न समतिथीय रिपोर्ट के अनुसार
कृते राव एसोशिएट
सनदी लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीयन सं.: 003080 एस

हस्ता/-
(जी सुधीन्द्रा)
भागीदार
आइसीएआइ सदस्य सं. 026171
बेंगलूरु
तिथि:09 जुलाई 2021

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआइएन 07039575

हस्ता/-
(संजय कुमार अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)
डीआइएन 08200144
बेंगलूरु
तिथि:09 जुलाई 2021

वित्तीय विवरणी के नोट

1. कंपनी का विहंगमावलोकन

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (“एन्ट्रिक्स” या “कंपनी”) भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम द्वारा विकसित उत्पादों तथा सेवाओं के विपणन में शामिल है। एन्ट्रिक्स, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। एन्ट्रिक्स, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का वाणिज्यिक अंग है।

एन्ट्रिक्स के व्यापारिक क्रियाकलाप इस प्रकार हैं:

- संचार उपग्रह प्रेषानुकर का प्रावधान
- भारतीय सुदूर संवेदन (आइ.आर.एस.) हेतु अभिगमन प्रदान करना
- ग्राहक सेवाओं हेतु उपग्रह प्रमोचन सेवाएँ प्रदान करना
- भारतीय एवं विदेशी सुदूर संवेदन उपग्रहों से प्राप्त आँकड़ों का विपणन
- उपग्रह, उपग्रह उपप्रणाली एवं प्रमोचन यान उपप्रणाली का निर्माण एवं विपणन
- अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए संबद्ध भू-अवसंरचना स्थापित करना; तथा
- उपग्रह के लिए मिशन सहायता सेवाएँ।

अंतरिक्ष भवन परिसर, न्यू बी.ई.एल रोड, बेंगलूरु-560094 में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

निदेशकमंडल ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी को अनुमोदन प्रदान किया और इसे 09 जुलाई, 2021 को जारी करने के लिए अधिकृत किया।

2. तैयारी का आधार

(क) अनुपालन-विवरण

ये वित्तीय विवरणी प्रोद्भवन के आधार पर ऐतिहासिक लागत के तहत भारतीय लेखा मानक (इण्ड ए.एस.) के अनुरूप तैयार किए गए हैं सिवाय कुछ वित्तीय संलेखों के जिनका मापन उचित मूल्यों, कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 133 के तहत अधिसूचित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्य प्रावधानों के आधार पर किया गया है।

वर्गीकरण विभाजन से संबंधित वित्तीय विवरणी इण्ड ए.एस.1, वित्तीय विवरणी की प्रस्तुति में समाविष्ट है। स्पष्टता के लिए, लाभ तथा हानि लेखा एवं तुलनपत्र में कई मद समेकित किए गए हैं। ये मद, वित्तीय विवरणी की नोट, जहाँ कहीं भी लागू हो, में अलग से रखे गए हैं।

जहाँ नए जारी किए गए लेखा मानक प्रारंभ में अपनाए गए हों या उस समय उपयोग में आने वाली लेखाविधि नीतियों में बदलाव के लिए विद्यमान लेखा मानक में संशोधन जरूरी हुआ हो, को छोड़ कर लेखाविधि नीतियाँ सुसंगत ढंग से लागू की गई हैं।

(ख) प्रकार्यात्मक एवं प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरणी भारतीय रुपए (₹), जो कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा है, में प्रस्तुत की गई है। सभी राशियाँ निकटतम लाख के मान में पूर्ण की गई हैं।

(ग) नए लेखाविधि मानक का उपयोग

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए कोई नई लेखाविधि मानक अधिसूचित नहीं की गई थी या लागू हुई है। फिर भी, सरकार ने दिनांक 24 जुलाई 2020 को जारी अधिसूचना द्वारा कुछ विद्यमान मानकों में संशोधन जारी किए है जिनका वर्णन निम्नवत् है:

(अ) इण्ड ए.एस.103 - व्यापार समंजन

किए गए संशोधन “व्यापार” को बड़े व्यापक अर्थों में और अन्य संबंधित मामलों का वर्णन करते हैं। इस मानक के कारण कंपनी के वित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिसने इस मानक के उपयोग के चलते कंपनी को प्रभावित किया हो।

(आ) **इण्ड ए.एस.107 - वित्तीय संलेख - प्रकटीकरण**

ये संशोधन, ब्याज-दर मानक सुधार के कारण उत्पन्न हुई अनिश्चितता से संबंधित प्रकटीकरण से जुड़े हुए हैं| कंपनी ने किसी से उधार नहीं लिया है, इसलिए इन सुधारों से कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाले हैं|

(इ) **इण्ड ए.एस.109 - वित्तीय संलेख**

ये संशोधन, विशिष्ट बचावकारी लेखाविधि आवश्यकताओं को उपयोग में लाने के अस्थाई अपवादों के अनुप्रयोग से जुड़े हुए हैं|

(ई) **इण्ड ए.एस.116 - पट्टा**

कोविड-19 के कारण, पट्टे पर भाड़ा लेने वाले किराएदारों को छूट दी जाएगी| ये संशोधन, ये निर्देश प्रदान करते हैं कि कैसे प्रस्तावित छूट को संसाधित करना है| कंपनी द्वारा ऐसा कोई अंतरण नहीं किया गया है, इसलिए इन सुधारों से कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाले हैं|

(उ) **इण्ड ए.एस.1 - वित्तीय विवरणी की प्रस्तुति एवं इण्ड ए.एस.8 - लेखाविधि नीतियाँ, लेखाविधि आकलन में परिवर्तन और अशुद्धियाँ**

अधिक स्पष्टता प्रदान करने के लिए “सामग्री” शब्द की परिभाषा में संशोधन किया गया है| यह परिभाषा सामग्री की लेखा की प्रस्तुति को प्रभावित करती है जिसका वित्तीय विवरणी पर भौतिक प्रभाव पड़ता है| जहाँ सुधार लागू हुए, वहाँ कंपनी ने उपयुक्त व्यवहार किया है|

(ऊ) **इण्ड ए.एस.10 - रिपोर्टिंग अवधि के बाद के परिणाम**

यह सुधार, कुछ परिवर्तनों को शामिल करके असमायोजित परिणामों में वृद्धि लाने वाली स्थिति में बदलाव लाती है|

(ए) **इण्ड ए.एस.34 - अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग**

कंपनी कोई अंतरिम वित्तीय विवरणी जारी नहीं करती है इसलिए इसकी वित्तीय विवरणी पर सुधारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है|

(ऐ) **इण्ड ए.एस.37 - प्रावधान, आकस्मिक देयता, आकस्मिक परिसंपत्ति**

इण्ड ए.एस.1 में “सामग्री” शब्द की परिभाषा में संशोधन के परिणामस्वरूप ये सुधार हुए हैं| जहाँ सुधार लागू हुए, वहाँ कंपनी ने उपयुक्त व्यवहार किया है|

कंपनी ने, इण्ड ए.एस.116, पट्टे को 01 अप्रैल 2019 से स्वीकार किया है और इसका विस्तृत विवरण नोट 44 में वर्णित है | कंपनी द्वारा किए गए पिछले कारोबार में इण्ड ए.एस.116 को लागू करने पर कोई अर्थापत्ति नहीं हुई है |

(घ) **चालू/दीर्घकालीन वर्गीकरण**

कोई भी परिसंपत्ति या देयता चालू मानी जाएगी अगर वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करती है :

i. कंपनी के सामान्य परिचालन काल में ही किसी परिसंपत्ति/देयता को प्राप्त/भुगतान किया जा सके;

ii. परिसंपत्ति बिक्री या उपभोग के लिए अभिलक्षित हो;

iii. परिसंपत्ति/देयता को मूलतः व्यापार के लिए रखा जाए;

iv. विवरित अवधि के बाद बारह महीने के भीतरपरिसंपत्ति/देयता को प्राप्त/भुगतान किया जा सके;

v. परिसंपत्ति नकद या नकद समतुल्य है जबतक इसकी अदला-बदली पर रोक न लगी हो या विवरित अवधि के कम-से-कम बारह महीने के बाद देयता के भुगतान के लिए उपयोग में न लाई जा सके;

vi. जहाँ तक देयता का प्रश्न है, कंपनी को विवरित अवधि के कम-से-कम बारह महीने के बाद भी देयता के भुगतान को टालने का कोई बिना शर्त अधिकार प्राप्त नहीं है |

अन्य सभी परिसंपत्ति या देयता दीर्घकालीन मानी जाती हैं |

परिसंपत्ति या देयता के चालू या दीर्घकालीन वर्गीकरण के लिए कंपनी ने अपना सामान्य परिचालन काल बारह महीना माना है | यह परिसंपत्ति या सूचियों के अधिग्रहण के प्रवर्धन और नकद या नकद समतुल्य के प्राप्रण के बीच सेवाओं की प्रकृति तथा समय पर आधारित है |

(ङ.) आकलन एवं निर्णय के उपयोग

इण्ड ए.एस. के अनुरूप वित्तीय विवरणी की तैयारी में आकलन, निर्णय एवं पूर्वानुमान हेतु प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है | ये आकलन, निर्णय एवं पूर्वानुमान परिसंपत्ति तथा देयता की राशि से संबंधित सूचना, वित्तीय विवरणी की तिथि तक आकस्मिक परिसंपत्ति तथा देयता के प्रकटीकरण एवं अवधि के दौरान राजस्व तथा व्यय की राशि से संबंधित सूचना को प्रभावित करते हैं |

आकलनों तथा अधोगत पूर्वानुमान की समय-समय पर समीक्षा की जाती है | वह अवधि जब आकलनों को संशोधित किया जाता है और जब कोई भविष्य की अवधि प्रभावित होती है तब लेखाविधि आकलनों को संशोधन हेतु स्वीकार किया जाता है | विशेषकर, लेखाविधि नीतियों को लागू करने में आकलन के महत्वपूर्ण क्षेत्र, अनिश्चितता एवं समीक्षात्मक निर्णयों के बारे में सूचना जिसका वित्तीय विवरणी में स्वीकृत राशि पर अति महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, निम्नलिखित नोट में प्रकट किया गया है :

(i) **राजस्व स्वीकृति**:

कंपनी, स्थाई मूल्य संविदाओं के संबंध में प्रगति की पूर्णता के मापन हेतु संविदा में यथासहमत पूर्णता विधि की प्रतिशतता में क्रियाकलापों की पूर्णता के चरण/अंतिम लक्ष्य का उपयोग करती है | लेखाविधि में पूर्णता विधि की प्रतिशतता कुल अपेक्षित संविदा राजस्व एवं लागत के आकलन पर निर्भर करती है | इस विधि का अनुसरण तब किया जाता है जब संविदा के विभिन्न तत्वों के लिए लागू होने वाले राजस्व और लागत के पर्याप्त तौर पर भरोसेमंद आकलन तैयार किए जाते हैं | चूँकि, इन संविदाओं की वित्तीय सूचना आकलन पर निर्भर करती है जिसे इन संविदाओं की अवधि के दौरान नियमित रूप से आकलित किया जाता है, जैसे ही संविदा पूर्ण होने के कगार पर पहुँचती है वैसे ही स्वीकृत राजस्व और लाभ का संशोधन किया जाता है |

ii) **आयकर**:

कर आकलनों में कर की स्थिति धारणीय होने की संभावना से संबंधित निर्णय सहित आयकर के लिए प्रावधानों को निश्चित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं | कर आकलन एक जटिल प्रक्रिया है जिसका हल विस्तारित समयावधि में निकाला जा सकता है |

iii) **आस्थगित कर**:

परिसंपत्ति एवं देयता तथा उनकी वाहित राशि के कर के मध्य उत्पन्न होने वाले निगम्य एवं कर-योग्य अस्थाई अंतर पर आस्थगित कर अभिलिखित किया जाता है, उस दर से जिसे रिपोर्टिंग तिथि तक क्रियान्वित या वास्तविक तौर पर क्रियान्वित किया गया है। अवधि के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति का अंतिम प्रापण भविष्य के करयोग्य लाभ के सृजन पर निर्भर करता है जिसमें वे अस्थाई अंतर और अग्रेनीत कर हानि कटौती योग्य हो जाते हैं | कंपनी, इस आकलन को तैयार करने में आस्थगित कर देयता एवं भविष्य की प्रायोजित करयोग्य आय में उत्क्रमण पर विचार करती है | आस्थगित कर परिसंपत्ति की स्वीकार्य मान्य राशि, हालाँकि, निकट काल में कम किया जा सकता है यदि अग्रेनीतअवधि के दौरान भविष्य के करयोग्य आय के आकलन को कम किया जाता है |

(iv) **पारिभाषित लाभ योजना एवं क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति**:

पारिभाषित लाभ योजना की लागत, क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति एवं पारिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य प्रायोजित यूनिट आकलन विधि का प्रयोग करता हुआ बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है | बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न पूर्वानुमान शामिल हैं जो भविष्य के वास्तविक विकास से भिन्न हो सकते हैं | इनमें छूट की दर, भविष्य में वेतन-वृद्धि एवं मृत्यु-दर शामिल है | मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं एवं इनकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, यह पारिभाषित लाभ दायित्व इन पूर्वानुमानों में परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील है |प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक सभी पूर्वानुमानों की समीक्षा की जाती है |

(v) **वित्तीय परिसंपत्ति पर अपेक्षित ऋण हानि**:

वित्तीय परिसंपत्ति का क्षति प्रावधान, भुगतान नहीं करने के जोखिम के बारे में पूर्वानुमान एवं संग्रहण के समय पर आधारित है | कंपनी अपने अतीत के इतिहास, ग्राहकों की लेनदारी क्षमता, बाज़ार की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक भविष्य के आकलनों के आधार पर और कोविड-19 के प्रभाव को भी क्षति की गणना के लिए इन पूर्वानुमानों तथा इनपुट के चयन में निर्णय का उपयोग करती है |

(vi) **कोविड-19 के कारण वैश्विक स्वास्थ्य महामारी से संबंधित अनिश्चतताओं का आकलन:**

कंपनी ने वित्तीय और ग़ैर-वित्तीय परिसंपत्ति की वाहित राशि की वापसी की प्रतिलभ्यता सहित इन स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी की तैयारी में कोविड-19 से संबंधित महामारी के परिणामस्वरूप पड़ने वाले संभावित प्रभाव पर विचार किया है| इन वित्तीय विवरणी की संस्तुति की तिथि तक कंपनी ने इस महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक अवस्था में भविष्य की संभावित अनिश्चितताओं से संबंधित पूर्वानुमान को विकसित करने में आकलन रिपोर्ट एवं संबंधित सूचना तथा आर्थिक भविष्यवाणी को उपयोग में लाया है और आशा करती है कि इन परिसंपत्तियों की वाहित राशि वापस ली जाएगी| कोविड-19 के कारण प्रभावित कंपनी की वित्तीय विवरणी और अनुमोदन की तिथि तक आकलित इन स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी में अंतर हो सकता है|

(च) उचित मूल्य का मापन

वित्तीय एवं ग़ैर-वित्तीय परिसंपत्ति एवं देयता के लिए कंपनी की कुछेक लेखाविधि नीतियों तथा प्रकटीकरण हेतु उचित मूल्य का मापन आवश्यक होता है ।

मूल्यांकन तकनीकों में उपयोग में लाई जाने वाली इनपुट के आधार पर उचित मूल्य के अनुक्रम में उचित मूल्य विभिन्न स्तरों पर वर्गीकृत किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं:

स्तर 1: समान परिसंपत्ति या देयता के लिए सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) ।

स्तर 2: स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्य को छोड़कर इनपुट जो परिसंपत्ति या देयता के लिए या तो प्रत्यक्ष (यानी मूल्य के रूप में) या अप्रत्यक्ष (यानी मूल्य से प्राप्त) के लिए प्रेक्षणीय है ।

स्तर 3: परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो प्रेक्षणीय बाज़ार के आँकड़े पर आधारित नहीं है (अप्रेक्षणीय इनपुट)|

परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य के मापन में, जहाँ तक संभव हो, कंपनी प्रेक्षणीय बाज़ार के आँकड़े उपयोग करती है । यदि, परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य के मापन में प्रयुक्त इनपुट उचित मूल्य के अनुक्रम में विभिन्न स्तरों के तहत आती हैं, तब उचित मूल्य मापन पूरी तौर पर उचित मूल्य के अनुक्रम में समान स्तर में निम्नतम स्तर की इनपुट के तौर पर वर्गीकृत की जाती हैं जो पूरे मापन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं ।

3. महत्वपूर्ण लेखाविधि नीतियाँ

(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

*(i) **मान्यता एवं मापन***

संचित मूल्यह्रास एवं संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का उल्लेख किया जाता है ।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मद की लागत में व्यापार बट्टा, छूट और आयात शुल्क एवं अप्रतिदेय क्रय कर सहित, इनके क्रय मूल्य की कटौती के बाद, इसके अभिलक्षित उपयोग के लिए मद को कामकाजी स्थिति में लाने से संबंधित प्रत्यक्ष लागत को पुन: स्थापित करने के लिए आकलित लागत शामिल हैं ।

यदि संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के महत्वपूर्ण अंगों का कोई अलग से उपयोगी जीवन है तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के इतर मद (प्रमुख घटक) में गिना जाता है ।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मद के निपटारे में किसी लाभ एवं हानि को लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है ।

*(ii) **इण्ड ए.एस. में अंतरण***

इण्ड ए.एस. में संक्रमण पर, कंपनी ने पिछली जी.ए.ए.पी. के अनुसार मापित, 1 अप्रैल, 2016 तक अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के वाहित मूल्य के साथ जारी रहने का निर्णय लिया है, और ऐसी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की विचारित लागत के वाहित मूल्य का उपयोग करेगी (नोट 4 देखें) ।

(iii) ***परवर्ती व्यय***

परवर्ती व्यय पूँजीकृत तभी किया जाता है जब ऐसी संभावना हो कि व्यय से संबंधित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के पास आयेंगे |

(iv) ***मूल्यह्रास***

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार, सरल रेखा विधि का उपयोग करते हुए उनके आकलित उपयोगी जीवन के ऊपर मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है | 0.05 लाख से कम लागत वाली परिसंपत्ति का शेष मूल्य परिसंपत्ति की मूल लागत का 0% होता है और अन्य सभी परिसंपत्तियों के लिए, परिसंपत्ति के शेष मूल्य परिसंपत्ति की लागत के 1% होते हैं | 1% के शेषमूल्य को परिसंपत्ति को अधिकतम सीमा तक कम करने के लिए प्रतिफलित किया जाता है | कंपनी द्वारा यथानिर्धारित परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन इसप्रकार हैं:

परिसंपत्ति की प्रकृति	उपयोगी जीवन
संयत्र एवं यंत्र-समूह	15 वर्ष
भवन	60 वर्ष
भवन (अस्थाई निर्माण)	3 वर्ष
भवन (बाड़, इत्यादि)	5 वर्ष
फर्नीचर एवं अन्य सामग्री	10 वर्ष
मोटर कार	8 वर्ष
कम्प्यूटर एवं अन्य सहायक सामग्री	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
सॉफ्टवेयर	5 वर्ष
विद्युतीय व्यवस्था	10 वर्ष
सर्वर और नेटवर्क	6 वर्ष

(ख) अमूर्त परिसंपत्ति

संचित परिशोधन एवं क्षति को घटाकर लागत पर अमूर्त परिसंपत्ति का उल्लेख किया जाता है | आकलित उपयोगी जीवन/परिशोधन अनुज्ञप्ति की अवधि है और इसके न होने की स्थिति में 5 वर्ष है |यह सरल रेखा विधि द्वारा परिशोधित किया जाता है|

(ग) वस्तुसूची

कच्चा माल, कार्य-प्रगति एवं परिसज्जित माल निम्न-लागत तथा आकलित प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं | माल की लागत का निर्धारण "पहले डालो, पहले निकालो" सूत्र के आधार पर किया जाता है और इसमें सामान-सूची प्राप्त करने में लगे व्यय और उन्हें उनके वर्तमान स्थान एवं स्थिति में लाने में लगी अन्य लागत शामिल हैं| कार्य-प्रगति एवं परिसज्जित माल की लागत में रूपांतरण की लागत शामिल है|

(घ) राजस्व

(i) ***बिक्री***

राजस्व, सभी परोक्ष करों से निवल, तभी स्वीकार किए जाते हैं जब माल ग्राहकों अथवा उनके द्वारा निर्धारित / ठेके पर दी गई परियोजना को सौंपा जाता है | हालाँकि, यदि ग्राहक के अनुरोध पर सुपुर्दगी में विलम्ब होता है और ग्राहक यह जिम्मेदारी लेकर बिल स्वीकार कर लेता है तो राजस्व स्वीकार कर लिए जाते हैं | यद्यपि भौतिक रूप से माल की सुपुर्दगी नहीं की गई तथापि यह आशा की जाती है कि माल सुपूर्दगी के लिए हस्तगत, चिह्नित एवं तैयार है और सुपुर्दगी कर दी जाएगी और,यदि संस्थापना/निरीक्षण किए जाने की शर्तों के निमित्त हो तो राजस्व को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाता जब तक कि ग्राहक सुपुर्दगी स्वीकार नहीं कर ले और संस्थापना/निरीक्षण पूरा न हो जाए |

(ii) ***सेवाएँ***

(अ) प्रमोचन, संस्थापन, अभिचालन और परीक्षण

ग्राहक के साथ हुए करार के अनुरूप अंतिम लक्ष्य/काम के पूरा के बाद ही सभी परोक्ष करों से निवल राजस्व स्वीकार किए जाते हैं |

(ब) अभिगम शुल्क, अंतरिक्ष खंड, मिशन सहायता इत्यादि

चाहे एक बार की सेवा हो या आवर्ती सेवा, उसे प्रदान करने या समय-समय पर संविदा के अनुरूप सेवा की प्रकृति के आधार पर सभी परोक्ष करों से निवल राजस्व एक बार स्वीकार किए जाते हैं।

(स) परामर्शिता

परामर्शिता प्रदान करने या समय-समय पर संविदा के अनुरूप परामर्शिता की प्रकृति के आधार पर सभी परोक्ष करों से निवल राजस्व एक बार स्वीकार किए जाते हैं।

(iii) ***सम्मिश्र संविदा***

उपर्युक्त मद (i) एवं (ii) में उल्लिखित नीति के अनुरूप सम्मिश्र संविदा के प्रत्येक मद के लिए राजस्व स्वीकार किए जाते हैं।

(iv) ***अन्य आय***

(अ) ब्याज

ब्याज से आय प्रोद्भवन के आधार पर स्वीकार की जाती है। जबकि ब्यापार प्राप्तियों पर ब्याज से प्राप्त आय प्राप्ति के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

(ब) रॉयल्टी

ग्राहकों से प्राप्त स्वीकृति पर आधारित रॉयल्टी की गणना प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है।

(स) निवेश से प्राप्त लाभांश

निवेश से प्राप्त लाभांश तब स्वीकार किया जाता है जब भुगतान पाने के लिए कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है।

(ङ.) विदेशी मुद्रा अंतरण

(i) ***प्रारंभिक स्वीकृति***

अंतरण की तिथि तक विनिमय दर को लागू कर प्रकार्यात्मक मुद्रा में विदेशी मुद्रा अंतरण अभिलिखित किए जाते हैं।

(ii) ***परवर्ती मापन***

विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देयता रिपोर्टिंग तिथि तक विनिमय दर से प्रकार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किए जाते हैं। ग़ैर-मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देयता जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के आधार पर मापन किया जाता है, उन्हें पुन: परिवर्तित नहीं किया जाता है। लाभ तथा हानि लेखा में विनिमय अंतर को स्वीकार किया जाता है।

(च) वित्तीय संलेख

(i) ***स्वीकृति एवं आरंभिक मापन***

व्यापार प्राप्तियाँ प्रारंभिक रूप से तभी स्वीकृत होते हैं जब वे उद्भूत होते हैं। बाकी सभी वित्तीय परिसंपत्ति एवं वित्तीय देयता प्रारंभिक रूप से तभी स्वीकृत होते हैं जब कंपनी संलेख के संविदात्मक प्रावधानों के भागीदार बनती है। वित्तीय परिसंपत्ति एवं वित्तीय देयता प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर मापित होते हैं। लेन-देन लागत जो सीधे तौर पर अधिग्रहण या निर्गमन से संबंधित होते हैं, उन्हें तत्काल लाभ तथा हानि लेखा के ज़रिए उचित मूल्य पर लेखा-विधित किया जाता है।

(ii) ***वर्गीकरण एवं परवर्ती मापन***

(अ) वित्तीय परिसंपत्ति :

प्रारंभिक स्वीकृति पर वित्तीय परिसंपत्ति को मापित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है :

- परिशोधित लागत;
- एफ.वी.टी.पी.एल (लाभ तथा हानि द्वारा उचित मूल्य)
- एफ.वी.ओ.सी.आई (अन्य व्यापक आय द्वारा उचित मूल्य)

वित्तीय परिसंपत्ति अपनी प्रारंभिक स्वीकृति के बाद पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाती सिवाय उस अवधि के दौरान जब कंपनी अपने वित्तीय परिसंपत्ति के प्रबंधन के लिए अपने व्यापार-प्रारूप को परिवर्तित करती है।

वित्तीय परिसंपत्ति परिशोधित लागत पर मापित की जाती है यदि यह दोनों निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है और एफ.वी.टी.पी.एल. के तौर पर निर्दिष्ट नहीं है :

- एक व्यापारिक प्रारूप के अंदर परिसंपत्ति रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाह को संग्रहित करने के लिए परिसंपत्ति को धारित रखना है।
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्त किसी विशिष्ट तिथि में नकद प्रवाह का सृजन करती है जो बचे हुए मूलधन पर मूलधन और ब्याज का पूर्णत: भुगतान होती है।

ऋण निवेश एफ.वी.ओ.सी.एल. पर मापित किया जाता है यह दोनों निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है और एफ.वी.टी.पी.एल. के तौर पर निर्दिष्ट नहीं है :

- एक व्यापारिक प्रारूप के अंदर परिसंपत्ति रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाह को संग्रहितकर और वित्तीय परिसंपत्ति को बेचकर प्राप्त किया जाता है।
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्त किसी विशिष्ट तिथि में नकद प्रवाह का सृजन करती है जो बचे हुए मूलधन पर मूलधन और ब्याज का पूर्णत: भुगतान होती है।

एक्विटी निवेश की प्रारंभिक स्वीकृति जिसे व्यापार के लिए धारित नहीं किया गया है, कंपनी, ओ.सी.आई में निवेश के उचित मूल्य में अप्रत्यादेय तौर पर परवर्ती परिवर्तन के लिए चयन कर सकती है (एफ.वी.ओ.सी.आई. के रूप में निर्दिष्ट-एक्विटी निवेश)। यह चयन निवेश-दर-निवेश आधार पर किया जाता है।

सभी वित्तीय परिसंपत्ति जो परिशोधित लागत या एफ.वी.ओ.सी.एल. पर मापित के रूप में वर्गीकृत नहीं की जाती हैं उन्हें एफ.वी.टी.पी.एल. पर मापित किया जाता है।

एफ.वी.टी.पी.एल. पर वित्तीय परिसंप्त्ति	ये परिसंपत्ति बाद में उचित मूल्य पर मापित किए जाते हैं। किसी ब्याज या लाभांश आय सहित शुद्ध लाभ और हानि को लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है।
एफ.वी.ओ.सी.एल. पर ऋण निवेश	ये परिसंपत्ति बाद में उचित मूल्य पर मापित किए जाते हैं। प्रभावी ब्याज विधि के तहत ब्याज से आय, विदेशी विनिमय से लाभ तथा हानि और क्षतिलाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किए जाते हैं। अन्य शुद्ध लाभ तथा हानि ओ.सी.आई. में स्वीकार किए जाते हैं। अस्वीकृति की स्थिति में, ओ.सी.आई. में जमा लाभ तथा हानि लाभ एवं हानि लेखा के रूप में पुनर्वर्गीकृत किए जाते हैं।
एफ.वी.ओ.सी.आई.में एक्विटी निवेश	ये परिसंपत्ति बाद में उचित मूल्य पर मापित किए जाते हैं। निवेश की लागत के भाग के रूप में वापसी को इंगित करते हुए लाभांश को छोड़कर अन्य लाभांश को लाभ तथा हानि लेखा में आय के रूप में स्वीकार किया जाता है। अन्य शुद्ध लाभ तथा हानि ओ.सी.आई. में स्वीकार किए जाते हैं और लाभ एवं हानि लेखा के रूप में पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाते हैं।
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति	प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से ये परिसंपत्ति बाद में परिशोधित लागत पर मापित किए जाते हैं। यह परिशोधित लागत क्षति हानि द्वारा कम किया जाता है। ब्याज से आय, विदेशी विनिमय से लाभ तथा हानि और क्षतिलाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किए जाते हैं। अस्वीकृति की स्थिति में किसी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि लेखा के रूप में स्वीकार किया जाता है।

(ब) वित्तीय देयता :

वित्तीय देयता परिशोधित लागत या एफ.वी.टी.पी.एल. पर मापित की जाती हैं। किसी वित्तीय देयता को एफ.वी.टी.पी.एल. पर मापित तभी किया जाता है जब इसे व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एफ.वी.टी.पी.एल. पर वित्तीय देयता उचित मूल्य एवं किसी ब्याज व्यय सहित शुद्ध लाभ तथा हानि में मापित की जाती हैं और लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार की जाती हैं। प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से अन्य वित्तीय देयता बाद में परिशोधित लागत पर मापित की जाती हैं। ब्याज व्यय एवं विदेशी विनिमय लाभ तथा हानि, लाभ एवं हानि लेखा में स्वीकार किए जाते हैं। अस्वीकृति की स्थिति में किसी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है।

(iii) अस्वीकृति

(अ) वित्तीय परिसंपत्ति :

कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को अस्वीकार करती है जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकद प्रवाह का संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाता है या यह संविदात्मक नकद प्रवाह को प्राप्त करने के लिए अधिकार को लेन-देन में अंतरित कर देती है जिसमें वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के संपूर्ण जोखिम तथा पुरस्कार अंतरित होते हैं या जिसमें कंपनी स्वामित्व के संपूर्ण जोखिम तथा पुरस्कार को न तो अंतरित या मूल रूप से धारित करती है और वित्तीय परिसंपत्ति के नियंत्रण को धारित नहीं करती है।

(ब) वित्तीय देयता :

कंपनी वित्तीय देयता को अस्वीकार करती है जब इसका संविदात्मक दायित्व पूरा या निरस्त या समाप्त हो जाता है।

कंपनी वित्तीय देयता को तब भी अस्वीकार करती है जब इसकी शर्तें संशोधित की जाती हैं और संशोधित शर्तों के तहत नकद प्रवाह मूल रूप से अलग होते हैं। समाप्त हो चुकी वित्तीय देयता की वाहित राशि और संशोधित शर्तों के साथ नई वित्तीय देयता का अंतर लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है।

(छ) क्षति

(i) वित्तीय संलेख की क्षति

कंपनी संभावित ऋण हानि के लिए इन पर हानि भत्ता को स्वीकार करती है:

- परिशोधन लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्ति

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या परिशोधित लागत पर वाहित वित्तीय परिसंपत्ति ऋण-क्षतिग्रस्त है ? वित्तीय परिसंपत्ति "ऋण-क्षतिग्रस्त" तब होती है जब एक या अधिक अवसर जिसका वित्तीय परिसंपत्ति के भविष्य के आकलित नकद प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

वह प्रमाण कि वित्तीय परिसंपत्ति "ऋण-क्षतिग्रस्त" है, में निम्नलिखित प्रेक्षणीय आँकड़े शामिल हैं :

- लेनदार या देनदार की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई
- करार भंग होना जैसे चूक या 365 दिनों या उससे अधिक के लिए बाकी
- उन शर्तों पर कि कंपनी द्वारा ऋण या अग्रिम की पुनर्रचना पर कंपनी विचार नहीं करेगी
- वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रतिभूति के लिए सक्रिय बाज़ार का ग़ायब होना

व्यापार प्राप्तियों के लिए हानि भत्ता का मापन अपेक्षित जीवनकाल जमा राशि के बराबर की राशि पर किया जाता है।

(ii) ग़ैर-वित्तीय परिसंपत्ति की क्षति

अन्य कर परिसंपत्ति को छोड़कर कंपनी की ग़ैर-वित्तीय परिसंपत्ति की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि क्या क्षति के कोई संकेत हैं? यदि इस तरह के कोई संकेत दिखते हैं तो परिसंपत्ति की वापस योग्य राशि का आकलन किया जाता है। क्षति परीक्षण के लिए, परिसंपत्ति जो स्वतंत्र नकद अंतर्प्रवाह सृजित नहीं करती उन्हें नकद-सृजन इकाइयों (सी.जी.यू.) में वर्गित किया जाता है। प्रत्येक सी.जी.यू, परिसंपत्ति के छोटे समूह को सूचित करते हैं जो नकद अंतर्प्रवाह सृजित करते हैं और जो अन्य परिसंपत्ति के नकद अंतर्प्रवाह या सी.जी.यू से प्रमुखतया स्वतंत्र होते हैं।

क्षति हानि तब स्वीकार की जाती है जब किसी परिसंपत्ति की वाहित राशि या सी.जी.यू अपनी आकलित वापसी योग्य राशि को पार कर जाती है।

(ज) सेवानिवृत्ति एवं अन्य कर्मचारी लाभ

(i) उपदान

कंपनी अपने सभी कर्मचारियों को उपदान, एक पारिभाषित लाभ योजना, प्रदान करती है। योजना के तहत, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय या रोज़गार समाप्त होने के बाद कंपनी में संबंधित कर्मचारियों के वेतन और उनके सेवाकाल के आधार पर एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है।

वर्ष के अंत में, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान की राशि निर्धारित की जाती है।

निवल पारिभाषित लाभ देयता का पुनर्मूल्यांकन जिसमें बीमांकिक लाभ या हानि शामिल हैं, ओ.सी.आई. में स्वीकार किया जाता है। पारिभाषित लाभ योजना से संबंधित निवल ब्याज व्यय तथा अन्य व्यय, लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किए जाते हैं।

(ii) राष्ट्रीय पेंशन योजना (कॉर्पोरेट मॉडल योजना)

राष्ट्रीय पेंशन योजना (कॉर्पोरेट मॉडल योजना) में एन्ट्रिक्स के कार्मिक शामिल हैं| पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) द्वारा संचालितराष्ट्रीय पेंशन योजना (कॉर्पोरेट मॉडल योजना), जो एक पारिभाषित अंशदान योजना है, में कंपनी मूल वेतन तथा महँगाई भत्ता का 14% का योगदान देती है | अंशदान को प्रोद्भवन के आधार पर लेखित किया जाता है और लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है |

(iii) क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति

अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है | दीर्घकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति जो एक अन्य दीर्घकालिक रोज़गार लाभ योजना है, एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा कार्यान्वित तुलनपत्र की तिथि तक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखित होता है | बीमांकिक लाभ/हानि, लाभ तथा हानि लेखा में तुरंत स्वीकार किए जाते हैं |

(iv) डाक जीवन बीमा (पी.एल.आइ.)

कंपनी, स्वीकृत नीति के अनुरूप कर्मचारियों के नाम पी.एल.आइ. प्रीमियम के 50% का अंशदान देती है |

(झ) आयकर

आयकर में चालू तथा आस्थगित कर शामिल हैं | इसे लाभ या हानि में स्वीकार किया जाता है सिवाय इसके कि मद को सीधे एक्विटी में या अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया गया है।

(i) चालू कर

चालू कर में, करयोग्य आय में देय या प्राप्य अपेक्षित कर या वर्ष के लिए हानि और पिछले वर्ष के लिए देय या प्राप्य कर का समायोजन शामिल है । आयकर से जुड़ी अनिश्चितता, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद देय या प्राप्य अपेक्षित कर राशि का आकलन चालू कर की राशि से परिलक्षित होती है । इसे रिपोर्टिंग तिथि तक, अधिनियमित या विशेष रूप से अधिनियमित कर दर (और कर नियम) के उपयोग से मापित किया जाता है ।

चालू कर परिसंपत्ति और चालू कर देयता केवल क्षति की पूर्ति है यदि स्वीकृत राशि को अंकित करने के लिए विधिवत् कार्यान्वित करने योग्य अधिकार हो, और यह निवल आधार पर या समकाल में परिसंपत्ति को प्राप्त करने और देयता को स्थापित करने के लिए अभिलक्षित हो ।

(ii) आस्थगित कर

वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु परिसंपत्ति एवं देयता की वाहित राशियों और कर-निर्धारण के उद्देश्य हेतु संबंधित राशियों के बीच अस्थाई अंतर के सापेक्ष आस्थगित कर स्वीकृत किया जाता है । आस्थगित कर, अग्रेनीत कर हानि और कर जमा के सापेक्ष भी स्वीकृत किया जाता है । आस्थगित कर इन कारणों से नहीं स्वीकार किए जाते हैं :

- किसी अंतरण में, परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक स्वीकृति से उभरने वाले अस्थाई अंतर जो व्यापार-योग नहीं है और जो अंतरण के समय न तो लेखाविधि और न ही करयोग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता हो;

- साख की प्रारंभिक स्वीकृति से उभरने वाले करयोग्य अस्थाई अंतर |

आस्थगित कर परिसंपत्ति उस सीमा तक स्वीकार की जाती है जब ऐसा संभव हो कि भविष्य के करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेंगे जिनके विरुद्ध वे उपयोग में लाए जा सकते हैं । आस्थगित कर परिसंपत्ति-अस्वीकृत या स्वीकृत की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक समीक्षा की जाती है और उस सीमा तक स्वीकृत/कम की जाती है जब ऐसा क्रमश: संभव/असंभव हो कि संबंधित कर लाभ स्वीकृत होंगे ।

आस्थगित कर, कर दरों पर मापित किए जाते हैं जो उस अवधि के लिए लागू होने के लिए अपेक्षित होते हैं जब रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित/विशेष रूप से अधिनियमित नियम पर आधारित परिसंपत्ति स्वीकृत होती है या देयता स्थापित होती है ।

(ञ) प्रति शेयर आय

वर्ष के लिए एक्विटी शेयर धारक से संबंधित शुद्ध लाभ या हानि को वर्ष के दौरान एक्विटी शेयर के बची हुई भारित औसत संख्या से विभाजित कर प्रति शेयर प्रारंभिक आय की गणना की जाती है । वर्ष के दौरान एक्विटी शेयर के बची हुई भारित औसत संख्या को बोनस शेयर जारी करने के अवसर (यदि कोई हो) हेतु समायोजित किया जाता है ।

प्रति शेयर मिश्रित आय की गणना के उद्देश्य से, वर्ष के लिए एक्विटी शेयर धारक से संबंधित शुद्ध लाभ या हानि और वर्ष के दौरान एक्विटी शेयर के बची हुई भारित औसत संख्या को सभी मिश्रित प्रमुख एक्विटी शेयर के प्रवभावों के लिए समायोजित किया जाता है ।

(ट) प्रावधान और आकस्मिकता

प्रावधान स्वीकृत तब किया जाता है जब किसी प्रतिष्ठान के पास पिछली घटनाओं के कारण वर्तमान दायित्व होता है; यह संभव है कि संसाधन का बहिर्प्रवाह दायित्व को स्थापित करने के लिए आवश्यक होगा । इन्हें प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि तक एवं वर्तमान उत्तम आकलनों को परिलक्षित करने के लिए समायोजित किया जाता है ।

(ठ) नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में तीन महीने या कम की वास्तविक परिपक्वता वाले नकद, बैंक में जमा एवं अल्पकालिक निवेश शामिल हैं जो नकद में तुरंत परिवर्तनीय हैं और मूल्य में परिवर्तन के निरर्थक जोखिम के तहत हैं ।

(ड) पिछले वर्ष से संबंधित समायोजन

पिछले वर्ष से संबंधित आय/व्यय जो प्रत्येक अंतरण में ₹ 100 लाख या व्यवसाय के 0.1% जो भी उच्चतर हो, से अधिक नहीं होते इन्हें चालू वर्ष के आय/व्यय की तरह माना जाता है।

(ढ) सरकारी अनुदान

अंतरिक्ष विभाग को प्रदत्त पट्टा भूमि किराए के उचित मूल्य और पट्टा भूमि किराए के वास्तविक मूल्य के अंतर को आर्थिक सरकारी अनुदान माना गया है । लाभ तथा हानि लेखा के आय एवं व्यय भाग में उन दोनों को वैचारिक रूप से संपूर्ण कर लेखाविधित किया गया है ।

(ण) पट्टा

01 अप्रैल 2019 से प्रभावी, कंपनी ने इण्ड-एएस 116-पट्टा को अपनाया है और संशोधित पिछली पद्धति को अपनाकर इसे 01 अप्रैल 2019 को विद्यमान सभी पट्टा संविदा पर लागू किया है। उसी के आधार पर और मानक में अनुमन्य विशिष्ट परिवर्तनीय प्रावधानों के अंतर्गत, कंपनी के लिए तुलनात्मक आँकड़ों की पुनरुक्ति आवश्यक नहीं है।

सभी पट्टों को उपयोगाधिकार परिसंपत्ति एवं पट्टा देयता मानकर लेखाविधित किया जाता है, सिवाय इनके:

- कम मूल्य की परिसंपत्ति का पट्टा

- 12 महीने या कम की अवधि का पट्टा

नोट: कंपनी के पास कोई निम्न मूल्य या अल्पकालिक पट्टे नहीं हैं।

दिनांक 01 अप्रैल 2019 के आरंभिक अनुप्रयोग के बाद ये नीतियाँ लागू होती हैं:

पट्टा शर्त से जुड़े पट्टेदार की संविदा भुगतान बकाया के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता का मापन किया जाता है, पट्टे में शामिल दर के संदर्भ में बट्टा दर निर्धारित की जाती है बशर्ते (किसी विशेष स्थिति में) इसे आसानी से निर्धारित नहीं की जा सके, ऐसे हालात में पट्टे के शुरु होने पर कंपनी की वृद्धि उधार दर का उपयोग किया जाता है। परिवर्तनीय पट्टा भुगतान को पट्टा देयता मापन में तभी शामिल किया जाता है जब वे सूची या दर पर आश्रित होते हैं। ऐसी स्थिति में, पट्टा देयता का आरंभिक मापन परिवर्तनीय तत्व ग्रहण करता है जो पट्टा की पूरी अवधि तक अपरिवर्तित रहता है। अन्य परिवर्तनीय पट्टा भुगतान का व्यय उसी अवधि में किया जाता है जिससे वे संबंधित होते हैं।

आरंभिक स्वीकृति में, पट्टा देयता के वाहित मान में निम्नलिखित शामिल हैं:

- किसी बाकी बचे मूल्य गारंटी के अंतर्गत देय अपेक्षित राशि
- कंपनी के पक्ष में दी गई किसी क्रय विकल्प के प्रयोग मूल्य यदि उस विकल्प का आकलन करने के लिए तार्किक रूप से निश्चित हो।
- पट्टे को समाप्त करने के लिए कोई शास्ति, यदि पट्टे की शर्त का आकलन प्रयोग में लाए गए समापन विकल्प के आधार पर अनुमानित किया गया है।

उपयोगाधिकार परिसंपत्ति का आरंभिक मापन पट्टा देयता की राशि पर होता है जिसे किसी प्राप्त पट्टा प्रोत्साहन हेतु कम किया जाता है, और निम्नलिखित के लिए बढ़ाया जाता है:

- पट्टा के आरंभ होने पर या उससे पहले पट्टा का भुगतान किया जाता है;
- आरंभिक सीधी लागत लगाई जाती है; और
- किसी प्रावधान राशि को स्वीकार किया जाता है जहाँ कंपनी संविदा के आधार पर पट्टाधारित परिसंपत्ति को विध्वंस करने, हटाने या पुन:स्थापित करने की आवश्यकता महसूस करती है।

आरंभिक मापन के परिणामस्वरूप, बकाया राशि पर नियत दर से लिए जाने वाले ब्याज के चलते पट्टा देयता बढ़ जाती है, और पट्टे के भुगतान के लिए कम कर दी जाती है। उपयोगाधिकार परिसंपत्ति, पट्टे की बाकी बची हुई अवधि के लिए या कदाचित् परिसंपत्ति के बाकी बचे आर्थिक जीवन के लिए, क्योंकि इसे पट्टे की अवधि से कम माना जाता है, सरल रेखा आधार पर परिशोधित की जाती हैं।

जब कंपनी, अपने किसी पट्टे की अवधि के अनुमान को संशोधित करती है तो यह पट्टा देयता की वाहित राशि को संशोधित अवधि के लिए भुगतान हेतु ह्स्तांतरित करने के लिए समायोजित करती है जिसे संशोधित बट्टा दर का उपयोग कर छूट दी जाती है। पट्टा देयता के वाहित मूल्य को भी ठीक इसी तरह संशोधित किया जाता है जब दर या सूची पर आधारित भविष्य के पट्टे के भुगतान के परिवर्तनीय तत्व को संशोधित किया जाता है, सिवाय तब कि बट्टा दर अपरिवर्तित रहती है। दोनों स्थिति में, बाकी बचे (संशोधित) पट्टा की अवधि के लिए संशोधित वाहित राशि परिशोधन के साथ उपयोगाधिकार परिसंपत्ति के वाहित मूल्य हेतु समतुल्य समायोजन किया जाता है। यदि उपयोगाधिकार परिसंपत्ति के वाहित राशि को शून्य के रूप में समायोजित किया जाता है तो आगे की कोई कटौती लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार की जाती है।

संविदा, जो कंपनी को एक चिह्नित परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार और पट्टेकार द्वारा कंपनी के लिए सेवाएँ, दोनों, प्रदान करने की आवश्यकता इंगित करती है, कंपनी ने पूरी संविदा को पट्टे के तौर पर स्वीकार किया है अर्थात् संविदा के भाग के तौर पर आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की गई किसी भी प्रकार की सेवाओं के लिए यह संविदा संबंधी भुगतान की किसी राशि का आबंटन करती है और इसकी अलग से हिसाब-किताब रखती है।

(त) भारत सरकार की वर्तमान उदघोषणा

दिनांक 24 मार्च, 2021 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने एक अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में सुधार किया। ये सुधार, अनुसूची III के खंड I,II,III को पुनरीक्षित करते हैं और 01 अप्रैल, 2021 से लागू हैं। इसके अलावा, 18 जून, 2021 को सरकार ने कई भारतीय लेखाविधि मानकों में और भी सुधार किया है जो 31/03/2022 को समाप्त हो रहे वित्त वर्ष और उससे आगे से प्रभावी है। कंपनी सुधारों का मूल्यांकन करेगी और अगले वर्ष से उसे लागू करेगी।

नोट 4 का परिशिष्ट-संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (राशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	सकल वाहित मान (लागत)				मूल्यह्रास (उपयोगी जीवन एसएलएम)				निवल वाहित मान (डब्ल्यू.डी.वी)	
		30.03.20 को	योग	निबटारा/ बहिष्कार/ समायोजन	30.03.2021 को	30.03.2020 तक	वर्ष के लिए	निबटारा/ बहिष्कार/ समायोजन	30.03.2021 तक	30.03.21 को	30.03.20 को
1	भवन										
(i)	भवन-आर.सी.सी.निर्मित ढाँचा	837.12	-	-	837.12	72.34	14.47		86.81	750.31	764.78
(ii)	भवन-वातानुकूलन प्रणाली	85.36	-	-	85.36	34.59	6.93		41.52	43.84	50.77
(iii)	भवन-विद्युत संबंधी प्रणाली	266.12	-	-	266.12	181.61	36.56		218.17	47.95	84.51
(iv)	भवन-उत्थापक	33.28	-	-	33.28	13.48	2.70		16.18	17.10	19.79
(v)	भवन-जल आपूर्ति प्रणाली	57.79	-	-	57.79	23.41	4.69		28.10	29.69	34.38
(vi)	भवन-काष्ठ फर्श प्रणाली	28.35	-	-	28.35	17.99	3.66		21.65	6.70	10.36
(vii)	भवन (बाड़)-चहारदीवारी फाटक	1.12	-	-	1.12	1.11	-		1.11	0.01	0.01
(viii)	भवन अस्थाई निर्माण (काष्ठ कोष्ठक)	0.18	-	-	0.18	0.18	-		0.18	0.00	0.01
	उप योग	**1,309.32**	**-**	**-**	**1,309.32**	**344.71**	**69.01**	**-**	**413.72**	**895.60**	**964.61**
2	फर्नीचर एवं अन्य सामग्री	242.13	-	-	242.13	140.46	30.58		171.04	71.09	101.67
3	मोटर कार	-	22.28	-	22.28	-	2.75		2.75	19.53	-
4	संगणक एवं बाह्य सामग्री	111.16	-	1.51	109.65	64.96	25.93	1.00	89.89	19.76	46.20
5	कार्यालय उपकरण	85.62	0.23	-	85.85	57.18	12.73		69.91	15.94	28.44
6	संचारजाल उपकरण	1.11	-	-	1.11	1.10	-		1.10	0.01	0.01
	कुल	**1,749.34**	**22.51**	**1.51**	**1,770.34**	**608.41**	**141.00**	**1.00**	**748.41**	**1,021.93**	**1,140.93**
	पिछले वर्ष के आँकड़े	1,731.66	17.68	-	1,749.34	478.58	129.83	-	608.41	1,140.93	1,253.07

नोट:
1) व्यापार संयोजन एवं क्षतिपूर्ति हानि/प्रतिक्रमण द्वारा कोई प्राप्ति नहीं हुई है|
2) प्रारंभ में 60 वर्षों के लिए या दिनांक 01.02.2009 से दी गई विस्तार के लिए वार्षिक किराया के आधार पर अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार से पट्टे पर दी गई ज़मीन पर भवन का निर्माण हुआ है | पट्टे की अवधि को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा |
3) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में किए गए सुधार के अनुसार, जो 01 अप्रैल, 2015 से या उसके बाद शुरू होने वाले वित्त वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरणियों के लिए अनिवार्य है, वर्ष के दौरान भवन एवं ऐसे घटकों के लिए घटक लेखाविधि लागू की गई है वह भवन के वृहत् शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है | निर्माण एवं अनुरक्षण संभाग, इसरो मुख्यालय दिए गए ब्योरों के आधार पर भवन का घटक मूल्य निर्धारित है |
4) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुरूप, भवन, संयंत्र एवं उपकरण के मूल्यह्रास से संबंधित महत्वपूर्ण लेखाविधि नीतियों को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन को पारिभाषित करने के लिए संशोधित किया गया है | हालाँकि, इससे वित्तीय आँकड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है |

नोट 4 क का परिशिष्ट-अन्य अमूर्त परिसंपत्ति (राशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	सकल वाहित मान (लागत)				लेखाविधि मानक - एएस-38 के तहत मूल्यह्रास (सरल रेखा पद्धति)				निवल वाहित मान (डब्ल्यू.डी.वी)	
		30.03.20 को	योग	निबटारा/ बहिष्कार/ समायोजन	31.03.21 को	31.03.20 तक	वर्ष के लिए	निबटारा/ बहिष्कार/ समायोजन	31.03.21 तक	31.03.21 को	31.03.20 को
1	क्म्प्यूटर सॉफ्टवेयर (अर्जित)	136.86	3.95	-	140.81	73.15	29.16	-	102.31	38.50	63.71
	कुल	**136.86**	**3.95**	**-**	**140.81**	**73.15**	**29.16**	**-**	**102.31**	**38.50**	**63.71**
	पिछले वर्ष के आँकड़े	114.86	22.00	-	136.86	47.37	25.78	-	73.15	63.71	67.49

नोट:

1) व्यापार संयोजन एवं क्षतिपूर्ति हानि/प्रतिक्रमण द्वारा कोई प्राप्ति नहीं हुई है।

नोट 5 का परिशिष्ट-उपयोगाधिकार परिसंपत्ति (राशि ₹ लाख में)

कंपनी के पास विद्यमान उपयोगाधिकार परिसंपत्ति के विवरण इसप्रकार हैं:

विवरण	30.03.21 को	30.03.20 को
अथ	266.96	-
वर्ष के दौरान मान्य	-	272.41
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	5.45	5.45
निवल वाहित मान	**261.51**	**266.96**

31.03.2021 तक तुलन पत्र के भाग के रूप में नोट

राशि ₹ लाख में

नोट सं.	विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनरुक्त)
4	**संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर**		
	(क) भवन	895.60	964.61
	(ख) फर्नीचर एवं फिक्सर	71.09	101.67
	(ग) कार्यालय उपकरण	15.94	28.44
	(घ) मोटर कार	19.53	-
	(ङ) कम्प्यूटर एवं सहायक सामग्री	19.76	46.20
	(च) नेटवर्किंग उपकरण	0.01	0.01
		1,021.93	**1,140.93**
	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में, परिसंपत्ति के प्रत्येक वर्ग के योग, निपटारे, व्यापार संयोजन द्वारा प्रापण एवं अन्य समायोजन तथा संबंधित मूल्यह्रास और क्षति हानि या प्रतिक्रमण प्रदर्शित करती हुई सकल एवं निवल वाहित राशि के सामंजस्य को अलग से प्रकट किया जाता है।	इस नोट के अनुलग्नक का संदर्भ लें	इस नोट के अनुलग्नक का संदर्भ लें
4अ	**अन्य अमूर्त परिसंपत्ति:**	**38.50**	**63.71**
	(क) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर		
	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में, परिसंपत्ति के प्रत्येक वर्ग के योग, निपटारे, व्यापार संयोजन द्वारा प्रापण एवं अन्य समायोजन तथा संबंधित मूल्यह्रास और क्षति हानि या प्रतिक्रमण प्रदर्शित करती हुई सकल एवं निवल वाहित राशि के सामंजस्य को अलग से प्रकट किया जाता है।	इस नोट के अनुलग्नक का संदर्भ लें	इस नोट के अनुलग्नक का संदर्भ लें
5	**उपयोगाधिकार परिसंपत्ति:**		
	पट्टा भूमि (कृपया इस नोट का अनुलग्नक देखें)	261.51	266.96
6	**ऋण**		
	(क) कर्मचारी को अग्रिम	0.92	0.48
	(ख) कर्मचारी को अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज	0.23	0.19
		1.15	**0.67**
	ऋण का वर्गीकरण		
	(क) खरी मानी गईं ऋण प्राप्तियाँ - सुरक्षित	-	-
	(ख) खरी मानी गईं ऋण प्राप्तियाँ - असुरक्षित	1.15	0.67
	(ग) ऋण प्राप्तियाँ जिनमें ऋण जोखिम की अर्थपूर्ण वृद्धि हुई है	-	-
	(घ) ऋण प्राप्तियाँ - ऋण क्षति	-	-
7	**अन्य वित्तीय परिसंपत्ति**		
	(क) जमा	5,000.02	5,018.26
	(ख) 12 महीने से अधिक की शेष परिपक्वता के सथ बैंक जमा राशि	-	9,150.00
	(ग) प्रतिभूति जमा के बदले में निर्गत गारंटी के विरुद्ध अंतराल राशि के रूप में रखी गई जमा राशि	6,231.38	13,803.06
		11,231.40	**27,971.32**

8	**अन्य दीर्घकालीन परिसंपत्ति**		
	(क) पूँजी अग्रिम	3.00	3.00
	(ख) व्यापार लेनदारों को अग्रिम	7.84	7.84
	(ग) व्यय के लिए अग्रिम	4.71	4.80
	(घ) सेवा हेतु अग्रिम	7,685.00	-
	(ङ) विरोध के तहत भुगतान किए गए कर	5,500.78	5,500.78
	(च) कर-बकाया वापसी	14,641.16	9,389.18
		27,842.49	**14,905.60**
9	**वस्तु-सूची**		
	जारी व्यापार सामग्री (लागत पर मूल्यांकित या आकलित प्राप्य मूल्य)	**16.63**	**39.76**
10	**व्यापार प्राप्तियाँ:**		
	(i) खरी मानी गई व्यापार प्राप्तियाँ - सुरक्षित	1,410.92	8,887.38
	(ii) खरी मानी गई व्यापार प्राप्तियाँ - असुरक्षित	40,456.33	1,09,149.64
	(iii) व्यापार प्राप्तियाँ जिनमें ऋण जोखिम की अर्थपूर्ण वृद्धि हुई है	14,774.63	14,987.41
	(iv) व्यापार प्राप्तियाँ - ऋण क्षति	2,276.19	2,385.55
		58,918.07	**1,35,409.98**
	घटाइए: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	14,774.63	14,987.41
	घटाइए: संदिग्ध ऋण के लिए हानि भत्ता	2,276.19	2,385.55
		41,867.25	**1,18,037.02**
11	**नकद एवं नकद समतुल्य:**		
	(i) बैंक में शेष	348.00	133.07
	(ii) नकद	0.11	0.06
	(iii) कार्मिकों के पास अग्रदाय नकद	0.06	0.02
		348.17	**133.15**
12	**नकद एवं नकद समतुल्य के अलावा बैंक शेष**		
	(i) 12 महीने या उससे कम की परिपक्वता वाली बैंक में जमा राशि	84,875.94	51,860.00
	(ii) प्रति भूति जमा के बदले जारी प्रत्याभूति के प्रति अतिरिक्त राशि के रूप में बैनक में जमा राशि	1,600.00	200.00
	(iii) सी.एस.आर क्रियाकलाप के लिए बैंक में निर्दिष्ट निधि	854.36	353.30
		87,330.30	**52,413.30**
13	**अन्य वित्तीय परिसंपत्ति**		
	(i) बैंक में जमा राशि के लिए प्रोद्भूत ब्याज	3,044.17	4,036.93
	(ii) बिना बिल का राजस्व	202.33	941.12
	(iii) अन्य प्राप्तियाँ	4,679.91	27.68
		7,926.41	**5,005.73**
14	**अन्य चालू परिसंपत्ति**		
	(असुरक्षित-खरे माने गए)		
	(i) व्यय के लिए अग्रिम	1,384.49	3,556.88
	(ii) सेवा हेतु अग्रिम	1,590.00	-
	(iii) परियोजना व्यय के लिए अग्रिम	2,461.39	11,085.88
	(iv) जीएसटी इनपुट कर परिसंपत्ति	4,134.59	7,917.82
		9,570.47	**22,560.58**

15	**एक्विटी शेयर पूँजी:**		
	(क) अधिकृत:		
	(i) शेयरों की सं.	1,00,00,000	1,00,00,000
	(ii) शेयरों की राशि (₹ लाख में)	10,000.00	10,000.00
	(ख) निर्गत, अभिदत्त एवं नकद के बदले में पूर्णरूपेण प्रदत्त:		
	(i) शेयरों की सं.	6,80,000	6,80,000
	(ii) शेयरों की राशि (₹ लाख में)	680.00	680.00
	(ग) समान मूल्य के प्रति शेयर	100	100
	(घ) अवधि के आरंभ एवं अंत में बाकी बचे शेयरों की संख्या का सामंजस्य		
	(i) रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में बाकी बचे शेयरों की संख्या	6,80,000	6,80,000
	(ii) घटाइए: वर्ष के दौरान पुन: खरीदी गई शेयरों की संख्या	-	-
	(iii) जोड़िए: वर्ष के दौरान निर्गत बोनस शेयरों की संख्या	-	-
	(iv) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाकी बचे शेयरों की संख्या	6,80,000	6,80,000
	(ङ.) लाभांश के वितरण एवं पूँजी के पुनर्भुगतान पर प्रतिबंध सहित शेयर के प्रत्येक वर्ग से जुड़े अधिकार, अधिमान एवं प्रतिबंध: कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के आधार पर, समस्त अधिकार (धारित प्रति एक्विटी शेयर पर एक मत के अधिकार सहित) समस्त अधिमान एवं प्रतिबंध (एक्विटी शेयर के ह्स्तानांतरण प्रतिबंध सहित) निदेशकमंडल के पास निहित है। बोर्ड द्वारा प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक पर आधारित होता है। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, कर पश्चात् लाभ का कम-से-कम 30% या कुल पूँजी का 5%, जो भी अधिक हो, भारत सरकार को लाभांश के रूप में दिया जाएगा और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप पूँजी का पुनर्भुगतान होगा।		
	(च) धारित शेयर की संख्या का उल्लेख करते हुए कंपनी में कुल शेयर के 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के विवरण : ₹100 प्रत्येक के प्रदत्त एक्विटी शेयर के समस्त 6,80,100 शेयर के 100% राष्ट्रपति एवं उनके द्वारा मनोनीत सदस्यों के नाम केंद्र सरकार (भारत सरकार) के पास है।		
	(छ) विकल्प के तौर पर जारी किए जाने वाले कोई भी शेयर आरक्षित नहीं हैं।		
	(ज) तुलनपत्र की तिथि तक कोई भी प्रतिभूति एक्विटी शेयर में परिवर्तन के लिए बाकी नहीं है।		
	(झ) तुलनपत्र तैयार किए जाने के ठीक पहले पाँच वर्षों की अवधि के लिए सूचना	-----अनुसूची के अनुसार-----	
16	**अन्य एक्विटी**		
	एक्विटी में परिवर्तनों की संलग्न विवरणी के अनुसार	1,56,051.45	1,58,976.88
17	**प्रावधान**		
	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
	(i) उपदान	-	16.47
	(ii) अवकाश नकदीकरण	39.97	34.09
		39.97	**50.56**
18	**अन्य दीर्घकालीन देयता**		
	(i) ग्राहकों से अग्रिम	1.54	1.54
	(ii) पट्टे पर देयता	248.68	249.17
		250.22	**250.71**

19	**व्यापार देय**		
	(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के बाकी बची बकाया राशि	9.60	11.16
	(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को छोड़कर लेनदारों के पास बाकी बची बकाया राशि	24,013.00	68,617.24
		24,022.60	**68,628.40**
	अतिरिक्त सूचना :		
	कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एम.एस.एम.ई.डी अधिनियम) के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के पास बाकी बची बकाया राशि निम्नवत् है :		
	विवरण		
	1 बाकी और अप्रदत्त बचे मूलधन	9.60	11.16
	2 उपर्युक्त (1) के बाकी ब्याज और अप्रदत्त ब्याज	-	-
	3 एम.एस.एम.ई.डी अधिनियम के तहत सभी विलंबित भुगतान पर प्रदत्त ब्याज	-	-
	4 वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि के बाद किए गए भुगतान	-	-
	5 उपर्युक्त (3) को छोड़कर विलम्ब-अवधि के लिए बाकी और देय ब्याज	-	-
	6 प्रोद्भूत एवं अप्रदत्त बाकी बचे ब्याज	-	-
	एम.एस.एम.ई.डी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तह्त व्यय छूट की अस्वीकृति के उद्देश्य से लघु उद्यम को उस तिथि तक जब उपर्युक्त बकाया ब्याज का वास्तविक भुगतान किया गया है और आगामी वर्षों में भी आगे दिए जाने वाले बाकी एवं देय ब्याज	-	-
20	**अन्य वित्तीय देयता**		
	(i) व्यय के लिए लेनदार	234.32	91.38
	(ii) अन्य देयता के लिए लेनदार	108.65	96.06
	(iii) अन्य-प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	1,977.20	5,841.76
		2,320.17	**6,029.20**
21	**अन्य चालू देयता**		
	(i) सांविधिक देयता	2,416.73	2,221.76
	(ii) ग्राहकों से अग्रिम	1,024.56	3,452.74
	(iii) अग्रिम के तौर पर प्राप्त राजस्व	2,896.94	4,834.46
	(iv) पट्टे पर देयता	22.79	22.79
		6,361.02	**10,531.75**
22	**प्रावधान**		
	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
	(i) उपदान के लिए	-	0.60
	(ii) अवकाश नकदीकरण के लिए	8.73	7.42
	सी.एस.आर प्रतिबद्धता हेतु प्रावधान	822.02	553.98
		830.75	**562.00**

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नोट 15 का परिशिष्ट

तुलनपत्र तैयार किए जाने की तिथि के तुरंत पहले तक पिछले पाँच वर्ष के आँकड़े

राशि ₹ लाख में

	विवरण	31.03. 2021 को समाप्त हुई वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03.2020 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03.2019 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03.2018 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03.2017 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	31.03.2016 को समाप्त हुई पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े
(i)	बिना नकद प्राप्ति के संविदा के अनुरूप पूर्ण प्रदत्त शेयर के तौर पर आबंटित शेयर के प्रकार एवं कुल संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बोनस शेयर के माध्यम से पूर्ण प्रदत्त शेयर के तौर पर आबंटित शेयर के प्रकार एवं कुल संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	₹ 100/-प्रत्येक की दर से ₹ 340 लाख मूल्य के 3,40,000 एक्विटी शेयर	शून्य	शून्य
(iii)	पुन: खरीदे गए शेयर के प्रकार एवं कुल संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	₹ 100/-प्रत्येक के प्रत्यक्ष मूल्य पर ₹ 0.40 लाख प्रत्येक के 60,000 एक्विटी शेयर की पुन: खरीदारी	शून्य	शून्य

31.03.2021 तक समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ तथा हानि लेखा के भाग के रूप में नोट

राशि ₹ लाख में

नोट सं.	विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े (पुनरुक्त)
23	**प्रचालनों से राजस्व:**		
	(क) उत्पादों की बिक्री:		
	(i) निर्यात	53.81	95.77
	(ii) घरेलू	6,708.23	44,836.20
	कुल (क)	**6,762.04**	**44,931.97**
	(ख) सेवाओं की बिक्री:		
	(i) **निर्यात**		
	अभिगम शुल्क एवं रॉयल्टी	139.81	45.79
	प्रमोचन सेवा	-	116.15
	परिवर्तन-प्रमोचन सेवाएँ	-	(221.47)
	मिशन सहायता सेवाएँ	151.12	365.61
	(ii) **घरेलू**		
	अंतरिक्ष खण्ड क्षमता - इन्सैट	(1,138.22)	1,19,093.92
	घटाइए: अंतरिक्ष विभाग राजस्व शेयर	(967.49)	1,01,229.83
		(170.73)	17,864.09
	अंतरिक्ष खण्ड क्षमता - विदेशी उपग्रह	55,173.55	69,109.68
	आँकड़ा सूचना अभिगम शुल्क प्राप्ति	2,717.95	744.82
	प्रमोचन सेवा प्राप्ति	-	1,783.07
	मिशन सहायता सेवाएँ	604.90	899.54
	परामर्शिता सेवा प्राप्तियाँ	59.48	8,711.17
	कुल (ख)	**58,676.08**	**99,418.45**
	कुल (क)+(ख)	**65,438.12**	**1,44,350.42**
24	**अन्य आय:**		
	(क) ब्याज से प्राप्त आय		
	(i) बैंक में जमा राशि पर	4,176.39	5,365.24
	(ii) कर्मचारियों को अग्रिम पर	0.04	0.07
	(iii) व्यापार प्राप्तियों पर	427.87	58.56
	(iv) पूर्व प्रदत्त करों पर	259.71	125.82
	(ख) निर्यात प्रोत्साहन	127.88	157.97
	(ग) वैकल्पिक प्रमोचन सेवा	-	12.98
	(घ) विदेशी मुद्रा अंतरण एवं परिवर्तन पर शुद्ध लाभ	-	9.25
	(ङ) पुनर्लिखित संदिग्धपूर्ण ऋण	322.14	-
	(च) लाभांश से आय	-	154.87
	(छ) सरकारी अनुदान से आय	22.69	22.69
	(ज) विक्रेताओं से परिनिर्धारित क्षति प्राप्ति	183.09	3.37
	(झ) विविध आय	0.27	1.21
		5,520.08	**5,912.03**

25	**प्रचालनों से राजस्व की लागत**		
	(क) व्यय की लागत		
	(i) निर्यात	24.01	55.00
	(ii) घरेलू	6,104.55	37,891.01
	कुल (क)	**6,128.56**	**37,946.01**
	(ख) व्यय की लागत		
	(i) निर्यात		
	अभिगम शुल्क एवं रॉयल्टी	83.88	27.47
	प्रमोचन सेवा	-	92.92
	परिवर्तन-प्रमोचन सेवाएँ	-	(176.92)
	मिशन सहायता सेवाएँ	102.87	235.99
	(ii) घरेलू		
	परामर्शिता सेवाएँ	51.76	19.12
	अंतरिक्ष खण्ड क्षमता - विदेशी उपग्रह	51,239.43	64,013.93
	आँकड़ा सूचना अभिगम शुल्क	2,535.75	694.46
	मिशन सहायता सेवाएँ	526.50	788.46
	प्रमोचन सेवाएँ	-	1,689.00
	कुल (क)	**54,540.19**	**67,384.43**
	कुल (क)+(ख)	**60,668.75**	**1,05,330.44**
26	**माल की खरीदारी:**		
	(i) व्यापार क्रय - आयात	-	-
	(ii) व्यापार क्रय - अंतर्देशीय	-	21.25
		-	**21.25**
27	**माल की वस्तु-सूची में परिवर्तन**		
	(i) प्रारंभिक स्टॉक	39.77	81.54
	(ii) घटाइए: अंतिम स्टॉक	16.63	39.76
		23.14	**41.78**
28	**कर्मचारी लाभ व्यय**		
	सी.एम.डी. को पारिश्रमिक एवं सुविधाएँ	41.72	44.92
	निदेशक (वित्त) को पारिश्रमिक एवं सुविधाएँ	26.34	26.69
	सी.एम.डी. के आवास हेतु भाड़ा	4.91	5.60
	निदेशक (वित्त) के आवास हेतु भाड़ा	3.57	4.25
	वेतन	203.27	213.98
	अंतरिक्ष विभाग/इसरो कर्मचारी के लिए पुनर्भुगतान	28.56	136.29
	कर्मचारी कल्याण एवं सुविधाएँ	15.26	4.37
	अवकाश यात्रा रियायत	5.68	8.09
	अवकाश नकदीकरण का भुगतान	-	2.30
	अवकाश नकदीकरण	9.57	41.50
	उपदान प्रावधान	12.15	10.60
	कार्मिक प्रशिक्षण व्यय	0.21	1.47
		351.24	**500.06**
29	**वित्त लागत:**		
	पट्टे की देयता पर ब्याज	22.30	22.34
		22.30	**22.34**

30	**अन्य व्यय:**		
	यात्रा व्यय	2.62	66.39
	सवारी और टैक्सी भाड़ा	10.57	34.39
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2.39	6.10
	संचार संबंधी व्यय	24.33	28.85
	कानूनी शुल्क एवं व्यय	312.68	394.19
	परामर्शिता एवं व्यावसायिक शुल्क	53.77	62.76
	महसूल एवं कर	0.04	5.03
	विज्ञापन एवं प्रचार	17.36	31.95
	सदस्यता एवं अभिदान	4.37	8.74
	जनशक्ति व्यय	102.69	121.04
	संगोष्ठी, सम्मेलन एवं बैठक संबंधी व्यय	2.34	3.81
	बीमा शुल्क	3.70	2.50
	विदेशी मुद्रा अंतरण एवं परिवर्तन पर निवल हानि	398.93	-
	कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज	4.31	1.30
	पिछले वर्षों से संबंधित सेवा कर	-	4,977.55
	एसवीएलडीआरएस के तहत-सेवा कर प्रदत्त-ओडीआइएआर	-	131.14
	जी.एस.टी व्यय-इनपुट अनुपयुक्त	41.64	67.17
	बैंक प्रभार	10.88	7.94
	बैंक गारंटी एवं एलसी प्रभार	131.94	115.81
	मरम्मत एवं अनुरक्षण-अन्य	26.12	66.77
	निदेशकों हेतु बैठक शुल्क	4.40	6.20
	लेखापरीक्षकों को भुगतान:		
	सांविधिक लेखापरीक्षण हेतु	5.40	7.90
	आयकर लेखापरीक्षण हेतु	1.00	2.00
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाक्लापों पर व्यय (अनुलग्नक के अनुरूप विवरण)	820.53	1,535.82
	राहत कोष में योगदान	-	50.00
	स्थाई संपति की बिक्री से लाभ	0.29	-
	विविध व्यय	12.39	16.49
	संदिग्धपूर्ण ऋण हेतु प्रावधान	-	6,729.20
		1,994.69	**14,481.04**
31	**आस्थगित कर**		
	वर्ष के दौरान उद्भूत होने वाले आस्थगित कर (बचत)	70.79	(2,943.93)
		70.79	**(2,943.93)**

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

नोट 30 का परिशिष्ट

31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु व्यय राशि का विवरण

राशि ₹ लाख में

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए आँकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए आँकड़े
कंपनी द्वारा व्यय किए जाने हेतु अग्रेनीत बिना व्यय की गई राशि	112.00	922.82
वर्ष के लिए कंपनी द्वारा व्यय हेतु आबंटित राशि	708.00	725.00
वर्ष के लिए कंपनी द्वारा व्यय की जानी वाली कुल राशि	**820.00**	**1,647.82**
मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष, केरल हेतु योगदान	-	50.00
कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण, कर्नाटक हेतु योगदान	-	50.00
पी. एम. केयर कोष हेतु योगदान	60.00	500.00
विद्यालय एवं महाविद्यालय में संबंधित शैक्षिक एवं इससे जुड़े अन्य क्रियाकलाप	122.95	92.87
ग्राम विकास	-	166.85
वंचित महिला सामुदायिक कार्यक्रम हेतु पुनर्वास एवं दीर्घकालिक जीविकोपार्जन साधन	-	36.70
सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (ए.एफ़.एफ़.डी.एफ़) में युद्ध में वीरगति प्राप्त योद्धाओं की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याण के लिए मेसर्स केंद्रीय सैनिक बोर्ड (के.एस.बी) को योगदान	10.00	-
महिला सशक्तिकरण	70.00	7.75
वेम्बनाड झील में, वेटलैण्ड संरक्षण कार्यक्रम	-	185.53
बंदीगृह में रहने वाले कैदियों के कौशल विकास कार्यक्रम के लिए महानिदेशक, बंदीगृह एवं सुधारात्मक सेवा, तेलंगाना के लिए योगदान	-	26.33
विद्यालयों, अस्पतालों, घरों, समुदायों एवं सार्वजनिक उपयोग के स्थानों की स्वच्छता	49.71	234.24
दिव्यांग लोगों के लिए उपकरण एवं सहायक सामग्री	-	8.39
पाँवफिरा रोग से ग्रसित दिव्यांग बच्चों की सहायता के लिए क्योर इंटरनेशनल इंडिया ट्रस्ट को योगदान	-	43.03
चिकित्सीय सहायता एवं स्वास्थ्य देखभाल	304.85	74.43
सी.एस.आर क्रियाकलापों के लिए परामर्शिता शुल्क	-	17.39
सिरसी में सौर ऊर्जा सहायक प्रणाली की स्थापना	3.16	41.98
‘आशा परियोजना’ के तहत केरल में बाढ़ प्रभावितों के लिए निर्माण	60.00	-
सांत्वना अस्पताल में उपशामक देखभाल इकाई का उन्नयन	9.00	-
वृद्धाश्रम के लिए 300 तकिया और इनके गिलाफ़ की व्यवस्था	0.78	-
आइआइटी, धारवाड़ में अंतरिक्ष प्रयोगशाला की स्थापना	128.00	-
कुष्ठ रोगियों के लिए आवश्यक सामान	0.36	-
मिश्रित सी.एस.आर व्यय	1.72	0.33
कुल व्यय	**820.53**	**1,535.82**
कंपनी द्वारा व्यय किए जाने के लिए अग्रेनीत शेष राशि	**0.00**	**112.00**
व्यय हेतु बाकी प्रतिबद्ध देयता व्यय में शामिल	**822.02**	**553.98**

इण्ड ए.एस. 24 के अनुरूप सी.एस.आर. व्यय से जुड़े संबंधित पक्ष अंतरण का ब्योरा - संबंधित पक्ष प्रकटीकरण-शून्य (विगत वर्ष-शून्य)

वित्तीय विवरणी के नोट

32 आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

राशि ₹ लाख में

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक के आँकड़े
(क) आस्थगित कर परिसंपत्ति		
टैक्स कटौती में समयांतर	4,291.35	4,372.43
	4,291.35	4,372.43
(ख) आस्थगित कर देयता		
टैक्स कटौती में समयांतर	1,191.38	1,201.66
	1,191.38	1,201.66
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति	**3,099.97**	**3,170.77**

32 आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल) (जारी)

राशि ₹ लाख में

क) लाभ तथा हानि लेखा में मान्य राशि

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आँकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आँकड़े
वर्तमान कर व्यय:	2,080.56	10,579.31
आस्थगित कर व्यय (आय)	70.79	(2,943.93)
निवल कर व्यय	**2,151.35**	**7,635.38**

ख) ओसीआइ में मान्य राशि

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आँकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आँकड़े
क) मद जिन्हें लाभ तथा हानि लेखा में पुनर्वगीकृत नहीं किया जाएगा		
रोज़गार के बाद पारिभाषित लाभ योजनाओं पर (हानि)/लाभ का पुनर्मापन	4.63	(6.47)
उपर्युक्त मद का कर प्रभाव	(1.17)	1.63
ख) मद जिन्हें लाभ तथा हानि लेखा में पुनर्वगीकृत किया जाएगा	-	-
कुल	**3.46**	**(4.84)**

ग) प्रभावी आयकर दर का सामंजस्य

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आँकड़े		पिछली रिपोर्टिंग अवधि के आँकड़े	
	राशि	**दर**	**राशि**	**दर**
जारी परिचालन से करपूर्व लाभ/(हानि)	7,722.47	25.168%	29,704.48	25.168%
अपेक्षित आयकर व्यय		1,943.59		7,476.02
अपेक्षित आयकर व्यय के साथ प्रतिवेदित आयकर व्यय के सामंजस्य के लिए समायोजन पर कर प्रभाव				
करमुक्त आय	-	-	(154.87)	(38.98)
पिछले वर्षों के कर व्यय	-	-		(193.82)
पिछले वर्षों के आस्थगित कर मे संशोधन	-	-	17.34	4.36
स्थाई अंतर	825.50	207.76	1,540.82	387.80
समायोजन (निवल) का प्रभाव	825.49	207.76	1,403.29	159.36
वर्ष के लिए कुल आयकर व्यय		**2,151.35**		**7,635.38**
प्रभावी कर दर		**27.86%**		**25.70%**

राशि ₹ लाख में

घ) आस्थगित कर शेष में परिचालन				
विवरण	**01/04/2019 को**	**लाभ एवं हानि विवरणी में मान्य**	**ओसीआइ में मान्य**	**31/03/2020 को**
	कर परिसंपत्ति			**कर परिसंपत्ति**
कर कटौती में समयांतर				
ऋण के प्रति क्षतिपूर्ति भत्ता	2,678.82	1,693.61	-	4,372.43
सांविधिक कटौती	4.36	(4.36)	-	-
निश्चित होने से पूर्व कर (परिसंपत्ति)/देयता	**2,683.18**	**1,689.25**	**-**	**4,372.43**
अप्रयुक्त कर जमा का अग्रसारण				
	कर देयता			**कर देयता**
कर योग्य अस्थाई अंतर				
विरोध के तहत प्रदत्त कर	2,407.53	(1,252.75)	-	1,154.78
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	48.82	(1.94)	-	46.88
	2,456.35	**(1,254.69)**	**-**	**1,201.66**
निवल आस्थगित कर (परिसंपत्ति)/देयता	**(226.83)**	**(2,943.94)**	**-**	**(3,170.77)**

ङ) आस्थगित कर शेष में परिचालन				
विवरण	**01/04/2020 को**	**लाभ एवं हानि विवरणी में मान्य**	**ओसीआइ में मान्य**	**31/03/2021 को**
	कर परिसंपत्ति			**कर परिसंपत्ति**
कर कटौती में समयांतर				
ऋण के प्रति क्षतिपूर्ति भत्ता	4,372.43	(81.08)	-	4,291.35
निश्चित होने से पूर्व कर (परिसंपत्ति)/देयता	**4,372.43**	**(81.08)**	**-**	**4,291.35**
अप्रयुक्त कर जमा का अग्रसारण				
	कर देयता			**कर देयता**
कर योग्य अस्थाई अंतर				
विरोध के तहत प्रदत्त कर	1,154.78	-	-	1,154.78
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	46.88	(10.28)	-	36.60
	1,201.66	**(10.28)**		**1,191.38**
निवल आस्थगित कर (परिसंपत्ति)/देयता	**(3,170.77)**	**70.80**	**-**	**(3,099.97)**

प्रत्यक्ष कर आकस्मिकताएँ

आयकर अधिकरण के साथ कंपनी के कुछ मदों के कर व्यवहार से संबंधी निरर्थक विवाद जारी रहे हैं| यह विवाद कुछ व्यय, जिसे अनावर्ती माना जाता है, के कर व्यवहार से संबंधित है|

33 **प्रति शेयर आय (ई.पी.एस.)**

मौलिक ई.पी.एस. राशि की गणना कंपनी के एक्विटी धारक से संबंधित वर्ष के लाभ और वर्ष के दौरान बाकी बचे एक्विटी शेयर की प्रश्रय दी गई औसत संख्या से विभाजित कर की जाती है।

मिश्रित ई.पी.एस. राशि की गणना, सभी मिले-जुले प्रमुख शेयर के प्रभाव के समायोजन के बाद, कंपनी के एक्विटी धारक से संबंधित वर्ष के लाभ और वर्ष के दौरान बाकी बचे एक्विटी शेयर की प्रश्रय दी गई औसत संख्या से विभाजित कर की जाती है।

राशि ₹ लाख में

i. **प्रारंभिक एक्विटी धारक से संबंधित लाभ**		
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
कर पश्चात् लाभ	5,571.12	22,069.09
प्रारंभिक आय के लिए कंपनी के एक्विटी धारक से संबंधित लाभ	**5,571.12**	**22,069.09**
अन्य	-	-
मिले-जुले प्रभाव को समायोजित करने के बाद कंपनी के एक्विटी धारक से संबंधित लाभ	**5,571.12**	**22,069.09**
ii. **प्रश्रय दी गई एक्विटी शेयर की औसत संख्या**		
	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
प्रारंभिक तिथि तक निर्गत सामान्य शेयर	6,80,000	6,80,000
परिचालन	-	-
मौलिक ई.पी.एस. के लिए 31 मार्च तक प्रश्रय दी गई एक्विटी शेयर की औसत संख्या	**6,80,000**	**6,80,000**
सम्मिश्रण का प्रभाव (यदि कोई हो)	-	-
	6,80,000	**6,80,000**
मौलिक और समायोजित प्रति शेयर आय (₹)	**819.28**	**3,245.45**
मिली-जुली प्रति शेयर आय (₹)	**819.28**	**3,245.45**

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

वित्तीय विवरणी के लिए नोट

34 वितीय संलेख-उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन

क. लेखा वर्गीकरण एवं उचित मूल्य

31 मार्च 2021

राशि ₹ लाख में

	वाहित मूल्य				उचित मान			
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उचित मूल्य में मापित वित्तीय परिसंपत्ति	-	-	-	-	-	-	-	-
उचित मूल्य में अमापित वित्तीय परिसंपत्ति								
दीर्घकालीन ऋण								
दीर्घकालीन वित्तीय परिसंपत्ति								
कर्मचारियों को अग्रिम	-	-	1.15	1.15	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा	-	-	5,000.02	5,000.02	-	-	-	-
12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि सहित अन्य वित्तीय परिसंपत्ति			6,231.38	6,231.38	-	-	-	-
चालू वित्तीय परिसंपत्ति								
व्यापार प्राप्तियाँ	-	-	41,867.25	41,867.25	-	-	-	-
नकद एवं नकद समतुल्य	-	-	348.17	348.17	-	-	-	-
अन्य बैंक शेष राशि	-	-	87,330.30	87,330.30				
अन्य वसूली योग्य	-	-	4,679.91	4,679.91	-	-	-	-
बिना बिल राजस्व			202.33	202.33				
बैंक में जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	-	-	3,044.17	3,044.17	-	-	-	-
	-	-	1,48,704.68	1,48,704.68	-	-	-	-
उचित मूल्य में मापित वित्तीय देयता	-	-	-	-	-	-	-	-
उचित मूल्य में अमापित वित्तीय देयता	-	-	-	-	-	-	-	-
दीर्घकालीन वित्तीय देयता	-	-	-	-				
व्यापार देय	-	-	24,022.60	24,022.60	-	-	-	-
व्यय के लिए लेनदार	-	-	234.32	234.32	-	-	-	-
अन्य देयता के लिए लेनदार	-	-	108.65	108.65	-	-	-	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	-	-	1,977.20	1,977.20	-	-	-	-
	-	-	**26,342.77**	**26,342.77**	-	-	-	-

31 मार्च 2020

	वाहित मूल्य					उचित मान		
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उचित मूल्य में मापित वित्तीय परिसंपत्ति	-	-	-	-	-	-	-	-
उचित मूल्य में अमापित वित्तीय परिसंपत्ति								
दीर्घकालीन ऋण								
दीर्घकालीन वित्तीय परिसंपत्ति								
कर्मचारियों को अग्रिम	-	-	0.67	0.67	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा	-	-	5,018.26	5,018.26				
12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि सहित अन्य वित्तीय परिसंपत्ति			22,953.06	22,953.06				
चालू वित्तीय परिसंपत्ति								
व्यापार प्राप्तियाँ	-	-	1,18,037.02	1,18,037.02	-	-	-	-
नकद एवं नकद समतुल्य	-	-	133.15	133.15	-	-	-	-
अन्य बैंक शेष राशि	-	-	52,413.30	52,413.30				
अन्य वसूली योग्य	-	-	27.68	27.68	-	-	-	-
बिना बिल के राजस्व			941.12	941.12				
बैंक में जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	-	-	4,036.93	4,036.93	-	-	-	-
	-	-	**2,03,561.19**	**2,03,561.19**	-	-	-	-
उचित मूल्य में मापित वित्तीय देयता	-	-	-	-	-	-	-	-
उचित मूल्य में अमापित वित्तीय देयता	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्तमान वित्तीय देयता								
व्यापार देय	-	-	68,628.40	68,628.40	-	-	-	-
व्यय के लिए लेनदार	-	-	91.38	91.38	-	-	-	-
अन्य देयता के लिए लेनदार	-	-	96.06	96.06	-	-	-	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	-	-	5,841.76	5,841.76	-	-	-	-
	-	-	**74,657.60**	**74,657.60**	-	-	-	-

उचित मूल्य क्रम

स्तर 1 - समान परिसंपत्ति या देयता के लिए सक्रिय बाज़ार में उद्धृत दाम (असमायोजित)

स्तर 2 - स्तर 1 के तहत शामिल उद्धृत मूल्य को छोडकर इन्पुट परिसंपत्ति या देयता के लिए या तो प्रत्यक्ष रूप से (यानी मूल्य के तौर पर) या परोक्ष रूप से (यानी, मूल्य से उद्भूत) प्रेक्षणीय है ।

स्तर 3 - परिसंपत्ति या देयता के लिए इन्पुट जो बाज़ार के प्रेक्षणीय आँकड़ा (अप्रेक्षणीय इन्पुट) पर आधारित नहीं है ।

अवधि के दौरान, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, के बीच कोई अंतरण नहीं हुआ है ।

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय संलेख से उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित जोखिम से कंपनी प्रभावित हो सकती है:

- ऋण जोखिम;
- तरलता जोखिम; और
- बाज़ार जोखिम

i. जोखिम प्रबंधन खाका

कंपनी की मुख्य वित्तीय देयताओं में व्यापार देय तथा ग्राहकों से जमा शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के व्यापार के लिए आर्थिक व्यवस्था करना है। कंपनी की मुख्य वित्तीय परिसंपत्ति में व्यापार प्राप्तियाँ, नकद, जमा तथा इसके व्यापार से प्रत्यक्ष रूप से उद्भूत निवेश शामिल हैं।

कंपनी के क्रियाकलाप इसे कई तरह के वित्तीय जोखिमों में डालते हैं: बाज़ार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम। कंपनी का मुख्य ध्यान वित्तीय बाज़ार की अनिश्चितता और अपनी वित्तीय निष्पादकता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को कम करने पर केंद्रित होता है। कंपनी का मुख्य जोखिम विदेशी मुद्रा जोखिम होता है। ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषता से पड़ने वाले विशेष प्रभाव के कारण ही कंपनी को ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है।

राशि ₹ लाख में

34 वित्तीय संलेख - उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन (जारी)

ii. **ऋण जोखिम**

ऋण जोखिम कंपनी के लिए वित्तीय हानि का जोखिम है यदि वित्तीय संलेख के लिए एक ग्राहक या प्रतिरूपक अपने संविदा दायित्व को पूर्ण करने से चूक जाता है, और मुख्यत: कंपनी को ग्राहकों से मिलने वाली प्राप्तियों एवं ऋण प्रतिभूति में निवेश से उत्पन्न होता है।

निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्ति की वाहित राशि अधिकतम ऋण अनावरण का वर्णन करती है:

क) व्यापार प्राप्तियाँ

ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषता से पड़ने वाले विशेष प्रभाव के कारण ही कंपनी को ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, प्रबंधन उद्योग से मिलने वाले अनपेक्षित जोखिम एवं वह देश जहाँ ग्राहक काम करता है, सहित उन कारणों पर भी विचार करता है जो ग्राहक के आधार को प्रभावित करता सकता है।

उद्योगजगत् के प्रचलनों एवं व्यापारिक वातावरण के आधार, जिस पर प्रतिष्ठान कार्य करता है, प्रबंधन यह विचार करता है कि व्यापार प्राप्तियाँ एवं ऋण अनपेक्षित (ऋण क्षतिग्रस्त) हैं यदि भुगतान 365 दिनों से अधिक समय से बाकी है और जमा या बैंक गारंटी के एवज में सुरक्षित नहीं है|

केंद्र/राज्य सरकारों,केंद्र/राज्य सरकारों के विभागों, केंद्र/राज्य सरकारों की स्वायत्त संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिनके लिए प्रावधान/हानि भत्ता की माप प्रकरण से प्रकरण पर आधारित होती है और अपेक्षित ऋण हानि हेतु विचार नहीं किया जाता है।

कंपनी क्षति हानि, जो व्यापार प्राप्तियों से संबंधित अपेक्षित हानि के लिए अपने परामर्शदाता से मिले आकलन इंगित करती है, के लिए भत्ता की व्यवस्था करती है।

व्यापार प्राप्तियों एवं व्यक्तिगत ग्राहकों से ऋण के लिए ऋण जोखिम एवं अपेक्षित ऋण हानि के अनावरण के बारे में सूचना निम्नलिखित सारणी से मिलती है:

31 मार्च 2021

	प्रभावशाली औसत हानि दर	**क्या ऋण क्षति हुई ?**
90 दिनों के बाद तक बकाया	0.00%	जी नहीं
91 - 180 दिनों के बाद बकाया	0.28%	जी नहीं
181 - 365 दिनों के बाद बकाया	3.02%	जी नहीं
365 से अधिक दिनों के बाद बकाया	42.34%	जी नहीं
ऋण क्षति	100.00%	जी हाँ

31 मार्च 2019

	प्रभावशाली औसत हानि दर	**क्या ऋण क्षति हुई ?**
90 दिनों के बाद तक बकाया	0.13%	जी नहीं
91 - 180 दिनों के बाद बकाया	31.86%	जी नहीं
181 - 365 दिनों के बाद बकाया	18.42%	जी नहीं
365 से अधिक दिनों के बाद बकाया	20.12%	जी नहीं
ऋण क्षति	100.00%	जी हाँ

वर्ष के दौरान व्यापार तथा अन्य प्राप्तियों से संबंधित क्षति के लिए भत्ता में परिचालन इस प्रकार था:

	31 मार्च 2021	**31 मार्च 2020**
1 अप्रैल तक शेष	17,372.96	10,643.76
पहचान की गई क्षति हानि	-	6,729.20
पुनर्लिखित राशि	322.14	-
31 मार्च तक शेष	**17,050.82**	**17,372.96**

राशि ₹ लाख में

ऋण जोखिम का भौगोलिक अभिकेंद्रन

व्यापार प्राप्तियों का भौगोलिक अभिकेंद्रन (सकल एवं निवल भत्ता), बिना बिल की प्राप्तियाँ एवं संविदा परिसंपत्ति अधोलिखित हैं:

देश	31 मार्च 2021 को		31 मार्च 2020 को	
	सकल %	निवल %	सकल %	निवल %
भारत	95.49	95.11	89.46	88.12
यूनाइटेड किंगडम	0.06	0.08	8.22	9.43
नीदरलैण्ड	3.51	3.95	1.67	1.91
अन्य देश	0.94	0.86	0.65	0.54

व्यापार प्राप्तियों का देश-व्यापी अनावरण ग्राहकों के स्थान पर आधारित है।

ग) **नकद एवं नकद समतुल्य**

कंपनी के पास 31 मार्च 2021 तक 348.17 (31 मार्च 2020 तक 133.15) का नकद और नकद समतुल्य था| नकद और नकद समतुल्य बैंक एवं वित्तीय संस्थान के पास रखा हुआ है जिनकी क्रिसिल दर ए 1+ दर्ज़ है|

34 वित्तीय संलेख - उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन (जारी)

iii.**तरलता जोखिम**

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिससे कंपनी को अपनी वित्तीय देयता से संबंधित दायित्वों को पूर्ण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जिसे नकद भुगतान या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति से व्यवस्थित किया जाता है। तरलता के प्रबंधन के लिए कंपनी की पहल यह सुनिश्चित करना है कि जहाँ तक संभव हो, सामान्य और कठिन परिस्थियों में, बिना किसी अस्वीकार्य हानि या कंपनी की साख को नुकसान पहुँचाए, अपनी देयता, जब वे देय हों, को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त तरलता हो।

कंपनी की तरलता प्रमुख स्रोत नकद और नकद समतुल्य हैं और वे नकद प्रवाह जिन्हें व्यापार से सृजित किया जाता है। कंपनी के पास बैंक से कोई उधार नहीं है। कंपनी को विश्वास है कि उसकी कार्यकारी पूँजी उसकी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार, किसी तरलता जोखिम का कोई अंदेशा नहीं है।

तरलता जोखिम के लिए अनावरण

रिपोर्टिंग तिथि तक वित्तीय देयता की बाकी बची संविदात्मक परिपक्वता निम्नलिखित हैं। राशि सकल और बिना छूट की हैं, और इसमें अनुमानित ब्याज के भुगतान शामिल हैं तथा निवल समझौतों के प्रभाव शामिल नहीं हैं।

		संविदात्मक नकद प्रवाह			
31 मार्च 2021	वाहित राशि	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-4 वर्ष	4-7 वर्ष
मुखर वित्तीय देयता					
असामान्य					
अन्य व्यापार देय					
चालू					
व्यापार देय	24,022.60	24,022.60	-	-	-
अन्य चालू वित्तीय देयता					
व्यय के लिए लेनदार	234.32	234.32	-	-	-
अन्य देयता के लिए लेनदार	108.65	108.65	-	-	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	1,977.20	1,977.20	-	-	-
	26,342.77	**26,342.77**	**-**	**-**	**-**

राशि ₹ लाख में

31 मार्च 2020	वाहित राशि	संविदात्मक नकद प्रवाह 1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-4 वर्ष	4-7 वर्ष
मुखर वित्तीय देयता					
असामान्य					
अन्य व्यापार देय					
चालू					
व्यापार देय	68,628.40	68,628.40	-	-	-
अन्य चालू वित्तीय देयता					
व्यय के लिए लेनदार	91.38	91.38	-	-	-
अन्य देयता के लिए लेनदार	96.06	96.06	-	-	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	5,841.76	5,841.76	-	-	-
	74,657.60	**74,657.60**	**-**	**-**	**-**

34 वित्तीय संलेख - उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन (जारी)

iv.बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम वह जोखिम है जो बाज़ार मूल्यों के साथ बदलता है - जैसे विदेशी मुद्रा एवं ब्याज दर - कंपनी की आय या वित्तीय संलेखों की धारिता के मान को प्रभावित करेंगे। बाज़ार जोखिम, विदेशी मुद्रा प्राप्ति एवं देय तथा दीर्घावधि ऋण सहित सभी बाज़ार प्रभावी वित्तीय संलेखों के प्रति उत्तरदायी है। कंपनी, मूलत: ब्याज दर जोखिम एवं निवेश के बाज़ार मूल्य से संबंधित बाज़ार जोखिम से प्रभावित है। अतएव, बाज़ार जोखिम का प्रभाव, निवेश एवं ऋण क्रियाकलाप का ही परिणाम है। बाज़ार जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य विदेशी मुद्रा के अत्यधिक प्रभाव से बचाना है।

मुद्रा जोखिम

कंपनी, विदेशी मुद्रा में उत्पादों एवं सेवाओं के निर्यात के कारण मुद्रा जोखिम से प्रभावित है| कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया (₹) है।

मुद्रा जोखिम से प्रभावित होने वाली कंपनी के परिमाणात्मक आँकड़े के सारांश निम्नप्रकार हैं :

31 मार्च 2021 को

मुद्रा	विदेशी मुद्रा की राशि				राशि ₹ में			
	वित्तीय परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	निवल प्राप्तियाँ/ (देय)	वित्तीय परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	निवल प्राप्तियाँ/ (देय)
यूरो (ईयूआर)	28.79	-	0.97	27.82	2,509.05	-	84.30	2,424.75
अमेरिकी डॉलर (यूएसडी)	1.70	-	260.22	(258.52)	125.29	-	19,178.24	(19,052.95)

31 मार्च 2020 को

मुद्रा	विदेशी मुद्रा की राशि				राशि ₹ में			
	वित्तीय परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	निवल प्राप्तियाँ/ (देय)	वित्तीय परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	निवल प्राप्तियाँ/ (देय)
यूरो(ईयूआर)	34.51	-	0.39	34.12	2,908.03	-	32.90	2,875.13
अमेरिकी डॉलर (यूएसडी)	2.86	-	320.78	(317.92)	217.07	-	24,346.84	(24,129.77)

राशि ₹ लाख में

सूक्ष्मग्राही विश्लेषण

वर्ष के अंत में भारतीय रुपए, अमेरिकी डॉलर, यूरो एवं अन्य मुद्राओं में तथ्यात्मक स्थिरता (अस्थिरता) की संभावनाएँ विदेशी मुद्रा में वित्तीय संलेख के प्रारूपों को प्रभावित किया होगा और एक्विटी तथा नीचे दी गई राशि द्वारा लाभ या हानि को प्रभावित किया। इस विश्लेषण से पता चलता है कि अन्य सभी परिवर्तनांक, एक विशेष ब्याज दर में, स्थिर रहता है और क्रय एवं विक्रय की भविष्यवाणी से पड़ने वाले किसी भी प्रभाव को अनदेखा कर देता है।

	लाभ या हानि			एक्विटी, कर का निवल	
	स्थिर	अस्थिर		स्थिर	अस्थिर
31 मार्च 2021					
अमेरिकी डॉलर (1% परिचालन)	(190.53)	190.53		(142.58)	142.58
यूरो (ईयूआर) (1% परिचालन)	24.25	(24.25)		18.14	(18.14)
31 मार्च 2020					
अमेरिकी डॉलर (1% परिचालन)	(241.30)	241.30	-	(180.57)	180.57
यूरो (ईयूआर) (1% परिचालन)	28.75	(28.75)	-	21.52	(21.52)

निम्नलिखित उल्लेखनीय विनिमय दर लागू किए गए हैं।

	वर्ष के अंत में दर	
	31 मार्च 2021	**31 मार्च 2020**
अमेरिकी डॉलर (यूएसडी)	73.70	75.90
यूरो (ईयूआर)	87.15	84.26

35. खण्ड सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अंतर्गत, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना जीएसआर 463(ई) दिनांक 05- जून-2015 के अनुसार प्रत्येक वर्ग के माल एवं उनसे संबंधित मूल्यों की अतिरिक्त सूचनाओं के प्रकटीकरण से छूट दे रखी है और उत्पादों की संवेदी प्रकृति तथा व्यापार के क्षेत्र के मद्देनज़र, भारतीय लेखा मानक 108-प्रचालन खण्ड के तहत चालू एवं पिछले वित्तीय वर्ष की अपेक्षित सूचना प्रदान नहीं की गई है।

36. संबंधित पक्ष-इण्ड ए.एस.-24

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। यह कंपनी सरकारी प्रतिष्ठान है, अत: अनुच्छेद 25 के अंतर्गत इसे प्रकटीकरण से छूट मिला हुआ है।

कंपनी, इण्ड ए.एस. 24 के अनुच्छेद 26 के अनुरूप प्रकटीकरण करेगी। संबंधित प्रकटीकरण इसप्रकार हैं:

नियंत्रण प्रतिष्ठान — **अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार**

प्रमुख प्रबंधन दल

संबंधित पक्ष का नाम	**संबंध** (31.03.2021 को समाप्त हुए वर्ष हेतु)	**संबंध** (31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष हेतु))
श्री राकेश शशिभूषण	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
श्री संजय कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	निदेशक (वित्त)

राशि ₹ लाख में

संबंधित पक्ष के साथ किए गए अंतरण की सूची

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रदत्त पारिश्रमिक		
अल्पकालीन कर्मचारी लाभ सहित वेतन	85.25	91.60
कार्य-समापन लाभ	-	-
	85.25	**91.60**
अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार		
वर्ष के दौरान बिक्री से अर्जित राजस्व	1,855.00	253.54
वर्ष के दौरान सेवा पर किए गए व्यय	22.27	37,865.51
वर्ष के दौरान अंतरिक्ष खंड के लिए दी गई संविदा प्रबंधन सेवा से प्राप्त राजस्व	(170.73)	17,864.09
व्यय की प्रतिपूर्ति	33.10	140.94
	1,739.64	**56,124.08**

संबंधित पक्ष के साथ बाकी बची शेष राशि की सूची

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार को देय	4,156.61	35,654.99

37. पूँजी प्रबंधन

एक मज़बूत पूँजीगत आधार सुरक्षित रखना कंपनी की नीति है ताकि निवेशक, लेनदार एवं बाज़ार में विश्वास बना रहे और व्यापार का विकासोन्मुखी भविष्य सुरक्षित रहे। प्रबंधन, पूँजी के साथ-साथ सामान्य शेयर धारकों को मिलने वाले लाभांश के स्तर पर निगरानी रखते हैं।

कंपनी, 'समायोजित निवल ऋण' एवं 'समायोजित एक्विटी' के अनुपात का उपयोग कर पूँजी की निगरानी रखती है। इसके लिए, कुल देयता से नकद एवं नकद समतुल्य को घटाकर समायोजित निवल ऋण सुनिश्चित किया जाता है। समायोजित एक्विटी में सुरक्षा रिज़र्व में जमा राशि को छोड़कर एक्विटी के सारे घटक शामिल हैं।

अनुपात को 2.00 से कम रखना कंपनी की नीति है। 31 मार्च तक कंपनी के समायोजित निवल ऋण एवं एक्विटी अनुपात निम्नलिखित थे::

	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक
कुल देयता	33,824.73	86,052.62
घटाइए : नकद एवं नकद समतुल्य	348.17	133.15
समायोजित निवल ऋण	**33,476.56**	**85,919.47**
कुल एक्विटी	1,56,731.45	1,59,656.88
घटाइए : बचाव रिज़र्व	-	-
समायोजित एक्विटी	**1,56,731.45**	**1,59,656.88**
समायोजित निवल ऋण एवं समायोजित एक्विटी का अनुपात	**0.21**	**0.54**

38 कर्मचारी लाभ से संबंधित परिसंपत्ति एवं देयता

(नोट 3 में लेखा नीति देखें)

राशि ₹ लाख में

i. **उपदान**

विवरण	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्ति	34.00	-
कुल कर्मचारी लाभ परिसंपत्ति	34.00	-
निवल परिभाषित लाभ देयता	-	(17.07)
कुल कर्मचारी लाभ देयता	(34.00)	(17.07)
दीर्घकालीन	-	16.47
चालू	-	0.60

निवल परिभाषित लाभ देयता का सामंजस्य

पारिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का सामंजस्य

	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
वर्ष के आरंभ में शेष	65.95	45.99
लाभांश प्रदत्त		
चालू सेवा लागत	10.98	9.70
ब्याज लागत	4.51	3.46
विगत सेवा लाभ		
अन्य व्यापक आय में मान्य बीमांकिक (लाभ)/हानि		
-जनसांख्यिक मान्यताओं में परिवर्तन	-	1.31
-वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन	0.10	5.36
- अनुभव समायोजन	(1.96)	0.13
वर्ष के अंत में शेष	**79.58**	**65.95**

नियोजित परिसंपत्ति के वर्तमान मूल्य का सामंजस्य

	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
वर्ष के आरंभ में शेष	48.88	34.05
नियोजन में प्रदत्त योगदान	58.58	11.94
लाभ प्रदत्त	-	-
ब्याज से आय	3.35	2.56
अन्य व्यापक आय में मान्य नियोजित परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ	2.77	0.33
वर्ष के अंत में शेष	**113.58**	**48.88**
निवल पारिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)	**(34.00)**	**17.07**

पारिभाषित लाभ दायित्व

1. वेतन वृद्धि दर

रिपोर्टिंग तिथि तक निम्नलिखित मुख्य बीमांकिक मान्यताएँ थीं (भारित औसत के तौर पर अभिव्यक्त)।

	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
छूट दर	6.85%	6.85%
वेतन वृद्धि दर	7.00%	7.00%
महँगाई भत्ता की दर में वृद्धि (प्रति वर्ष)	7.00%	7.00%

2. लोकतांत्रिक मान्यताएँ

	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
मृत्यु दर (आइ.इ.एल.एम. 2012-14 का %)	100%	100%
आहरण दर, वय आधारित (प्रति वर्ष)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31-40 वर्ष	2%	2%
40 वर्ष से ऊपर	1%	1%

भविष्य की नश्वरता से संबंधित मान्यताएँ प्रकाशित सांख्यिकी और नश्वरता-सारणी पर अभिव्यक्ति

3.सूक्ष्मग्राहिता विश्लेषण

रिपोर्टिंग तिथि तक अन्य मान्यता स्थिरांक धारित बीमांकिक मान्यताओं में एक संबंधित मान्यता के लिए तर्कसंगत संभावित परिवर्तन नीचे दिखाई गई राशि द्वारा पारिभाषित लाभ दायित्व प्रभावित हुआ होगा।

	31 मार्च 2021		31 मार्च 2020	
	कमी	वृद्धि	कमी	वृद्धि
छूट दर (1%परिचालन)	91.88	69.44	76.58	57.19
(सूक्ष्मग्राहिता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	15.50%	-12.70%	16.10%	-13.30%
भविष्य की वेतन वृद्धि (1%परिचालन)	67.16	94.39	55.28	78.69
(सूक्ष्मग्राहिता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	-15.60%	18.60%	-16.20%	19.30%
क्षयण दर (50%परिचालन)	80.40	78.80	66.67	65.26
(सूक्ष्मग्राहिता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	1.00%	-1.00%	1.10%	-1.00%
मृत्यु दर (10% परिचालन)	78.87	80.25	65.38	66.51
(सूक्ष्मग्राहिता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	-0.90%	0.80%	-0.90%	0.80%

एलआइसीजीजीएफ के साथ बीमा के द्वारा योग्य कार्मिकों को उपदान दिया जाता है| बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा संगणित वार्षिक माँग लाभ तथा हानि लेखा एवं अन्य व्यापक आय के ख़रचे में लिखा जाता है|

अंतरिक्ष विभाग के कार्मिक, जो इस कंपनी के कार्मिक नहीं हैं, परन्तु कंपनी के लिए कार्य करते हैं, हेतु अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार को दी जाने वाली राशि में ऊपर दी गई राशि शामिल नहीं है।

ii. **अवकाश मूल्यांकन**

1. परिसंपत्ति एवं देयता (तुलनपत्र की स्थिति)

	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
दायित्व का वर्तमान मूल्य	133.15	120.92
नियोजित परिसंपत्ति का उचित मूल्य	84.45	79.41
अधिशेष/(घाटा)	(48.70)	(41.51)
परिसंपत्ति सीमा का प्रभाव, यदि कोई हो	-	-
निवल परिसंपत्ति/ (देयता)	**(48.70)**	**(41.51)**

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची III के अनुसार वर्ष के अंत में वर्तमान का द्विभागीकरण

	31 मार्च 2021	31 मार्च 2020
चालू देयता (अल्पावधि)	8.73	7.42
दीर्घकालीन देयता (दीर्घावधि)	39.97	34.09
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	48.70	41.51

भारत की एलआइसी के साथ अवकाश नकदीकरण से संबंधित सेवानिवृत्ति लाभ समूह अवकाश नकदीकरण योजना द्वारा दिया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा संगणित वार्षिक माँग लाभ तथा हानि लेखा एवं अन्य व्यापक आय के ख़रचे में लिखा जाता है।

राशि ₹ लाख में

अंतरिक्ष विभाग के कार्मिक, जो इस कंपनी के कार्मिक नहीं हैं, परन्तु कंपनी के लिए कार्य करते हैं, हेतु अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार को दी जाने वाली राशि में ऊपर दी गई राशि शामिल नहीं है।

39. इण्ड एएस 37 के अंतर्गत प्रकटीकरण

प्रावधानों में परिचालन				
	01/04/2019 तक	योग	उपयोग की गई राशि	31/03/2020 तक
उपदान				
चालू	0.85	0.60	0.85	0.60
दीर्घकालीन	11.09	16.47	11.09	16.47
अवकाश नकदीकरण				
चालू	4.81	7.42	4.81	7.42
दीर्घकालीन	16.30	34.09	16.30	34.09
सी.एस.आर प्रतिबद्धताएँ	**-**	**553.98**	**-**	**553.98**
कुल	**33.05**	**612.56**	**33.05**	**612.56**

प्रावधानों में परिचालन				
	01/04/2020 तक	योग	उपयोग की गई राशि	31/03/2021तक
उपदान				
चालू	0.60	-	0.60	-
दीर्घकालीन	16.47	-	16.47	-
अवकाश नकदीकरण				
चालू	7.42	8.73	7.42	8.73
दीर्घकालीन	34.09	39.97	34.09	39.97
सी.एस.आर प्रतिबद्धताएँ	**553.98**	**496.53**	**228.49**	**822.02**
कुल	**612.56**	**545.23**	**287.07**	**870.72**

40. भारतीय लेखाविधि मानक इण्ड एएस-38-अमूर्त परिसंपत्ति के अंतर्गत प्रकटीकरण

(क)	अमूर्त परिसंपत्ति की श्रेणी	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
(ख)	अमूर्त परिसंपत्ति की प्रकृति	अलग से प्राप्त
(ग)	उपयोगी जीवन या परिशोधन दर	निश्चित उपयोगी जीवन
(घ)	उपयोग में लाई गई परिशोधन पद्धति	अनुज्ञप्ति की अवधि के पार परिशोधन सीधी रेखा के आधार पर और इसके अभाव में 5 वर्ष होता है
(ङ.)	सकल वाहित राशि	₹140.81 लाख (पिछले वर्ष ₹136.8 लाख)
(च)	संचित परिशोधन	₹102.31 लाख (पिछले वर्ष ₹73.15 लाख)
(छ)	लाभ तथा हानि लेखा की लाइन सामग्री जिसमें किसी अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन शामिल है	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय
(ज)	अवधि के आरंभ एवं अंत में संचित क्षति हानि	शून्य
अवधि के आरंभ और अंत में वाहित राशि का सामंजस्य		
(i)	आंतरिक विकास से अलग, अलग से प्राप्त, एवं समामेलन से प्राप्त इंगित करते योग	अलग से प्राप्त-₹3.95 लाख (पिछले वर्ष ₹ 22.00 लाख) आंतरिक तौर पर या समामेलन द्वारा विकसित कोई सॉफ्टवेयर नहीं है।

राशि ₹ लाख में

(ii)	इण्ड एएस-105 और अन्य निपटारे के अनुरूप बिक्री के लिए नियंत्रित के रूप में वर्गीकृत या बिक्री के लिए नियंत्रित के रूप में वर्गीकृत निपटारे के समूह में शामिल परिसंपत्ति	शून्य (पिछले वर्ष-शून्य)
(iii)	अवधि के दौरान, इण्ड एएस-36 के अनुरूप पुनर्मूल्यांकन और अन्य व्यापक आय में क्षति हानि स्वीकृत या प्रतिक्रमित से हुई वृद्धि या कमी	शून्य
(iv)	अवधि के दौरान, इण्ड एएस-36 के अनुरूप लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकृत क्षति हानि	शून्य
(v)	अवधि के दौरान स्वीकृत कोई समामेलन	₹29.16 लाख (पिछले वर्ष ₹25.78 लाख)
(vi)	वित्तीय विवरणी के प्रदेय मुद्रा में स्थानांतरण, और अस्तित्व के विदेशी प्रचालन के प्रदेय मुद्रा में स्थानांतरण के कारण उद्भूत होने वाले निवल विनिमय अंतर	शून्य
(vii)	अवधि के दौरान वाहित राशि में अन्य परिवर्तन	शून्य

41. 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए चालू वर्ष के लिए इण्ड एएस 116 के अंतर्गत पट्टा प्रकटीकरण

इण्ड एएस 116 का क्रियान्वयन-पट्टेदार के तौर पर पट्टा

पहले के मानक, इण्ड एएस 17-पट्टा के अंतर्गत, वह पट्टा जिसमें स्वामित्व के दायित्व और लाभ पट्टेदार द्वारा संजोए गए थे, को संचालनीय पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इण्ड एएस 116 के अंतर्गत, कंपनी परिसंपत्ति के उपयोगाधिकार एवं पट्टे के लिए पट्टा देयता को स्वीकार करती है यानी ये पट्टे तुलनपत्र में होते हैं।

01 अप्रैल 2019 से प्रभावी, कंपनी ने इण्ड एएस 116 - पट्टा को स्वीकार किया है और संशोधित पूर्वप्रभावी पद्धति का उपयोग कर इसे 01 अप्रैल 2019 तक विद्यमान अपने सभी पट्टा-संविदा में लागू किया है। कंपनी के पास केवल एक ही पट्टा है यानी अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार से भूमि का पट्टा। इसी के आधार पर और यथा अनुमन्य मानक के विशिष्ट परिवर्ती प्रावधानों के अंतर्गत, कंपनी ने तुलनात्मक आँकड़े की पुनरुक्ति नहीं की है।

01 अप्रैल 2019 तक की पट्टा देयता और सदृश उपयोगाधिकार परिसंपत्ति, पट्टेदार की ऋण वृद्धि दर के बट्टे के साथ बाकी बचे पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापी जाती है। 01 अप्रैल 2019 तक पट्टा देयता पर लागू पट्टेदार की ऋण वृद्धि दर का वाहित औसत 8.20% प्रति वर्ष था। यह परिवर्तन, इण्ड एएस 116 के परिवर्ती प्रावधानों के अनुरूप है।

परिवर्तन के कारण, नए मानक अपनाने से ₹272.41 लाख की उपयोगाधिकार परिसंपत्ति और ₹272.41 लाख की पट्टा देयता स्वीकार की गई है।

i) **लागू उचित व्यवहार**

कंपनी ने संविदा के होने या आरंभिक आवेदन की तिथि इसमें पट्टा होने पर भी पूर्व चिह्नित पट्टा इण्ड एएस 17 के पुनर्मूल्यांकन का चयन नहीं किया है। हालाँकि, पहली बार इण्ड एएस 116 लागू करते समय कंपनी ने मानक द्वारा अनुमन्य निम्नलिखित व्यावहारिक औचित्य का भी उपयोग किया है:

- अपेक्षाकृत समान गुण वाले पट्टे के पत्राधान हेतु एकल बट्टा दर लागू किया जाना
- अपने पूर्व मूल्यांकन पर निर्भर करना कि क्षति हानि समीक्षा के निष्पादन के विकल्प के तौर पर आरंभिक आवेदन की तिथि से पूर्व इण्ड एएस 37 के प्रावधानों, आकस्मिक देयता एवं आकस्मिक परिसंपत्ति के अंतर्गत पट्टे दु:सह हैं कि नहीं।
- 01 अप्रैल 2019 तक कोई दु:सह संविदाएँ नहीं थीं।
- आरंभिक आवेदन की तिथि तक उपयोगाधिकार परिसंपत्ति के मापन के लिए आरंभिक सीधी लागत को छोड़कर
- पट्टे की अवधि के निर्धारण के लिए पश्चदृष्टि का उपयोग करना जहाँ संविदा में पट्टे को विस्तारित या समाप्त करने का विकल्प शामिल है।

राशि ₹ लाख में

ii) **पट्टा देयता का मापन**

31 मार्च 2019 तक प्रचालनीय पट्टा प्रतिबद्धता (सरकारी अनुदान राशि सहित)	1,135.51
01 अप्रैल 2019 तक वृद्धि गृहीत दर का उपयोग करके छूट दी गई	8.20%
31 मार्च 2019 तक वित्त पट्टा देयता	272.41
01 अप्रैल 2019 तक मान्य पट्टा देयता	- 272.41

कंपनी परिसर हेतु पट्टा व्यवस्था में शामिल हुई है। तुलन पत्र में 'संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर' की पंक्ति के बाद उपयोगाधिकार को शामिल किया गया है एवं 'अन्य देयता' के अंतर्गत पट्टा देयता को शामिल किया गया है।

(iii) **तुलन पत्र में मान्य राशि**

विवरण	**31 मार्च 2021**	**31 मार्च 2020**
क) उपयोगाधिकार परिसंपत्ति	261.51	266.96
ख) पट्टा देयता		
चालू	22.79	22.79
दीर्घकालीन	248.68	249.17
कुल पट्टा देयता	271.47	271.96
ग) उपयोगाधिकार परिसंपत्ति में योग	-	-

(iv) **लाभ तथा हानि लेखा में मान्य राशि**

विवरण	**31 मार्च 2021**	**31 मार्च 2020**
क) उपयोगाधिकार परिसंपत्ति हेतु मूल्यह्रास शुल्क	5.45	5.45
ख) ब्याज व्यय	22.30	22.34
ग) अल्पावधि पट्टे से संबंधित व्यय	-	-

(v) **नकद प्रभाव**

विवरण	**31 मार्च 2021**	**31 मार्च 2020**
पट्टे के कारण कुल नकद बहिर्गमन	0.10	0.10

(vi) **भविष्य की प्रतिबद्धता**

विवरण	**31 मार्च 2021**	**31 मार्च 2020**
भविष्य के बिना बट्टे वाले पट्टे के भुगतान जिसके लिए पट्टा करार अभी तक आरंभ नहीं हुआ है	-	-

(vii) **अप्रकट पट्टा देयता का परिपक्व विश्लेषण** (₹ 22.69 **लाख की सरकारी अनुदान राशि सहित**)

अवधि	**31 मार्च 2021**	**31 मार्च 2020**
एक वर्ष के बाद नहीं	22.79	22.79
एक वर्ष के बाद और पाँच वर्षों के बाद नहीं	91.14	91.14
पाँच वर्षों के बाद	976.01	998.80
कुल	**1,089.94**	**1,112.73**

प्रचालनीय पट्टा

31 मार्च तक, अविलोप्य प्रचालनीय पट्टे के अंतर्गत भविष्य के न्यूनतम किए जाने वाले पट्टा भुगतान (₹ 22.69 लाख की सरकारी अनुदान के अलावा) अधोलिखित हैं:

विवरण	**31 मार्च 2021**	**31 मार्च 2020**
एक वर्ष से कम में देय	0.10	0.10
एक और पाँच वर्ष के बीच देय	0.40	0.40
पाँच वर्ष से अधिक के बाद देय	4.50	4.60
	5.00	5.10

राशि ₹ लाख में

ii. **लाभ तथा हानि लेखा में मान्य राशि**

विवरण	**वर्षांत 31 मार्च 2021**	**वर्षांत 31 मार्च 2020**
पट्टा व्यय	22.79	22.79

42. इण्ड एएस 20 के अंतर्गत सरकारी अनुदान का प्रकटीकरण

कंपनी ने अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार से 60 वर्षों के लिए पट्टे पर भूमि ली है जो ₹ 10,000 प्रति वर्ष के नाममात्र किराए पर कंपनी का अकेला हिस्सेदार भी है।

मूल्यांकन के आधार पर, पट्टा किराए का अनुमानित उचित मूल्य ₹ 22.79 लाख प्रतिवर्ष है। इण्ड एएस 20 के ''सरकारी अनुदान की लेखाविधि और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण'' के अनुसार, उचित मूल्य और ₹ 22.69 लाख के नाममात्र किराए के अंतर को 'अन्य आय' के तौर पर स्वीकार किया गया है।

वित्तीय विवरणी के भाग के रूप में अन्य नोट

(राशि ₹ लाख में)

		31.03.2021 की वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि तक के आँकड़े	31.03.2020 की पिछली रिपोर्टिंग अवधि तक के आँकड़े
43.	**आकस्मिक देयताएँ एवं प्रतिबद्धताएँ:** (जहाँ तक कि प्रावधान न किया गया हो)		
	i) आकस्मिक देयता:		
	(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया:		
	(i) माँग की तिथि तक ब्याज एवं शास्तिसहित कर्नाटक मूल्य आधारित कर एवं केंद्रीय विक्री कर इन माँगों के प्रति (चालू एवं पिछली रिपोर्टिंग अवधि दोनों के लिए लागू) विरोध के तहत ₹ 912.47 लाख का भुगतान किया गया और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 12.03.2010 के अंतरिम आदेश के निर्देशानुसार ₹ 5,000 लाख की राशि जमा की गई।	1,44,440.44	1,44,440.44
	(ii) इन माँगों के प्रति माँग की तिथि तक सेवा कर, विरोध के तहत ₹ 5,756.27 लाख (पिछले वर्ष ₹ 5,756.27 लाख) का भुगतान किया गया।	7,053.58	7,053.58
	(iii) भारत सरकार द्वारा करार के रद्द किए जाने के कारण, मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के दावे के प्रति अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल द्वारा अधिनिर्णीत राशि। कंपनी ने अधिनिर्णय को चुनौती दी है जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख लंबित है। ₹ में विनिर्दिष्ट राशि, अधिनिर्णय में दिए गए तरीके के अनुरूप अधिनिर्णय से पूर्व और बाद के ब्याज की गणना और प्राप्त विधिक मत के आधार पर ₹ 43.78 प्रति अमेरिकी डालर की संविदित विदेशी मुद्रा विनिमय दर से परिवर्तित राशि के अलावा 562.50 मिलियन अमरीकी डालर के समझौता अधिनिर्णय पर आधारित है। (साथ ही, नीचे दिए गए 45(घ) को देखें।	5,88,729.65	5,35,876.53
	कुल	**7,40,223.67**	**6,87,370.55**
	(ख) गारंटी:		
	(i) बैंक गारंटी	6,361.95	13,776.51
	(ग) अन्य राशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है:-		
	(i) सेवा कर के प्रति कारण बताओ नोटिस, इसके प्रति विरोध के तहत ₹ 6,288.02 लाख की राशि (विगत वर्ष ₹ 6,288.02 लाख) का भुगतान किया गया।	6,288.02	6,288.02
	ii) **प्रतिबद्धताएँ:**		
	(क) संविदा की बची हुई अनुमानित राशि जिसे पूँजी पर निष्पादित किया जाना है	शून्य	शून्य
	(ख) अन्य प्रतिबद्धताएँ	शून्य	शून्य
	कंपनी का मत है कि आकस्मिक मानी जाने वाली देयता के लिए संसाधन बाहर नहीं जा पाएगी।		

44.	सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया में उल्लिखित राशि जो कम-से-कम राशि के बराबर हो के प्रापण से संबंधित परिसंपत्ति,स्थायी परिसंपत्ति एवं दीर्घकालीन निवेश के अलावा के बारे में मंडल की राय।	मंडल की राय है कि ऐसी परिसंपत्ति का मूल्य कम-से-कम लेखा में उल्लिखित राशि के समान होगा जो सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया के क्रम में प्राप्य होगा।	मंडल की राय है कि ऐसी परिसंपत्ति का मूल्य कम-से-कम लेखा में उल्लिखित राशि के समान होगा जो सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया के क्रम में प्राप्य होगा।

45. विवादों के विवरण:

क्र. सं.	विवाद की प्रकृति	फोरम/प्राधिकरण जहाँ मामला / विवाद लंबित है	31.03.2021 तक विवाद में शामिल राशि (₹ लाख में)
क.	दिनांक 01.04.2005 से दिनांक 31.07.2008 की अवधि के लिए के.वी.ए.टी. एवं सी.एस.टी. की माँग	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय	20,595.56

विवाद की स्थिति:

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील कार्यवाही जारी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 03 मई, 2010 के अपने आदेश के द्वारा "मूल्यांकन अधिकारी को मूल्यांकन कार्यवाही को लेकर आगे बढ़ सकने और अगले आदेश तक वसूली नहीं करने का आदेश दिया है।"

ख.	01.08.2008 से 31.03.2010 की अवधि के लिए के.वी.ए.टी. एवं सी.एस.टी. (वर्ष 2009-10 के लिए, के.वी.ए.टी. पुन: आकलित और इसलिए अलग से दिखाया गया) । आदेश निम्नवत् : i. आदेश सं 221736837/05.01.2016 द्वारा वित्त वर्ष 2009-10 के लिए के.वी.ए.टी ii. आदेश सं. 259709721/24.02.2016 द्वारा वित्त वर्ष 2010-11 के लिए के.वी.ए.टी iii. आदेश सं. 251709773/24.02.2016 द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 के लिए के.वी.ए.टी iv. आदेश सं. 275709811/24.02.2016 द्वारा वित्त वर्ष 2012-13 के लिए के.वी.ए.टी v. आदेश सं. 232709848/24.02.2016 द्वारा वित्त वर्ष 2013-14 के लिए के.वी.ए.टी	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय / भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय	1,23,844.88

विवाद की स्थिति:

मूल्यांकन अधिकारी द्वारा इस अवधि के लिए जारी मूल्यांकन आदेश के विरुद्ध कंपनी ने कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय में समादेश याचिका दायर की है।

दिनांक 20 सितम्बर, 2016 को माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश पारित कर एन्ट्रिक्स को अगस्त 2008 से मार्च 2014 तक की अवधि के लिए 3 महीने के भीतर माँगे गए कर के 50% जमा करने का निर्देश दिया । कर के शेष, ब्याज और शास्ति को शोधक्षम प्रतिभूति प्रस्तुत करने तक रोक लगा दी गई है।

माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कंपनी द्वारा दायर समादेश अपील को भी दिनांक 14.12.2016 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था ।

कंपनी ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर की थी जिन्हें सिविल अपील के तौर पर स्वीकार किया गया था और है तथा 2010 के मूल अपील सं.2349-2352 के साथ सुनवाई का आदेश दिया गया है। मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है ।

माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सभी संबंधित मामलों को माननीय सर्वोच्चन्यायालय में हस्तांतरित करने के लिए माननीय सर्वोच्चन्यायालय के समक्ष हस्तांतरण याचिका दायर की गई थी । शीर्ष न्यायालय ने दिनांक 03 अप्रैल, 2017 को यह निर्देश देते हुए याचिका ख़ारिज़ कर दिया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सभी संबंधित मामलों की सुनवाई तभी होगी जब इसके समक्ष लंबित सिविल अपीलीय कार्यवाही पूरी हो जाएगी और सिविल अपील के संबंध में उच्च न्यायालय स्वत: माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करेगा ।

ग.	जुलाई 2012 से सितम्बर 2015 तक की अवधि के दौरान विदेशी उपग्रहों के लिए प्रमोचन सेवाएँ प्रदान करने के लिए माँग किए गए सेवाकर	सीईएसटीएटी, बेंगलूरु (केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण)	7,053.58
विवाद की स्थिति: सीईएसटीएटी, बेंगलूरु के समक्ष मामला लंबित है। फिर भी, ब्याज एवं शास्ति को छोड़कर सह-कर लाभ को पाने के बाद ₹ 5756.27 लाख का सेवाकर विरोध के तहत भुगतान कर दिया गया है।			
घ.	अपनी संप्रभु क्षमता के तहत केन्द्र सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुरूप कंपनी के वाणिज्यिक क्रियाकलापों के लिए एस. बैण्ड में कक्षीय स्लॉट नहीं प्रदान करने के कारण कंपनी और मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच करार को रद्द किए जाने के फलस्वरूप मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल (आइ.सी.सी.),पेरिस के समक्ष करार समापन के चलते क्षति का मामला उठाया।	सीईएसटीएटी, बेंगलूरु (केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण)	₹5,88,729.65 लाख (विनिर्दिष्ट राशि, अधिनिर्णय में दिए गए तरीके के अनुरूप अधिनिर्णय से पूर्व और बाद के ब्याज की गणना और प्राप्त विधिक मत के आधार पर ₹43.78 प्रति अमेरिकी डालर की संविदित विदेशी मुद्रा विनिमय दर से परिवर्तित राशि के अलावा 562.50 मिलियन अमरीकी डालर के समझौता अधिनिर्णय पर आधारित है।)

विवाद की स्थिति:

कंपनी और मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड ('देवास') ने दिनांक 28.01.2005 को "मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसरो/एन्ट्रिक्स एस-बैण्ड की अंतरिक्ष खंड क्षमता के पट्टे के लिए करार" किया था जिसे उक्त करार में उपलब्ध तार्किक आधार का उल्लेख करते हुए दिनांक 25.02.2011 को एन्ट्रिक्स द्वारा जारी निरस्तीकरण पत्र द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इस निरस्तीकरण को देवास ने चुनौती दी जिसकारण विभिन्न न्यायिक एवं अर्धशासी-न्यायिक कार्यवाही का उद्भव हुआ।

करार समाप्ति के परिणामस्वरूप, देवास ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल (आइ.सी.सी) के तत्वावधान में मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत की। कंपनी के आपत्ति के बावजूद कंपनी की भागीदरी के बिना आइ.सी.सी मध्यस्थ्ता न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। आइ.सी.सी न्यायालय ने दिनांक 14.09.2015 को कंपनी के विरुद्ध अधिनिर्णय सुनाया जिसमें देवास को (i) 562.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्षतिपूर्ति (ii) दिनांक 25.02.2011 से अधिनिर्णय सुनानेकी तिथि तक 3 महीने की छूट +4% की दर से ब्याज (iii) अधिनिर्णय सुनाने की तिथि से पूरा भुगतान होने तक (i) एवं(ii) पर 18% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देने का उल्लेख किया।

भारतीय विधिक कार्यवाही:

आइ.सी.सी. के निर्णय की प्राप्ति के बाद देवास ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थ एवं समझौता अधिनियम, 1996 की धारा 9 के अंतर्गत याचिका दायर किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, विवाचन न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 14.09.2015 को दिए गए निर्णय के अनुरूप अर्जित राशि को प्रतिभूत करने के लिए कंपनी को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है। पूरी तरह भुगतान होने की तिथि तक बैंक गारंटी प्रस्तुति या कंपनी के सभी बैंक खाताओं, प्राप्यों, अन्य सभी चल संपत्ति एवं अचल संपत्ति को संलग्न कर प्रतिभूति की माँग भी की गई है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 28 फरवरी, 2017 के अपने आदेश द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायक्षेत्र पर कंपनी की प्राथमिक आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया और कंपनी को निर्देश दिया कि विगत तीन वर्षों के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र एवं लाभ तथा हानि लेखा पर शपथ-पत्र दाख़िल करे जिसे दाख़िल कर दिया गया है।

कंपनी ने, दिनांक 07 मार्च, 2017 को दिल्ली उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय संभाग के समक्ष दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 28 फरवरी, 2017 के आदेश के विरुद्ध एक अपील दायर की है। दिल्ली उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय संभाग ने दिनांक 30 मई, 2018 के अपने आदेश द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 28 फरवरी, 2017 के आदेश को रद्द कर दिया।

दिनांक 01 अक्तूबर, 2018 को देवास ने दिल्ली उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय संभाग के दिनांक 30 मई, 2018 के आदेश के विरुद्ध भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की। दिनांक 19 नवम्बर, 2018 को माननीय न्यायालय ने अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए और नगर व्यवहार न्यायालय के समक्ष धारा 9 और धारा 34 चुनौती याचिका के तहत मध्यस्थता आवेदन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।

दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 को कंपनी ने न्यायिक अधिकार क्षेत्र मामलों से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय के कुछ अवलोकनों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष न्यायिक निर्णय के लिए लंबित देवास की विशेष अनुमति याचिका के साथ संलग्न किया गया था। दिनांक 28.02.2017 के दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए अलग से एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई। उक्त तीन विशेष अनुमति याचिकाएँ (एस.एल.पी) एक साथ आबद्ध की गई हैं और विचाराधीन हैं। नगर व्यवहार न्यायालय, बेंगलूरु के समक्ष एन्ट्रिक्स द्वारा दाखिल कार्यवाही को अलग रखते हुए 04 नवम्बर, 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित कर आइसीसी के अधिनिर्णय को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था| आगे यह निर्देश भी दिया गया कि इस विशेष अनुमति याचिका के अंतिम आदेश के लंबित होने की स्थिति में देवास आइसीसी के अधिनिर्णय का लाभ नहीं उठा पाएगा| इस अधिनिर्णय को भी स्थगित रखने के निर्देश दिए गए जब तक दिल्ली उच्च न्यायालय इस आवेदन पर रोक लगाने का निर्णय करता है|

इस आदेश के अनुसार, अलग रखी गई कार्यवाही को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था, जहाँ ये लंबित हैं|

यहाँ तक कि आइ.सी.सी. की मध्यस्थता से पहले, कंपनी ने, अपर नगर व्यवहार न्यायाधीश, बेंगलूरु के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 9 के अंतर्गत मध्यस्थता आवेदन तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII से पठ्य धारा 26 के अंतर्गत दीवानी मुकदमा दायर किया था जिसमें प्रार्थना की गई थी कि देवास द्वारा आइ.सी.सी. कार्यवाही पर रोक लगाई जाए तथा मध्यस्थता का आदेश करार के अनुरूप नहीं होने के कारण अधिनिर्णय सुनाया जाए। कंपनी ने, (मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम, 1996 की धारा 9 के अंतर्गत) मध्यस्थता आवेदन और अतिरिक्त नगर सिविल न्यायाधीश, बेंगलूरु के समक्ष दायर सिविल मुकदमा में अपनी दलील पूरी कर ली है। दिनांक 14.09.2015 को आइ.सी.सी. अधिनिर्णय मिलने के बाद, कंपनी ने, आइ.सी.सी.न्यायाधिकरण द्वारा जारी अधिनिर्णय और इसे चुनौती देने के अपने प्रस्ताव के बारे में न्यायालय को सूचित करते हुए संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया। दिनांक 24 अगस्त, 2016 को देवास ने धारा 9 के मध्यस्थता आवेदन को अस्वीकार करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। एन्ट्रिक्स ने सी.बी.आइ एवं प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जाँच को दर्शाते हुए अंतरिम आवेदन भी प्रस्तुत किया।

कंपनी ने, अपर नगर व्यवहार न्यायाधीश, बेंगलूरु के न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 34 के तहत आइ.सी.सी. अधिनिर्णय को रद्द करने के लिए मध्यस्थता मुकदमा भी दायर की। देवास ने बेंगलूरु नगर व्यवहार न्यायालय के न्यायिक अधिकार-क्षेत्र पर प्रश्न उठाते हुए अंतरिम आवेदन प्रस्तुत किया।

दिनांक 16 नवम्बर, 2018 को कंपनी ने बेंगलूरु शहर के अधिसूचित/अभिहित ज़िला वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष इन तीन मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए अलग से स्मारपत्र दाख़िल किया। आगे, नगर व्यवहार न्यायालय, बेंगलूरु के मनोनीत वाणिज्यिक न्यायालय में दीवानी मुकदमा को स्थानांरित किया गया था जहाँ दलील पूरी हो चुकी है और दोनों पक्षों द्वारा लिखित निवेदन प्रस्तुत की गई है। कथित दीवानी मुकदमा अभी विचाराधीन है।

हालाँकि, मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 9 से संबंधित मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल रोक लगा रखा है।

कंपनी ने, राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), के समक्ष एक याचिका दायर की कि देवास को समाप्त किया जाए क्योंकि कंपनी के साथ धोखाधड़ी हुई है और आइ.सी.सी. अधिनिर्णय के कारण कंपनी को नुकसान हुआ है। एनसीएलटी ने, दिनांक 19 जनवरी, 2021 के अपने आदेश के अनुरूप, याचिका को स्वीकार किया और देवास के प्रबंधन के नियंत्रण और उसकी परिसंपत्ति के अभिरक्षण के लिए अस्थाई तौर पर परिसमापक को नियुक्त किया है| एनसीएलटी ने, दिनांक 25 मई, 2021 के अपने अंतिम आदेश द्वारा यह निर्णय लिया कि देवास के द्वारा धोखाधड़ी हुई है और उसके समापन का आदेश दिया| राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष देवास के पूर्व प्रबंधन ने ने इस आदेश के विरुद्ध एक अपील दायर की है, जो लंबित है|

विदेशी विधिक कार्यवाही

दिनांक 13 नवम्बर, 2015 की एक अधिसूचना के द्वारा देवास ने फ्रांस में पंचाट परिनिर्णय को फ़ैसले में परिवर्तित करवा लिया था और पेरिस के प्रथम वादी न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश द्वारा दिनांक 22 अक्तूबर, 2015 का एक्सक्वाटर आदेश प्राप्त कर लिया| एन्ट्रिक्स ने इस एक्सक्वाटर आदेश के विरुद्ध पेरिस के अपीलीय न्यायालय में अपील दायर की। दिनांक 27 मार्च, 2018 के अपने आदेश द्वारा पेरिस के अपीलीय न्यायालय ने अपने एक्सक्वाटर आदेश की पुष्टि की| कंपनी ने आदेश के विरुद्ध फ्रांस के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल की। फ्रांस के सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 28 जनवरी, 2020 को मामले की सुनवाई की और दिनांक 04 मार्च, 2020 को फ्रांस के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सुनाया गया जिसमें इसने दिनांक 27 मार्च, 2018 मामला वापस भेज दिया, यह समादेश देते हुए कि अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भूल की है कि एन्ट्रिक्स की यह दलील कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण का अनुचित गठन हुआ है, अमान्य थे।

परिणामस्वरूप, पेरिस के प्रथम मुकदमा न्यायालय के दिनांक 22 अक्तूबर, 2015 के एक्सक्वाटर आदेश के विरूद्ध एन्ट्रिक्स ने दिनांक 23 मार्च, 2020 को पेरिस के अपीलीय न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की है, जो लंबित है।

देवास ने संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन शहर के पश्चिमी ज़िले, सिएटल स्थित ज़िला न्यायालय में आइ.सी.सी. अधिनिर्णय की पुष्टि के लिए कार्यवाही की पहल की है । कंपनी ने याचिका ख़ारिज़ करने के लिए न्यायालय की आज्ञा हेतु अपनी प्रार्थना प्रस्तुत की है। न्यायालय ने अधिनिर्णय की पुष्टि करते हुए दिनांक 27 अक्तूबर, 2020 को अपना आदेश जारी किया| परिणामस्वरूप, दिनांक 04 नवम्बर, 2020 को न्यायालय ने अपने निर्णय में निर्णय की तिथि से 0.12% के ब्याज दर के साथ $1,293 करोड़ के भुगतान और लागत को शामिल किया| एन्ट्रिक्स ने दिनांक 24 नवम्बर, 2020 को सेन फ्रांसिसको में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अपीलीय न्यायालय के नौवें चल न्यायालय के समक्ष अपील दायर की, जो लंबित है ।

देवास के कुछ शेयरधारक और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में देवास की सहायक संस्था, डीएमएआइ ने देवास के लिए अस्थाई परिसमापक की नियुक्ति हेतु दिनांक 22 फरवरी, 2021 को सिएटल स्थित ज़िला न्यायालय के समक्ष अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिस्थापन और हस्तक्षेप हेतु आवेदन प्रस्तुत किया । यद्यपि हस्तक्षेप हेतु आवेदन को स्वीकार कर लिया गया तथापि प्रतिस्थापन और अन्य राहत संबंधी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया । इसके साथ-साथ, हस्तक्षेपकर्ता के समान समूह ने नौवें चल न्यायालय के समक्ष लंबित अपीलीय कार्यवाही में इसी तरह के आवेदन प्रस्तुत किए और दिनांक 06 जून, 2021 के अपने आदेश द्वारा न्यायालय ने हस्तक्षेप हेतु आवेदन को स्वीकार कर लिया तथा प्रतिस्थापन आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया ।

इस विवाद के संबंध में, अन्य की तुलना में, एन.ए.एफ.ई.डी (नफेड) बनाम अलिमेंटा एस.ए. (2012 की दीवानी अपील सं. 667) के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। उक्त निर्णय में, एन.ए.एफ.ई.डी (नफेड) के विरूद्ध पारित मध्यस्थता निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की सार्वजनिक नीति के उल्लंघन के चलते अवैध करार दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया कि उक्त निर्णय भारत के मौलिक कानून के विरूद्ध था क्योंकि नफेड द्वारा बिना सरकारी आदेश के कोई निर्यात नहीं किया गया है जिससे नियमों का उल्लंघन हुआ हो।

आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण प्राप्त विधिक मत के आधार पर किया गया है|

विधि सलाहकार और अंतरिक्ष विभाग के साथ परामर्श करके अगली कार्रवाई की जा रही है।

46. वर्षांत की मुद्रा विनिमय-दर का ब्योरा इसप्रकार है:

विवरण	वर्षांत की मुद्रा विनिमय-दर (₹ लाखों में)	नामे / जमा	लाभ तथा हानि लेखा
बैंक ईईएफसी चालू खाते एवं परिसंपत्ति एवं देयता	409.78 (6.68)	नामे जमा	विविध आय में नामे किया गया (विविध आय में जमा किया गया)

पिछले वर्ष के आँकड़े कोष्ठक में दर्शाए गए हैं|

47. कंपनी ने वर्ष 2017-18 में इन्सैट/जीसैट अंतरिक्ष खण्ड से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति हेतु आइसीएआइ से उनका विचार जानना चाहा था| उनके मतानुसार, अंतरिक्ष विभाग को प्रदान किए जाने वाले शेयर के प्रति कंपनी जवाबदेह है | कंपनी ने उनके मत को स्वीकार किया है और उनके मतानुसार ही इन्सैट/जीसैट अंतरिक्ष खण्ड से प्राप्त राजस्व का लेखा-जोखा रखा है | वर्ष के दौरान, इस खण्ड से प्राप्त राजस्व ₹170.73 लाख) है| [निवल साख पत्र निर्गत] (विगत वर्ष ₹1,78,64.09 लाख)|

48. कंपनी ने विदेशी ग्राहकों को उनके उपग्रह प्रमोचित कर अपनी सेवाएँ दी हैं | संविदा के शर्तों के अनुरूप, विदेशी ग्राहक, इस सुविधा के उपयोग के लिए तैयार होने की तिथि से सात वर्षों के लिए जगह साझा (ग़ैर-वित्तीय क्षतिपूर्ति) करके उसके एवज की भरपाई करेंगे| इण्ड एएस-115 के अनुच्छेद 48(डी), इण्ड एएस-115 के अनुच्छेद 66 के तौर पर पठ्य के अनुरूप, अंतरण मूल्य ₹ 11,130 लाख (लागू होने वाले माल सेवा कर सहित) निर्धारित किया गया है जो ग्राहक द्वारा प्रदान की जाने वाली ग़ैर-वित्तीय क्षतिपूर्ति का उचित मूल्य निर्दिष्ट करता है | यह सुविधा नवम्बर 2020 से उपयोग के लिए उपलब्ध है | परवर्ती अवधि से संबंधित इस ग़ैर-वित्तीय क्षतिपूर्ति को "सेवा-अग्रिम" के तौर पर वर्गीकृत किया गया है और कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग II अनुसूची III के तहत प्रस्तुत किया गया है|

49. निर्गत गारंटी के बदले में प्रतिभूति के तौर पर और प्रतिभूति जमा के एवज में केनरा बैंक में ₹0.47 लाख (विगत वर्ष ₹0.47 लाख) की सावधि जमाराशि शामिल है जिसे प्रतिभूति जमा के एवज में वाणिज्यिक कर के सहायक आयुक्त, जिला-V परिमंडल, बेंगलूरु के ग्रहणाधिकार के तहत रखा गया है|

50. कंपनी के लिए, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा €73,00,000, ₹6,361.95 लाख के समतुल्य (विगत वर्ष €163,50,000, ₹13,776.51 लाख के समतुल्य), की निर्गत गारंटी के बदले में कंपनी ने ₹7,830.91 लाख (विगत वर्ष ₹13,679.23 लाख) की राशि उनके साथ सावधि जमा के तौर पर बंधक रखे हुए है| हालाँकि, कंपनी उक्त सावधि जमा पर कार्ड दर से ब्याज अर्जित कर रही है| फिलहाल, भारतीय लेखाविधि मानक (इण्ड एएस) -37 में "प्रावधान" का कोई प्रसंग पारिभाषित नहीं है|

51. कंपनी ने, वैसे ग्राह्क जिनके साथ करार समाप्त को चुका है, को छोड़कर, सभी ग्राहकों से 31 दिसम्बर, 2021 तक शेष की पुष्टि के लिए अनुरोध किया है और केवल कुछेक ग्राहकों से ही उत्तर मिल पाया है| अंतर पाए जाने वाले ग्राहकों के लेखा का सामंजस्य जारी है। प्रबंधन की दृष्टि में इस सामंजस्य का लाभ तथा हानि लेखापर कोई आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है|

52. अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार से 31 मार्च, 2020 तक शेष की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है| प्रबंधन की दृष्टि में ऐसी अपुष्टि से वर्ष के लाभ पर कोई आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है |

53. 01.04.2005 से 31.03.2014 तक वाणिज्यिक कर विभाग, कर्नाटक सरकार द्वारा माँगे गए के.ए.वी.टी. एवं सी.एस.टी से संबंधित ₹144,440.44 लाख की आकस्मिक देयता जो नोट-सं.45(i)(क)(i) द्वारा दर्शाया गया है, में माँग की तिथि से तुलनपत्र की तिथि तक ब्याज एवं शास्ति शामिल नहीं है|

54. प्रमोचन सेवा करार के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी, "स्व-बीमा" नीति के अंतर्गत ग्राहक से बिना कोई अतिरिक्त शुल्क लिए क्षेत्र को अनुरक्षित और विस्तृत करने के लिए उत्तरदायी है| इस नीति में, प्रमोचन काल के दौरान मृत्यु सहित शारीरिक चोट लगने और इसरो के प्रमोचन यान का उपयोग करके समर्पित और सहयात्री ग्राहक उपग्रह प्रमोचित करने के दौरान तीसरे पक्ष के उत्पादों को हुई हानि के लिए कानूनी देयता शामिल है | इसरो, प्रत्येक प्रमोचन के लिए स्व-बीमा नीति का अनुसरण करता है | इसप्रकार, कंपनी के लिए तीसरा पक्ष देयता बीमा की आवश्यकता समाप्त हो जाती है |

55. अन्य कर परिसंपत्ति के तहत विभिन्न आकलन वर्षों के लिए आयकर वापसी बकाए की स्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:-

वित्त वर्ष	**लेखा के अनुसार वापसी आयकर बकाया (₹ लाख में)**	**स्थिति**
2007-08	1008.68	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया	
2008-09	143.92	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया	
2009-10	386.76	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया	
2010-11	105.51	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया	
2011-12	186.09	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया जाना है।
2012-13	181.18	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया	
2013-14	19.23	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया	
2014-15	175.42	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया	
2015-16	0.91	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया	
2016-17	1,247.77	आयकर विभाग में अपील लंबित है।
2017-18	2,083.39	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया जाना है।
2018-19	1,766.85	विवरणी पर कार्यवाही किया जाना बाकी है।
2019-20	4,619.14	विवरणी पर कार्यवाही किया जाना बाकी है।
2020-21	2,292.24	विवरणी भरा जाना बाकी है।
कुल	**14,217.09**	

उपर्युक्त आयकर बकाया वापसी में टी.डी.एस प्रमाणपत्रों और ग्राहकों से प्राप्त भुगतान पत्रक/सूचना पर आधारित लेखाविधित स्रोतों पर कर कटौती शामिल है। आकलन अधिकारी के समक्ष आयकर अधिनियम,1961 की धारा 154 के तहत संशोधन आवेदन-पत्र दाखिल किया जा चुका है तथा लेखा के अनुसार एवं आयकर विभाग द्वारा स्वीकृत राशि के अनुसार, बकाया राशि, जैसा कि उपर्युक्त सारणी में अन्य द्वारा किए गए टी.डी.एस का ब्योरा दिया गया है, के बीच सामंजस्य प्रगति पर है।सामंजस्य के पूरे होने के बाद तथा धारा 154 के आवेदन-पत्र के प्रति आदेश की प्राप्ति के बाद लेखा-पुस्तिकाओं में उपयुक्त लेखाविधि व्यवस्था की जाएगी। प्रबंधन का विचार है कि सामंजस्य के लंबित होने के कारण लाभ तथा हानि लेखा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

56. कंपनी, इण्ड एएस 10 की आवश्यकताओं के अनुरूप निम्नलिखित परिवर्ती क्रियाकलापों का प्रतिवेदन करती है:

i. कंपनी द्वारा घोषित लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध लाभ पर निर्भर है। दिनांक 09 जुलाई, 2021 को कंपनी के निदेशकमंडल ने अपनी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन मिलने पर दिनांक 31 मार्च, 2021को समाप्त वर्ष के लिए ₹1,15441/- प्रति शेयर के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन पर निर्भर करता है, और यदि अनुमोदित हो जाता है तो इसके चलते लगभग ₹7,850 लाख का नकद प्रवाह होगा।

57. **कोविड-19 (वैश्विक महामारी) का प्रभाव:**

कंपनी, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार (इसरो) के वाणिज्यिक अंग के रूप में सेवा प्रदान करने के व्यवसाय में कार्यरत है। कंपनी का अनुमान है कि कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रकृति के चलते इसके संचालन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हालाँकि, ग्राहकों से विलंबित बकाया प्राप्ति की संभावनाएँ नज़र आ रही हैं।

58. विगत वर्ष के सामग्री वर्गीकरण के आँकड़ों के विवरण:
विगत वर्ष के सामग्री वर्गीकरण के आँकड़ों के विवरण कुछ भी नहीं हैं|

59. वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति को समनुरूप बनाने के लिए रुपए को निकटतम लाख के रूप में पूर्णांकित किया गया है और जहाँ भी ज़रुरत पड़ी, विगत वर्ष के आँकड़ों को पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते राव असोशिएट
सनदी लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीकरण सं.003080एस

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

ह्स्ता/-
(राकेश शशिभूषण)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआइएन 07039575

ह्स्ता/-
(जी सुधीन्द्रा)
भागीदार
आइसीएआइ सदस्य सं 026171
बेंगलूरु
तिथि : 09 जुलाई, 2021

ह्स्ता/-
(संजय कुमार अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)
डीआइएन 08200144
बेंगलूरु
तिथि : 09 जुलाई, 2021

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अंतरिक्ष भवन, न्यू बी.ई.एल. रोड, बेंगलूरु-560 094
दूरभाष : + 91 80 2217 8302/11, फैक्स : + 91 80 2217 8337
वेबसाइट : www.antrix.co.in